



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

nidm

Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19



Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट : www.nidm.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम 2018-19

© एनआईडीएम, नई दिल्ली

प्रकाशन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार),
नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

दृष्टिकोण

“भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान बनना और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक रूप में पहचाना जाना। सभी स्तरों पर रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना और उसे बढ़ावा देकर आपदा मुक्त भारत बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना।”

विषय सूची

1.	सिंहावलोकन	1-5
	1.1 संस्थान के बारे में	3
	1.2 प्रबंधन संरचना	3
	1.3 दृष्टिकोण	3
	1.4 मिशन	4
	1.5 कार्य	4
	1.6 प्रमुख क्षेत्र	5
2.	संगठनात्मक व्यवस्था	7-14
	2.1 संगठनात्मक ढांचा	9
	2.2 सामान्य प्रशासन	13
	2.3 हिंदी का प्रगामी प्रयोग	14
3.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	15-20
	3.1 उद्देश्य	17
	3.2 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम	17
	3.3 प्रशिक्षण विधि	19
	3.4 प्रतिभागियों की रूपरेखा	19
	3.5 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	19
	3.6 स्व-अध्ययन कार्यक्रम	20
	3.7 इंटरनेट कार्यक्रम	20
4.	परियोजनाएं	21-32
	4.1 जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज़ (एमओईएफसीसी-एनआईडीएम)	23
	4.2 बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसी-डीआरआर) इकाई एनआईडीएम-दक्षिणी परिसर	24
	4.3 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम राहत परियोजना (एनसीआरएमपी)	25
	4.4 भारत के लिए आपदा के बाद की आवश्यकताओं का मूल्यांकन (पीडीएनए)	27
	4.5 एनआईडीएम-जेएनयू आपदा अनुसंधान कार्यक्रम (डीआरपी)	27
	4.6 अवस्थापना (रोहिणी और दक्षिणी परिसर)	31
5.	ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप	33-38
	5.1 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)	35
	5.2 प्रलेखीकरण और प्रकाशन	36
	5.3 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस	36
	5.4 सूचना प्रसार	36

6.	मुख्य कार्यक्रम कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार और बैठकें	39-65
6.1.1	प्रोफेसर जाओ जिया हांग, नेशनल युनलिन युनिवर्सिटी ऑफ एसएंडटी, ताईवान द्वारा “औद्योगिक/रसायनिक जोखिम प्रबंधन नीतियों” पर शैक्षिक सेमिनार	41
6.1.2	आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) पूर्व चेतावनी प्रणाली और बाढ़ की जानकारी पर जेएनयू-एनआईडीएम राष्ट्रीय कार्यशाला-क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वय	41
6.1.3	“फोर्जिंग पार्टनरशिप: आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए क्षमता निर्माण” पर राष्ट्रीय कार्यशाला	42
6.1.4	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनआईडीएम द्वारा शुरू की गई ‘व्याख्यान श्रृंखला’	42
6.1.5	“प्रधानमंत्री का एजेंडा 10: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के आपदा प्रबंधन प्लान पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला	43
6.1.6	“हिमालय और आपदा जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां” पर एनआईडीएम व्याख्यान श्रृंखला-2	43
6.1.7	“बाढ़ जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में जलाशय संचालन कार्यकलाप” पर व्याख्यान श्रृंखला-3	43
6.1.8	“नीतियां और मूल्य” पर कार्यशाला	46
6.1.9	सुस्थिर विकास लक्ष्य, सुशासन और आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	46
6.1.10	ऐतिहासिक नगरों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला: भवन की जानकारी के लिए एक ढांचा	48
6.1.11	“आपदा प्रबंधन के प्रति वॉटरशेड दृष्टिकोण” पर एनआईडीएम व्याख्यान श्रृंखला-4	49
6.1.12	भूस्खलन जोखिम प्रबंधन और राहत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	51
6.1.13	तटीय क्षेत्र आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला: जीवन, आवास और आजीविका बचाना (भारत और तटीय पड़ोसी देश)	52
6.1.14	रसायनिक प्रक्रिया औद्योगिक परिसरों में आपदा प्रबंधन	52
6.1.15	“आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका” पर मीडिया कार्यशाला	53
6.1.16	मीडिया और आपदाएं सम्मेलन, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	54
6.1.17	आपदा प्रबंधन पर चौथी वर्ल्ड कांग्रेस	55
6.2	बैठकें और अन्य कार्यक्रमलाप	56
6.2.1	महाराष्ट्र सरकार का इको-डीआरआर: वित्त मंत्री को परामर्श, मुम्बई	56
6.2.2	परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) बैठक	56
6.2.3	डीआरआर का संवर्द्धन: एआईसीटीई अध्यक्ष के साथ बैठक, नई दिल्ली	56
6.2.4	परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) बैठक	57
6.2.5	एडीपीसी कार्यकारी निदेशक का एनआईडीएम में दौरा: एशिया पेसिफिक और उसके आगे के लिए समझौते एनआईडीएम, नई दिल्ली	57
6.2.6	आईएसईटी-यूएसए अध्यक्ष की कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम के साथ बैठक: शोध सहयोग पुनर्जिवित करना, नई दिल्ली	57

6.2.7	प्रधानमंत्री का एजेंडा 10: आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) में विश्वविद्यालयों की भूमिका: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अध्यक्ष के साथ बैठक	58
6.2.8	माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वैकैया नायडु द्वारा एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर का शिलान्यास	58
6.2.9	एनआईडीएम दल की केरल दौरे की रिपोर्ट	59
6.2.10	स्वच्छता पखवाड़ा	60
6.2.11	गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम से छात्रों का शैक्षिक दौरा	60
6.2.12	वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) के साथ बैठक	60
6.2.13	एनआईडीएम पुस्तकालयाध्यक्ष की जीआईटीएम यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम में “राष्ट्रीय ज्ञान, पुस्तकालय तथा सूचना नेटवर्किंग (एनएसीएलआईएन) सम्मेलन” में भागीदारी	61
6.2.14	एनआईडीएम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच, रुड़की) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	61
6.2.15	भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए केरल राज्य के क्षमता मूल्यांकन पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट	62
6.2.16	एनआईडीएम और एफआरआई (एफआरआई विश्वविद्यालय देहरादून), के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, नई दिल्ली,	62
6.2.17	एनआईडीएम द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन	63
6.2.18	एनआईडीएम द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन	63
6.2.19	एनआईडीएम और आंध्रा विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	63
6.2.20	एनआईडीएम द्वारा क्लाइमेट जंबोरी में सहभागिता, त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली	63
6.2.21	एनआईडीएम और सूरतकल स्थित एनआईटी कर्नाटक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	64
6.2.22	वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम (डब्ल्यूएलएफ) की इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड (आईसीएल), इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन लैंडस्लाइड (आईपीएल) सिंपोज़ियम और प्रिपेटरी मीटिंग्स ऑफ वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम (डब्ल्यूएलएफ)-5, क्योटो, जापान,	64
6.2.23	सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों का शैक्षिक दौरा	65
6.2.24	मॉड्यूल पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए यूजीसी कार्य समूह की बैठकें	65
7.	वित्त और लेखा	67-92
	लेखा परीक्षित रिपोर्ट और बैलेंस शीट	69
8.	अनुबंध	93-102
8.1	अनुबंध-I : संस्थान के सदस्यों की सूची	95
8.2	अनुबंध-II : संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची	97
8.3	अनुबंध-III : एनआईडीएम द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची	98
8.4	अनुबंध-IV : वर्ष 2018 के दौरान नियुक्त इंटरन का विवरण	102

लघुरूप और परिवर्णी शब्द

एडीआरसी	एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र
एडीपीसी	एशियाई आपदा तैयारी केंद्र
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
एटीसी	वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन
एपीएचआरडीआई	आंध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान
एटीआई	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
बीएमटीपीसी	भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद्
सीसीडीआरआर	बच्चों पर केंद्रित आपदा खतरे को कम करना
सी-डीएसी	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
डीईएलएनईटी	लाइब्रेरी नेटवर्क का विकास
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
डीएमसी	आपदा प्रबंधन केंद्र
डीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
डीआरएम	आपदा जोखिम प्रबंधन
डीआरपी	आपदा अनुसंधान कार्यक्रम
ईएस-ईआरआर	पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन - भूकंप जोखिम न्यूनीकरण
ईडीआरएम	आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरण ज्ञान
एफआरआई	वन अनुसंधान संस्थान
जीएफडीआरआर	आपदा न्यूनीकरण और रिकवरी के लिए वैश्विक सुविधा
जीआईटीएम	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एंड मैनेजमेंट
आईसीएसएसआर	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
आईसीएल	अंतर्राष्ट्रीय भूस्खलन सहायता-संघ
आईएसईटी	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड एन्वायरनमेंट ट्रांजिशन
आईडीकेएन	भारतीय आपदा ज्ञान नेटवर्क
आईडीआरएन	भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क
आईआईपीए	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
आईआईआरएस	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग
आईएमडी	भारतीय मौसम विभाग
आईएनजीओ	अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन
जेएनयू	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओईएफएंडसीसी	पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
एनआईएच	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान
एनईसी	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनसीआरएमपी	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना
एनएसीएलआईएन	राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क पर सम्मेलन
एनआईडीएम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान
एनआईआरडी	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
ओपीएसी	ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस आकलन
पीडीएनए	आपदा पश्चात् आवश्यकता आकलन
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन समिति
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एससीडीआर	आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र
एसडीएमसी	सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र
टीओटी	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
टीओएस	हितधारकों का प्रशिक्षण
टीएनए	प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनआईसीएफ	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष
यूएन-एसपीआईडीआईआर	आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्रमंच
यूएसआईडी	अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी
डब्ल्यूआरआई	वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट
डब्ल्यूबी	विश्व बैंक



कार्यकारी निदेशक की कलम से

भारत ने हिंद महासागर के तट पर बार-बार और तीव्र चक्रवातों के कारण होने वाले जीवन के नुकसान को घटाने में अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसा केवल सही समय पर चेतावनी प्रणाली तथा भली भांति लक्षित निकासी प्लान के कारण संभव हो पाया है। हमारे देश में अतिविकट जलवायु घटनाओं के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान में कमी करने के प्रति हमारा दृष्टिकोण सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के कार्यान्वयन में हमारा मुख्य योगदान है। इसका हमारी तैयारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जब हमने विगत में वर्ष 1999 में ओडिशा के महा चक्रवात में 10,000 से ज्यादा जानें खो दी थीं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली को आपदा जागरूक राष्ट्र तैयार करने के लिए देश की क्षमता निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। यह संस्थान अन्य संगठनों को उनके अधिकार क्षेत्र में आपदा जागरूकता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने, कार्यान्वित और उनका प्रबंधन करने हेतु उनकी क्षमता निर्माण और उसके सुदृढीकरण पर जोर देता है। व्यक्ति और संस्थान राष्ट्रीय क्षमताओं के भंडारगृह हैं। अतः राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने के लिए देशभर के लोगों और सार्वजनिक, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों के सांस्थानिक संसाधनों के कौशल और जानकारी में वृद्धि करना जरूरी है।

मुझे यह संदेश लिखते हुए और पिछले वर्षों में श्री बी. एच. अनिल कुमार, आईएस (02.04.2018-27.11.2018), सुश्री रजनी सेखरी सिब्ल, आईएस, तत्कालीन अपर सचिव, आपदा प्रबंधन और राहत एनआईडीएम के प्रभारी (27.11.2018-12.03.2018) और श्री संजीव जिंदल, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन और संस्थान के प्रभारी (12.03.2018-31.05.2019) के योग्य नेतृत्व में इस संस्थान द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा है। उनका कुशल नेतृत्व इस संस्थान की उपलब्धियों में काफी महत्वपूर्ण रहा है। उनकी क्षमता निर्माण पहल करने की एक विरासत है जिसे मुझे आगे लेकर जाना है। हम एक संतुलित मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे प्रयासों का उद्देश्य समाज के कमजोर और लाभवंचित वर्गों तक अपनी पहुँच बढ़ाना है। हमारा प्रयास राष्ट्र की क्षमताओं का निर्माण करने के साथ-साथ नए विकास के कारण आने वाली चुनौतियों का भी सामना करना है।

मुझे यह अवसर मिला है कि मैं वर्ष 2018-19 के दौरान हमारे कार्यकलापों का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस प्रस्तुति से आपको हमारे संस्थान के कार्य का नया दृष्टिकोण मिलेगा। इस वार्षिक रिपोर्ट में हमारा प्रारंभ और नीतिपरक उद्देश्य दिए गए हैं। हम देश में जीवन को सुरक्षित बनाने और एक सुखद भविष्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
वीएसएम
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशकों का संक्षिप्त परिचय (01.04.2018-31.03.2019)



बी. एच. अनिल कुमार, आईएएस
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम
(02.04.2018 से 27.11.2018)

श्री बी. एच. अनिल कुमार कर्नाटक कैडर से 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (आईएएस) हैं। 1987 से 2013 के दौरान कर्नाटक सरकार के लिए विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने भू-राजस्व एवं प्रबंधन, शहरी विकास, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य, परिवहन, कृषि एवं सहकारिता आदि जैसे विभिन्न कार्यभार संभाले। उन्होंने कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लि., मैसूर पेपर मिल्स लि. और कर्नाटक राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्हें कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना (के-शिप) में मुख्य परियोजना अधिकारी भी नियुक्त किया गया। एनआईडीएम में कार्य संभालने से पूर्व वह अक्टूबर, 2013 से भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे।



सुश्री रजनी सेखरी सिबल, आईएएस
अपर सचिव (डी एम), गृह मंत्रालय एवं
कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र प्रभार)
(27.11.2018 से 12.03.2019)

सुश्री रजनी सेखरी सिबल, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं जो वर्तमान में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोक अधिकारी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, शहरी विकास, वित्त एवं बजट में सरकारी नितियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का कार्य किया है। उन्होंने देश के निर्धन और पिछड़े क्षेत्रों में सब-डिवीजनल अधिकारी-सह-मजिस्ट्रेट और समाहर्ता-सह-जिलाधीश जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वरिष्ठ उप-निदेशक के रूप में भी कार्य किया है जहां उन्हें आईएएस अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। उन्होंने वेलहेम गर्ल्स स्कूल, देहरादून से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पंजाब विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक और मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वह वर्ष 1986 में अखिल भारतीय

सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने साहस और प्रतिबद्धता के लिए “अनसंग हीरो” श्रेणी में “इंडियन ऑफ द ईयर 2013” पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अनेक लेखों के प्रकाशन में अपना योगदान दिया और तीन पुस्तकें लिखीं: ‘इंस्पेक्शंस एंड टूर्स: ए हैंडबुक ऑन मानीटरिंग’; ‘क्लाउडस एंड ऐंड बियॉड-काव्य संकलन’; और ‘कामधेनु: काउंस ऑफ इंडिया-अ कॉफी टेबल’ बुक।



श्री संजीव कुमार जिंदल,
संयुक्त सचिव (डी एम)
गृह मंत्रालय एवं कार्यकारी निदेशक
(स्वतंत्र प्रभार)
(12.03.2019 से 31.05.2019)

श्री संजीव कुमार जिंदल, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्रभाग में प्रभारी संयुक्त सचिव हैं। पिछले द्वाइ वर्षों में उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में अनेक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज और बचाव कार्य के समन्वय तथा प्रभावित राज्यों को वित्तीय राहत प्रदान करने में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने ग्लोबल प्रोग्राम फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (2017 तथा 2019), एशिया-मिनीस्ट्रियल कांफ्रेंस ऑन डीआरआर (2018) जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया और 2017 में डीआरआर पर राष्ट्रीय प्लेटफार्म का आयोजन भी किया। उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे वित्त मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में 28 वर्षों का मूल्यवान और विविध अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने प्रसार भारती, शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में भी कार्य किया है।

अध्याय

1

सिंहावलोकन

अध्याय 1: सिंहावलोकन

1.1 संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन 30.10.2006¹ को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्र और राहत उपायों² के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करने के क्षेत्र में योजना बनाने और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से 16 अक्टूबर, 2003 को पुनः नामित होने के बाद से एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदा रोकने और इसके लिए तैयार रहने की संस्कृति का विकास करके तथा इसे बढ़ावा देकर एक आपदा जागरूक भारत तैयार करने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

1.2 प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, संस्थान में 42 सदस्य हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, संबंधित राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष, प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायिक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है।

संस्थान की शासी परिषद् में 15 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और गृह सचिव उपाध्यक्ष³ हैं। संस्थान के दैनिक प्रशासन का संचालन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है।

संस्थान के पांच शैक्षिक प्रभाग हैं:-

- सुशासन एवं समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)
- आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)
- भौगोलिक-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)
- सीबीआरएन और साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)
- पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम)

इसके अलावा, संस्थान में 21 केंद्र और 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं।

1.3 दृष्टिकोण

भारत में आपदा जोखिम में कमी करने और इसके प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक अग्रणी उत्कृष्टता संस्थान बनना और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाना। सभी स्तरों पर आपदा रोकने और इसकी तैयारी करने की संस्कृति का विकास और संवर्धन करके एक आपदामुक्त भारत के प्रति निरंतर प्रयास करना।⁴

1.4 मिशन

- नीति तैयार करने में सहायता देकर सरकार के लिए एक विचारक मंडल के रूप में कार्य करना;
- निम्नलिखित द्वारा आपदाओं के दुष्परिणामों और प्रभावों को कम करने में सहायता देना:
 - प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की आयोजना और संवर्धन;
 - अनुसंधान, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना;
 - आपदा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और राहत के लिए पद्धति विकास और सुविज्ञता को प्रोत्साहित करना;
 - जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी संबंधितों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;
 - सभी संबंधितों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए संस्थानिक तंत्र का सुदृढीकरण;
 - नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और सुविज्ञता साझा करना।⁵

1.5 कार्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान को निम्नलिखित कार्य⁶ सौंपे गए हैं:-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, आपदा प्रबंधन में अनुसंधान और प्रलेखन करना और प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित करना
- आपदा प्रबंधन से सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना तैयार करना और कार्यान्वित करना
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना
- राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना
- शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षिक सामग्रियों का विकास
- कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु-खतरा कम करने, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना।

- उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्यानो, सेमिनारों को व्यवस्थित करना और सुगम बनाना
- पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए समर्थन प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख-रखाव आदि
- उपरोक्त उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए सहायक तथा प्रासंगिक अन्य सभी विधि सम्मत कार्य करना
- केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य

1.6 प्रमुख क्षेत्र

1.6.1 प्रशिक्षण

- आमने-सामने प्रशिक्षण:** एनआईडीएम सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न शीर्षकों पर परिसर में और परिसर के बाहर दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
- वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण:** यह संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशेष विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रयोक्ता रजिस्टर करके ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।
- स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम:** संस्थान ने वेब आधारित स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए, कोई भी किसी भी समय लॉग-ऑन कर सकता है और इन पाठ्यक्रमों से सीख सकता है।

1.6.2 अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली बड़ी आपदाओं का प्रलेखीकरण करता है ताकि इसके प्रबंधन से सबक लिया जा सके और इन मामला अध्ययनों का प्रयोग प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए संसाधन सामग्री और अनुकार अभ्यास के लिए किया जा सके।

1.6.3 नीति अध्ययन और सहायता

ज्ञान और अनुसंधान संस्थान होने के नाते एनआईडीएम गृह मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देश, नीतियां और योजनाओं आदि तैयार करने में सहायता देता है।

एनआईडीएम राज्य स्तर की नीतियों, योजनाओं, आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करने में राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों तथा हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए उनके (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों) द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करता है।

1.6.4 ज्ञान एकीकरण

एनआईडीएम नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखीकरण आदि के लिए कार्यक्रम आधारित गतिविधियों पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ संस्थानों के साथ सहयोग द्वारा ज्ञान एकीकरण करता है।

अध्याय 2

संगठनात्मक व्यवस्था

अध्याय 2: संगठनात्मक व्यवस्था

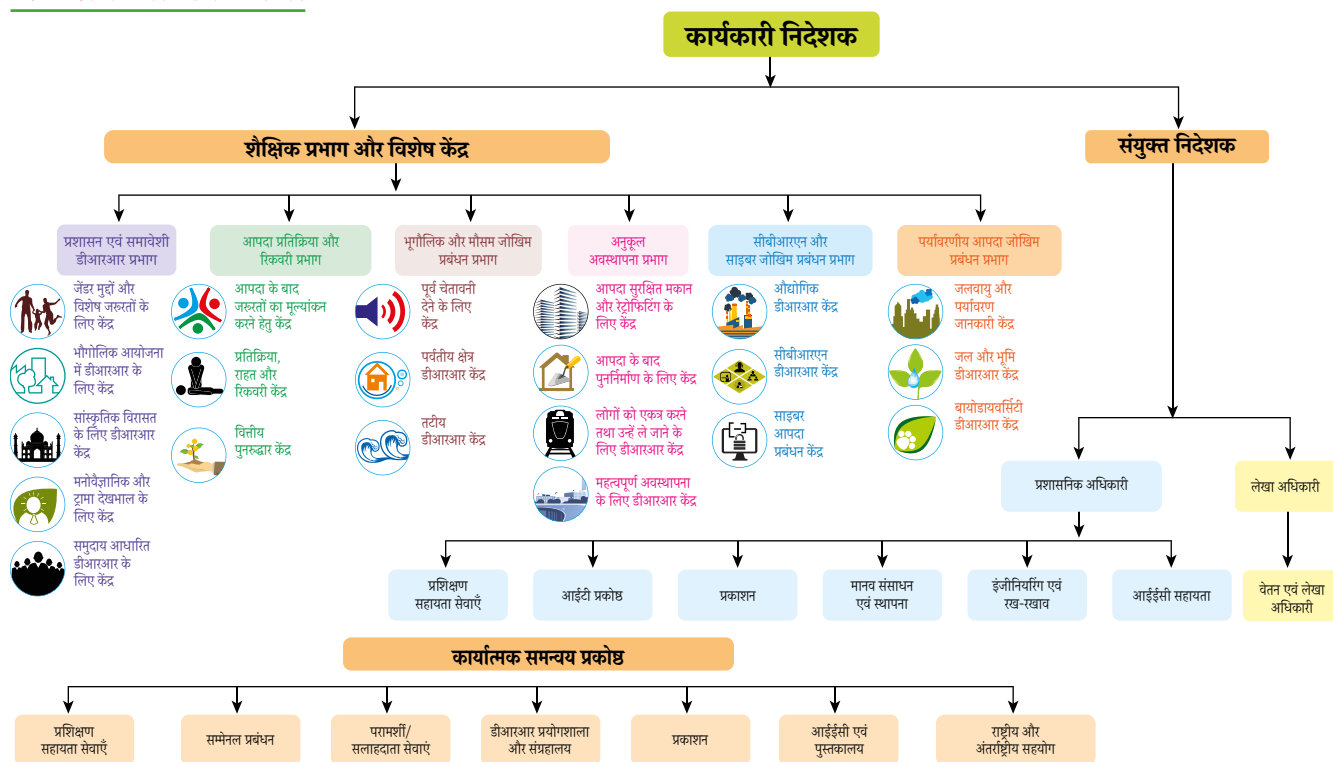
केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान की आम सभा के अध्यक्ष हैं और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं।

संस्थान में 42 सदस्य हैं जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों के अध्यक्षों के अलावा प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं (अनुलग्नक-I: संस्थान के सदस्यों की सूची)

संस्थान की एक शासी परिषद् है जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह सचिव संस्थान की शासी परिषद् के उपाध्यक्ष हैं। (अनुलग्नक-II: संस्थान की शासी परिषद् के सदस्यों की सूची)

संस्थान के छः प्रभाग और 21 विशेष केंद्र हैं जिनकी सहायता के लिए 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं। (चित्र 2.1):-

2.1 संगठनात्मक ढांचा



एनआईडीएम की सुनियोजित शैक्षिक और कार्यात्मक संरचना

चित्र 2.1

तालिका 2.1: एनआईडीएम के कार्यकारी अधिकारी

क) कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री बी.एच. अनिल कुमार, आईएएस	कार्यकारी निदेशक (02.04.2018 से 27.11.2018 तक)
2.	सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल, आईएएस	अपर सचिव (डी एम) गृह मंत्रालय एवं कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) (27.11.2018 से 12.03.2019 तक)
3.	श्री संजीव कुमार जिंदल	संयुक्त सचिव (डी एम) गृह मंत्रालय एवं कार्यकारी निदेशक (12.03.2019 से 31 मई, 2019 तक)

ख) संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	पदनाम
4.	श्री राजेश कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक (01.01.2016 से 31.07.2018 तक)

ग) प्रशासनिक अधिकारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
5.	श्री आशीष शर्मा	सेक्रेटरी-इन-कमांड (प्रशा.) (07.11.2017 से 31.10.2018 तक)
6.	श्री अनिल शेखावत	डिप्टी कमांडेंट (प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक)(07.02.2018 से 07.02.2019 तक) एनडीआरएफ से संबद्ध किए जाने पर
7.	श्री विक्रम गुर्जर	डिप्टी कमांडेंट (प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक)(07.02.2019 से आज तक) एनडीआरएफ से संबद्ध किए जाने पर

एनआईडीएम की प्रभाग-वार संकाय सूची तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: एनआईडीएम का संकाय

1. सीबीआरएन और साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)		
डॉ. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर		प्रमुख (25.07.2018 से)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	औद्योगिक डीआरआर केंद्र (आईएनडी)	डॉ. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर
ii.	सीबीआरएन डीआरआर केंद्र (सीबीआरएन)	डॉ. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर
iii.	साइबर आपदा प्रबंधन केंद्र (सीवाईडी)	डॉ. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर

2. आपदा प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रभाग (डीआरआरडी)

डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर	प्रमुख (25.07.2018 से)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i. आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन केंद्र (पीडीएनए)	डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर
ii. प्रतिक्रिया, राहत और रिकवरी केंद्र (आरआरआर)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर (25.10.2018 से)
iii. वित्तीय पुनरुद्धार केंद्र (एफआर)	डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर

3. पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम)

डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर	प्रमुख (25.07.2018 से)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i. जलवायु अनुकूलन और पर्यावरण केंद्र (सीआरई)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर (25.10.2018 से)
ii. जल और भूमि डीआरआर केंद्र (डब्ल्यूएलडी)	डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर (25.10.2018 से)
iii. वन और बायोडायवर्सिटी डीआरआर केंद्र (एफबीडी)	डॉ. ए. डी. कौशिक, अनुसंधान एसोसिएट

4. भूमि-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)

डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर	प्रमुख (25.07.2018 से)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i. पूर्व चेतावनी संचार केंद्र (ईडब्ल्यूसी)	डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर
ii. पर्वतीय क्षेत्र डीआरआर केंद्र (एचएडीआरआर)	डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर
iii. तटीय डीआरआर केंद्र (सीडीआरआर)	डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर

5. सुशासन और समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)

डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर	प्रमुख (25.07.2018 से)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i. जेंडर मुद्दों और विशेष आवश्यकताओं के लिए केंद्र (जीआईएन)	डॉ. अजिन्दर वालिया, सहायक प्रोफेसर
ii. भौगोलिक आयोजना में डीआरआर के लिए केंद्र (जीपीएल)	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर
iii. सांस्कृतिक विरासत केंद्र (सीएचआर)	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर

iv.	मनोवैज्ञानिक तथा ट्रॉमा देखरेख केंद्र (पीटीसी)	डॉ. अजिन्दर वालिया, सहायक प्रोफेसर
v.	समुदाय आधारित डीआरआर केंद्र (सीबीडीआरआर)	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर
6. अनुकूल अवस्थापना प्रभाग (आरआईएफडी)		
डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर		प्रमुख (25.07.2018 से)
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र		केंद्र के प्रभारी संकाय सदस्य
i.	आपदा सुरक्षित मकान और रेट्रोफिटिंग केंद्र (डीएसएचआर)	डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर
ii.	आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण केंद्र (पीडीआर)	डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर
iii.	जन एकत्रीकरण और परिवहन डीआरआर केंद्र (एमसीटी)	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर (25.10.2018 से)
iv.	महत्वपूर्ण अवस्थापना डीआरआर केंद्र (सीआईडी)	डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर
7. कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ		
i.	प्रशिक्षण सहायता सेवाएँ (टीसीएस)	i. श्री विक्रम गुर्जर, डिप्टी कमांडेंट (प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक)
ii.	सम्मेलन प्रबंधन (सीएफएम)	ii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक सहायक
iii.	परामर्शी/सलाहकार सेवाएँ (सीएसएस)	i. डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर ii. श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर (25.10.2018 से) iii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक सहायक
iv.	डीआरआर प्रयोगशाला और संग्रहालय (डीएलएम)	i. डॉ. चन्दन घोष, प्रोफेसर ii. डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर iii. सुश्री ऋतु सूद, प्रशासनिक सहायक
v.	प्रकाशन (पीयूबी)	i. डॉ. अजिन्दर वालिया, सहायक प्रोफेसर ii. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष iii. श्री राजीव कुमार, प्रशिक्षण सहायक
vi.	आईईसी और पुस्तकालय (आईईएल)	i. डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर ii. श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष

vii.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एनआईसी)	i. डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर ii. डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर iii. डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर (25.10.2018 से)
------	--	---

2.2 सामान्य प्रशासन

संस्थान का कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और शासी परिषद् के निर्देश और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। संस्थान के प्रशासन में मुख्यतया समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना और कार्मिक प्रबंधन, सुरक्षा, परिसर सहायता सेवाएं तथा कर्मचारियों का कल्याण शामिल है। यह कार्यक्रमों के सहज आयोजन के लिए आवश्यक अवस्थापना और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके संस्थान के शोध, प्रशिक्षण और परामर्शी कार्यों में मदद करता है। एनआईडीएम के कर्मचारियों की सूची तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री हेमंत कुमार	कंप्यूटर प्रोग्रामर
2.	श्री संतोष कुमार तिवारी	पुस्तकालयाध्यक्ष
3.	सुश्री ऋतु सूद	प्रशासनिक सहायक
4.	श्री अविनाश कुमार पाण्डेय	निजी सहायक
5.	श्री जे.एन. झा	कनिष्ठ अभियंता
6.	श्री एस.एस. बिष्ट	कनिष्ठ सहायक
7.	सुश्री अमृता गुप्ता	वैयक्तिक सहायक
8.	सुश्री संतोष मिश्रा	प्रशिक्षण सहायक
9.	सुश्री गीता शर्मा	प्रशिक्षण सहायक
10.	सुश्री मेघा कोहली	प्रशिक्षण सहायक
11.	श्री राजीव कुमार	प्रशिक्षण सहायक
12.	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
13.	सुश्री जया	पुस्तकालय अटेंडेंट
14.	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
15.	श्री विजय कनौजिया	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
16.	श्री पंकज कुमार	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

2.3 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

एनआईडीएम में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि एनआईडीएम के कर्मचारियों को हिंदी प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। विभिन्न आईईसी सामग्री जैसे पोस्टर, बुक मार्क, पैम्फलेट और वार्षिक रिपोर्ट आदि हिंदी में तैयार की गई है।



हिंदी दिवस के दौरान पुरस्कार वितरण

अध्याय

3

प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्याय 3: प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन के अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर जोर देना संस्थान के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के रूप में, एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रम, आपदा जोखिम में कमी के संबंध में विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों पर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम प्रदान करने की रीति के आधार पर इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

- i. आमने-सामने प्रशिक्षण
- ii. ऑनलाइन प्रशिक्षण
- iii. स्व-अध्ययन प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एनआईडीएम का 52 आमने-सामने प्रशिक्षण चलाने का प्रस्ताव था। अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान एनआईडीएम, नई दिल्ली और एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर ने 52 आमने-सामने प्रशिक्षण आयोजित किए जिनमें 1723 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनआईडीएम ने 19 राष्ट्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरे किए गए हैं जिनमें 146 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 3 ऑनलाइन पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

3.1 उद्देश्य

नीतियों में डीआरआर को मुख्य धारा के रूप में जोड़ने के लिए कौशल प्रदान करना, योजना और कार्यक्रम एनआईडीएम का एक प्राथमिक उद्देश्य है। एनआईडीएम आपदा प्रबंधन कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों, जो आपदा और विकास गतिविधियों में लगे हुए हैं, में केंद्रित और उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों से तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना और विकास कार्यों के ज्ञान को विस्तृत करना;
- केंद्र और राज्यों के विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की उभरती जरूरतों के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों और परामर्शों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी देना;
- दौरे द्वारा जानकारी, मामला अध्ययन और विकास के माध्यम से विकास कर्मियों के बीच व्यवहारिक बदलाव करना।

3.2 आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देने की रीति, लक्ष्य समूह और विषय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

3.2.1 आमने-सामने प्रशिक्षण

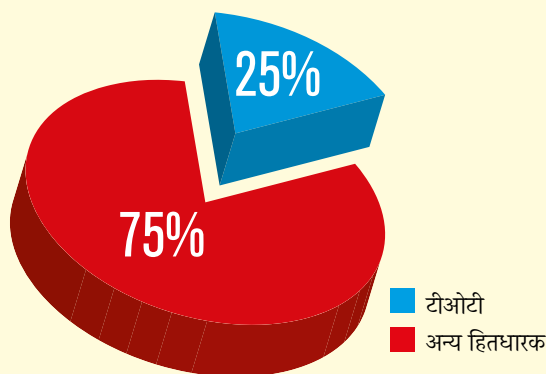
यह संस्थान एनआईडीएम में या राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई)/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आमने-सामने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। शैक्षिक प्रभागों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पक्षों पर चर्चा की जाती है।

लक्ष्य समूह के आधार पर आमने-सामने प्रशिक्षण दो प्रकार से दिया जाता है। ट्रेनर विकास कार्यक्रम (टीओटी) और सामान्य प्रशिक्षण। कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

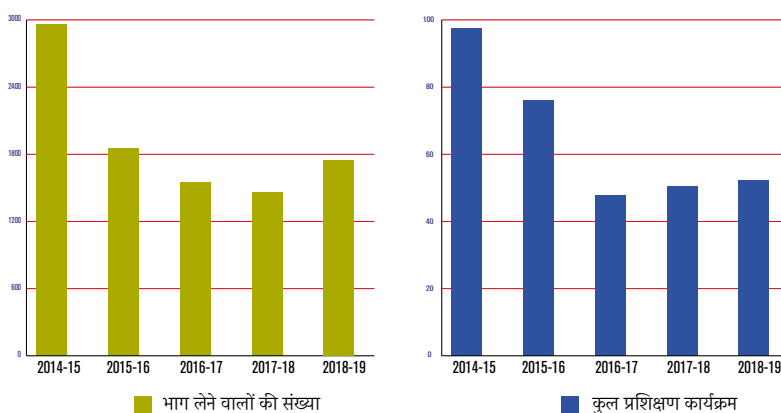
वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशिक्षित किए गए 1723 प्रशिक्षुओं में से 371 ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) में भाग लिया, 1352 ने अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 146 ने आपदा राहत के साथ जोड़े गए विभिन्न हितधारक क्षेत्रीय विभागों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया (तालिका 3.1)। इस प्रकार कुल आमने-सामने चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 25% प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) आधार पर थे और 75% प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों को दिए गए (चित्र 3.1)। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनआईडीएम द्वारा आयोजित चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तुलनात्मक विश्लेषण चित्र में दर्शाया गया है (चित्र 3.2)

तालिका 3.1: वर्ष 2018-19 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

प्रशिक्षण विवरण		प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)		अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	
कुल प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की कुल संख्या	कुल प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की कुल संख्या	कुल प्रशिक्षण	प्रतिभागियों की कुल संख्या
52	1723	13	371	39	1352



चित्र 3.1: 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

तालिका 3.2: पांच वर्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण


चित्र 3.2: बार चार्ट में पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाया गया है।

3.3 प्रशिक्षण विधि

विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और साथ ही कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशिक्षण तरीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण के तरीकों में शामिल हैं:

- व्याख्यान सह-विचार-विमर्श
- मामला अध्ययन प्रस्तुतीकरण
- कार्य का अभ्यास
- समूह विचार-विमर्श/अभ्यास
- फील्ड की जानकारी और अध्ययन दौरे
- पैनल विचार-विमर्श
- अनुकरण और भूमिका निभाना
- मेज़ पर अभ्यास

3.4 प्रतिभागियों की रूपरेखा

चूंकि एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन में लगे विभिन्न ग्राहक समूहों को शामिल किया गया है अतः प्रशिक्षुओं की प्रोफाइल निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

- सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी);
- सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू);
- शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, स्कूल शिक्षक और विश्वविद्यालय संकाय) ;
- ज्ञान भागीदार संस्थान;
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (सरकारी विभाग, यूएन एजेंसियां, आईएनजीओ);
- अवसंरचना व्यवसायिक (इंजीनियर, वास्तुक, निर्माण एजेंसियां आदि);
- सिविल समाज संगठन (आपदा प्रबंधन व्यावसायिक)।

3.5 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान विश्व बैंक के सहयोग से आपदा जोखिम प्रबंधन पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इन पाठ्यक्रमों में दूर बैठे प्रतिभागियों के लिए व्यवसायिक दिशा-निर्देशन के अधीन आपदा जोखिम के प्रबंधन और राहत के संबंध में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण सामग्री ऑनलाइन देखी जा सकती है और पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी भी समय प्रयोग करने के लिए डाउनलोड की जा सकती है। पंजीकृत प्रतिभागियों द्वारा सभी मॉड्यूल ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन और श्रव्य, चर्चा मंच, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण, अभ्यास और

एंड-ऑफ-कोर्स परियोजना शामिल है जिसका मूल्यांकन अनुभव प्राप्त पाठ्यक्रम सहायकों द्वारा किया जाता है। सफल होने वाले उम्मीदवारों को एनआईडीएम और विश्व बैंक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे कुल तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 146 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया (**अनुलग्नक-III**)

3.6 स्व-अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम सामान्य जनता के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन में कार्य और जिम्मेदारी निभाने वाले अन्य हितधारकों के लिए स्व-अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी अपनी सुविधा के अनुसार निःशुल्क देखे जा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य रुचि उत्पन्न करना और आपदा प्रबंधन पर जानकारी, कौशल और जागरूकता का स्तर बढ़ाना है। (**www.nidmssp.in**)

3.7 इंटरनशिप कार्यक्रम

हर वर्ष एनआईडीएम को शैक्षिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों/शोधकर्ताओं से विशेषकर गर्मी के महीनों में इंटरनशिप के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। इंटरनशिप के उद्देश्य हैं:-

- संबंधित विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर करने वाले इच्छुक व पात्र उम्मीदवारों को समग्र रूप से आपदा प्रबंधन प्रणाली और इसके विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और शोध में व्यवहारिक अनुभव लेने में मदद करना।
- छात्रों को उनके कौशल के परीक्षण के लिए नवाचार और नए विचारों तथा तकनीकों को शामिल करने का पर्याप्त अवसर देना।
- औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यवसायिक संस्थानों को एनआईडीएम और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी देना।
- एनआईडीएम में इंटरनशिप को एक नीति तैयार करके औपचारिक बनाया गया है। इंटरनशिप के लिए आवेदन विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं जिसके बाद बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पूरे देश के विभिन्न विषयों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों से इंटरन शोध कार्य के लिए चुने जाते हैं।
- वर्ष 2018-19 में चुने गए 15 इंटरन में से 13 इंटरन ने ज्वाइन किया और मेंटोर के रूप में विभिन्न संकाय सदस्यों के अधीन शोध कार्य पूरा किया। वर्ष 2018 के दौरान नियुक्त इंटरन की सूची **अनुलग्नक-IV** पर दी गई है।

अध्याय

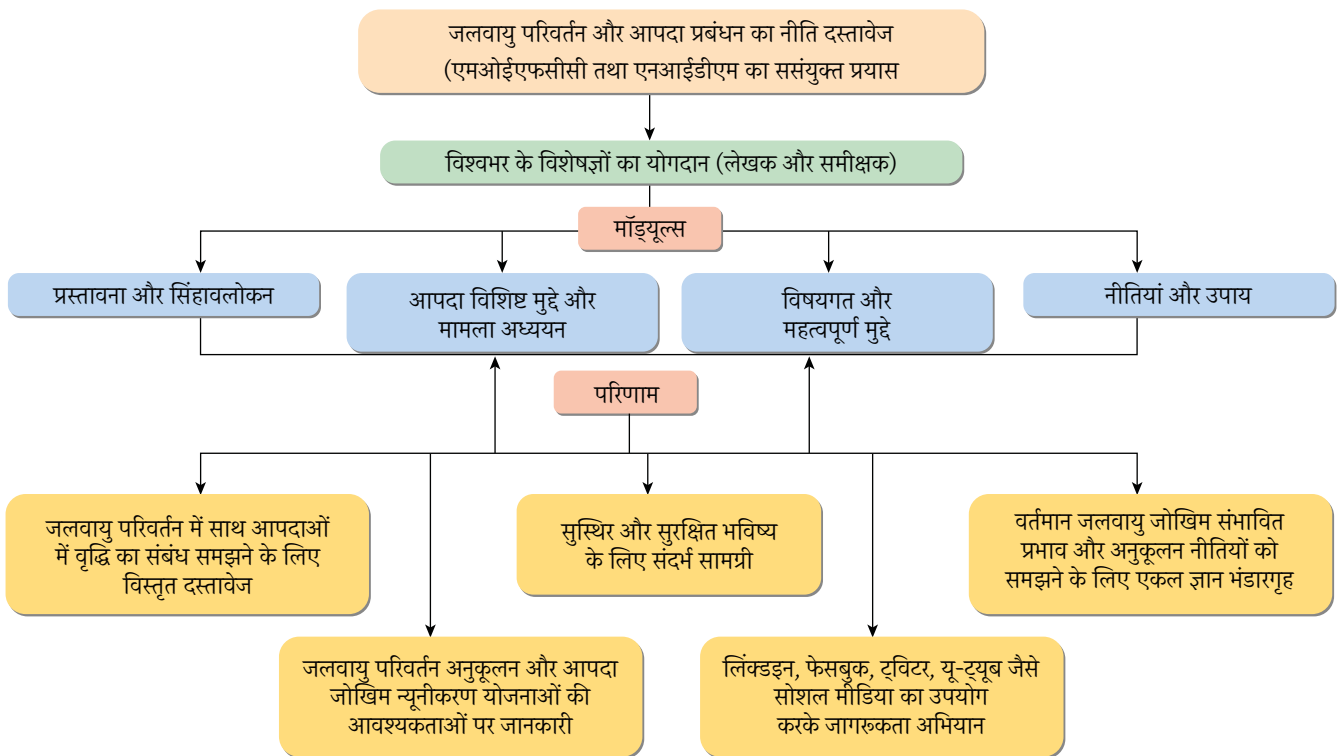
4

परियोजनाएं

अध्याय 4: परियोजनाएं

4.1 जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज (एमओईएफसीसी-एनआईडीएम)

इस परियोजना **जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन** पर नीति दस्तावेज का वित्तपोषण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा किया गया है जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में तेजी लाने में जलवायु परिवर्तन की भूमिका पर फोकस किया गया है और ऐसी नीतियां सुझाई गई हैं जिन्हें इन घटनाओं को रोकने और इनसे जुड़े जोखिम को कम करने के लिए अपनाया जा सकता है। इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केटोविस, पोलैंड में आयोजित होने वाले 24वें कांफ्रेंस ऑफ द पार्टिज (सीओपी 24) के दौरान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस कन्वेंशन का समर्थन करने वाले देश जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को कम करने के लिए अपनी नीतियों का प्रदर्शन करते हैं तथा वर्तमान प्रगति प्रस्तुत करते हैं। (चित्र 2 में सीओपी 2 में भारतीय पवेलियन दर्शाया) गया है। इस पुस्तक से भारत सरकार को जलवायु परिवर्तनों के साथ जुड़ी खतरनाक घटनाओं का सामना करने के लिए की गई प्रगति दर्शाने में मदद मिलेगी। **“जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर नीति दस्तावेज”** नामक पुस्तक में 29 अध्याय हैं जिन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है (i) प्रस्तावना और सिंहावलोकन (ii) आपदा विशिष्ट मुद्दे और मामला अध्ययन (iii) विषयगत और महत्वपूर्ण मुद्दे तथा (iv) नीतियां और उपाय (परियोजना ढांचा समझने के लिए कृपया चित्र-1 देखें)। इस पुस्तक में विश्व भर के लगभग 50 लेखकों और 20 समीक्षकों का योगदान है।



लक्ष्य और उद्देश्य:

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन संबंधी नीति दस्तावेज का उद्देश्य वर्तमान जलवायु खतरों की पहचान करना, इनका प्रबंधन करने के तरीके और इस संदर्भ में भारत की प्रगति दर्शाना है। इस परियोजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- भारत में जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े खतरनाक जोखिम की जानकारी पाठकों को देना
- शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करना कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार बढ़ती हुई आपदाओं से जुड़े हैं
- नीति निर्माताओं की जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतियां अपनाकर सुस्थिरता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में मदद करना
- भारत सरकार की जलवायु खतरों से जुड़े जोखिम को नियंत्रित करने में भारत की प्रगति दर्शाने में मदद करना
- विश्वभर के लेखकों और समीक्षकों को शामिल करके जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के पहलू पर विचारों, सुविज्ञता तथा जानकारी का आदान-प्रदान

मुख्य निष्कर्ष

- एकल ज्ञान भंडारगृह जिसका नीति-निर्माताओं द्वारा (नीति कार्यान्वयन के लिए), शोधकर्ताओं द्वारा (जलवायु परिवर्तन और आपदा के बीच संबंध समझने के लिए), भारत सरकार (प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में सभी को भारत के प्रयासों की जानकारी देने और दर्शाने के लिए) किया जा सकता है।
- इस पुस्तक के 4 मुख्य खंड तैयार करना जैसे (i) प्रस्तावना और सिंहावलोकन (ii) आपदा विशिष्ट मुद्दे और मामला अध्ययन (iii) विषयगत और महत्वपूर्ण मुद्दे (iv) नीतियां और उपाय।
- वर्तमान जलवायु मुद्दों पर कई विशेषज्ञों द्वारा किए गए व्यापक शोध का संकलन ताकि सभी भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता को समझ सकें।
- जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम के बीच सह संबंध की विस्तृत व्याख्या; पर्यावरण पर उनका प्रभाव, इन घटनाओं की संभावना तथा सुरक्षित व सुस्थिर विकास के लिए इन जोखिमों से निपटने के उपाय।

4.2 बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) यूनिट एनआईडीएम – दक्षिणी परिसर

सीसीडीआरआर के बारे में

प्रकृति और मनुष्य द्वारा आने वाली आपदाओं का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और महिलाएं होती हैं। तथापि, ऐसी खतरनाक घटनाओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान उस तरह नहीं किया जाता जैसा कि तैयारी और जागरूकता के संबंध में होना चाहिए। विशेष यूएन एजेंसियां, आईएनजीओ, बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय और राज्य एनजीओ बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) के लिए कार्रवाई करने हेतु शोध, प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रबंधन और

व्यवहारिक परामर्श तथा तकनीकी सहायता में उत्प्रेरक हो सकते हैं। सीसीडीआरआर के घटक प्रशिक्षण, शोध, प्रलेखीकरण और नीति परामर्श हैं। यूनीसेफ की प्रारंभिक वित्तीय सहायता के साथ एनआईडीएम दक्षिणी परिसर में एक केंद्र स्थापित किया गया है।

उद्देश्य:-

- राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य स्तर पर आपदा रोकने, उसकी तैयारी तथा इसके बुरे प्रभावों को कम करने के लिए अपने वर्तमान कार्यक्रमों और प्लानों को समायोजित करते हुए क्षमता में वृद्धि
- संसाधन जुटाने और जागरूकता के लिए उनके प्रयोग हेतु क्षमता आवश्यकताओं की पहचान करना और समुचित रूपरेखा तैयार करना
- एनआईडीएम दक्षिणी परिसर को राज्य सरकारों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियों, परोपकार संस्थाओं, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), यूएन एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी के लिए सहायता करना।
- जोखिम की जानकारी के साथ कार्यक्रम तैयार करने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ इनपुट प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण के समग्र लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना।

परिणाम

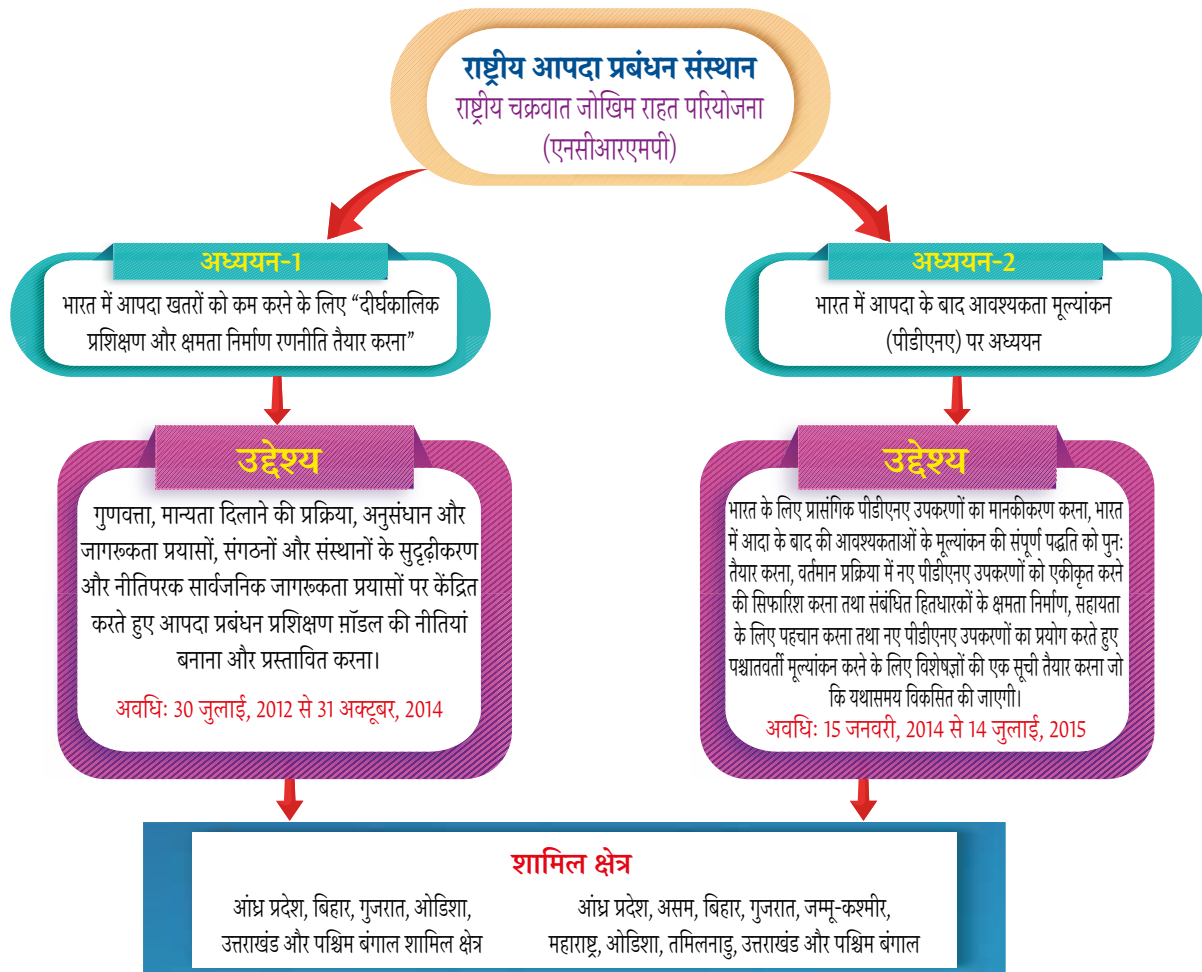
सीसीडीआरआर 10 राज्यों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण करेगा और एसएफडीआरआर तथा एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण नीति तैयार करेगा। एटीआई के 75 सदस्यों के साथ संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन और सीसीडीआरआर में 300 प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा डीआरआर/सीसी कार्यक्रमों में बच्चों और महिलाओं में मुद्दों का एकीकरण करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाई। क्षेत्र आधारित शोध-पत्र समय-समय पर प्रकाशित किए जाएंगे।

4.3 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम राहत परियोजना (एनसीआरएमपी)

एनआईडीएम को एनसीआरएमपी के घटक 'सी' के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। जिसका लक्ष्य केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर आपदा जोखिम में कमी (डीआरएम) का सुदृढ़ीकरण करना है ताकि जोखिम में कमी के उपायों को समग्र विकास कार्य सूची की मुख्य धारा में लाया जा सके। इस घटक के अंतर्गत एनआईडीएम द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों में शामिल हैं:- क) भारत में डीआरआर के लिए "दीर्घकालिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रणनीति तैयार करना" पर अध्ययन और ख) भारत में आपदा के बाद आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) पर अध्ययन।

एनआईडीएम ने भारत में डीआरआर के लिए दीर्घावधि प्रशिक्षण तैयार करने तथा क्षमता निर्माण नीति बनाने पर अध्ययन किया और इस अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-

1. प्रशिक्षण मॉड्यूल
 - I. पंचायती राज स्तर पर विकास योजना में डीआरआर मुख्य धारा में
 - II. ग्रामीण क्षेत्र में विकास नीतियों तथा कार्यक्रमों में डीआरआर मुख्य धारा में
 - III. नगर विकास योजना (सीडीपी) और उनकी कार्यान्वयन नीतियों में डीआरआर मुख्य धारा में



IV. जानकारी, नवाचार और शिक्षा द्वारा सुरक्षित और जागरूक संस्कृति का सृजन

V. अस्पताल आपदा प्रबंधन प्लान में डीआरआर मुख्य धारा में

VI. मीडिया रिपोर्टिंग – वरिष्ठ पत्रकार

VII. मीडिया रिपोर्टिंग – प्रवेश स्तर के पत्रकार

2. क्षमता निर्माण की स्थिति पर श्वेत पत्र

3. प्रत्यायन नीति

4. उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना

5. आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता तैयार करने के लिए मीडिया का उपयोग – मीडिया अभियान

एनआईडीएम वर्ष 2017 से इस अध्ययन के अधीन तैयार किए गए मॉड्यूल पर अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यकलापों के भाग के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अब एनआईडीएम ने एनसीआरएमपी के चरण-2 के अंतर्गत चरण-1 अध्ययन के परिणामों पर कार्रवाई शुरू करने के लिए एक परिचालन प्लान प्रस्तुत किया है। एनआईडीएम में इस प्लान पर विचार किया जा रहा है।

4.4 भारत के लिए आपदा के बाद की आवश्यकताओं का मूल्यांकन (पीडीएनए)

एनआईडीएम द्वारा शुरू किए गए एनसीआरएमपी के चरण-1 के अधीन दूसरा अध्ययन आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) है जिसका उद्देश्य भारत के लिए प्रासंगिक मानकीकृत पीडीएनए तैयार करना, नए पीडीएनए उपकरणों का वर्तमान प्रक्रिया में एकीकरण के लिए सिफारिशें देना, संबंधित हितधारकों की पहचान और क्षमता निर्माण/सहायता तथा नए पीडीएनए उपकरणों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की एक सूची तैयार करना जो बाद में यथासमय तैयार की जाएगी।

इस अध्ययन का उद्देश्य भारत के लिए वैज्ञानिक और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ निम्नलिखित दस प्रतिनिधि राज्यों-तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, गुजरात तथा महाराष्ट्र के लिए मानकीकृत पीडीएनए उपकरणों का विकास करना है।

यह अध्ययन निम्नलिखित परिणामों के साथ 2017 में पूरा किया गया

1. पीडीएनए उपकरण नियमावली
2. पीडीएनए पुस्तिका
3. पीडीएनए मानक परिचालन प्रक्रियाएं
4. प्रशिक्षक विकास के लिए टीओटी मॉड्यूल
5. व्यवसायिक विकास के लिए टीओटी मॉड्यूल
6. निजी क्षेत्र के लिए आवश्यकता मूल्यांकन हेतु पीडीएनए पुस्तिका
7. दीर्घ अवधि की रिकवरी योजना

इन परिणामों को एनडीएमए द्वारा अनुमोदित किया गया है। एनआईडीएम ने नए उपकरण का सांस्थानीकरण करने के उद्देश्य से अपने नियमित पाठ्यक्रमों के रूप में पीडीएनए पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए हैं। इस अध्ययन के अधीन विकसित उपकरण अपनी वैज्ञानिक अवधारणा के संबंध में वर्तमान तंत्र का मूल्य संवर्द्धन करते हैं और यह सही है कि इसके कारण अनौपचारिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के लिए तंत्र बाध्य हो जाता है। यह उपकरण हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों को प्रतिस्थापित नहीं करता। बल्कि यह ज्ञापन तैयार करने के लिए एक नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

4.5 एनआईडीएम-जेएनयू-आपदा शोध कार्यक्रम (डीआरपी) आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) 2018-19 के कार्यकलाप

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने संयुक्त शोध कार्यकलाप, सेमिनार, सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षिक बैठकों के लिए सहयोग करने तथा शैक्षिक सामग्री, डाटा और अन्य शैक्षिक तथा प्रशासनिक सूचना के आदान-प्रदान के लिए 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के लिए एक भाग के रूप में 27 अक्टूबर, 2017 को जेएनयू परिसर में समझौता ज्ञापन के मुख्य अधिदेश को पूरा करने हेतु आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र की स्थापना की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- 1) आपदा शोध पर सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोण संबंधी आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला: 5-18 फरवरी, 2018 एचआरडीसी, जेएनयू



- 2) आपदा तैयारी और राहत में सांस्थानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुदृढीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला: 16-18 फरवरी, 2018, एससीडीआर, जेएनयू



- 3) आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के सहयोग से क्षेत्रीय सहयोग और सांस्थानिक समन्वय पर फोकस करते हुए बाढ़ संधी पूर्व चेतावनी प्रणाली और समुदाय जागरूकता पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया: 27 अप्रैल, 2018, एससीडीआर, जेएनयू



- 4) एससीडीआर के सहयोग से इंस्टीट्यूशनल एथिक्स रिव्यू बोर्ड का शिक्षक दिवस वार्षिक व्याख्यान: 5 सितंबर, 2018, कंवेशन हॉल, जेएनयू



- 5) एससीडीआर ने कोलंबो यूनिवर्सिटी के सहयोग से गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया: 5-8 अक्टूबर, 2018, कोलंबो, श्रीलंका



- 6) एससीडीआर और कोलंबो यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए: 8 अक्टूबर, 2018, कोलंबो, श्रीलंका



- 7) एससीडीआर और स्काई मेट वैदर सर्विसेज के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए: 23 अक्टूबर, 2018, एससीडीआर, जेएनयू



- 8) केरल की बाढ़ 2018 पर रिपोर्ट का प्रकाशन: शासन और कानूनी अनुपालन: 26 अक्टूबर, 2018, कांस्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली



- 9) एससीडीआर ने तटीय क्षेत्र आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया: जीवन, मकान और आजीविका की रक्षा करना और **पुदुचेरी-दिल्ली घोषणा-पत्र** तैयार करना: 15-17 नवंबर, 2018, एससीडीआर, जेएनयू
- 10) एससीडीआर, जेएनयू, एनआईडीएम और डिजास्टर मैनेजमेंट, इनिशिएटिव्स एंड कंक्वर्सेंस सोसायटी (डीएमआईसीएस) ने मीडिया और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया: 6-7 दिसंबर, 2018 कांस्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली



4.6 अवस्थापना (रोहिणी और दक्षिणी परिसर)

4.6.1 रोहिणी, नई दिल्ली में एनआईडीएम के नए परिसर के अवस्थापना विकास की प्रगति



डीडीए ने एनआईडीएम का परिसर स्थापित करने के लिए प्लॉट सं. 15, ब्लॉक-बी, सेक्टर-29, रोहिणी में 2.87 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। गृह मंत्रालय ने एनआईडीएम का परिसर स्थापित करने के लिए 47.7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है और एनबीसीसी के माध्यम से कार्य करवाने का अनुमोदन दिया है।



31.03.2019 तक कार्य की वास्तविक प्रगति इस प्रकार है:

- क) प्रशासनिक ब्लॉक – कार्य पूरा किया गया।
- ख) हॉस्टल – ब्लॉक संरचना कार्य पूरा किया गया।
- ग) आवास टाइप-II, टाइप-III, टाइप-IV और V, टाइप-VI संरचना पूरी की गई।
- घ) फिनिशिंग कार्य, सीवरेज कार्य, सड़क कार्य और अग्नि-शमन कार्य आदि चल रहा है।

लगभग 70% वास्तविक प्रगति मार्च, 2019 तक कर ली गई है।

एनआईडीएम परिसर के निर्माण की वास्तविक प्रगति और क्वालिटी की निगरानी एक निगरानी समिति द्वारा की जा रही है जिसमें प्रो. चंदन घोष, डॉ. ए.के. गुप्ता, डॉ. ए. वालिया और एनआईडीएम के इंजीनियर जे.एन. झा तथा इंजीनियर दिनेश कुमार पूर्व-प्रभारी इंजीनियर एवं अध्यक्ष, इंजीनियर संस्थान, दिल्ली स्वतंत्र सदस्य के रूप में शामिल हैं।



4.6.2 आंध्र प्रदेश में एनआईडीएम दक्षिणी परिसर के अवस्थापना विकास की प्रगति



आंध्र प्रदेश सरकार ने एनआईडीएम दक्षिणी परिसर की स्थापना के लिए कोंडापोवल्लुरु गांव, गन्नावरम मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ भूमि आवंटित की थी। गृह मंत्रालय ने एनआईडीएम के परिसर की स्थापना के लिए 36.76 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी और एनबीसीसी के माध्यम से निर्माण कार्य करवाने हेतु अनुमोदन दिया। 31.03.2019 तक कार्य की वास्तविक प्रगति इस प्रकार है:-

क) प्रशासनिक भवन: बेसमेंट स्लैब का आरसीसी पूरा हो गया है और ग्राउंड फ्लोर कोलोन का आरसीसी कार्य चल रहा है।

- ख) हॉस्टल: ग्राउंड फ्लोर स्लैब का आरसीसी पूरा हो गया है और पहले तल स्लैब का काम चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर के लिए ईंटों का काम चल रहा है।
- ग) आवास टाइप-III, टाइप-IV, टाइप-V, फर्स्ट फ्लोर स्लैब का आरसीसी चल रहा है और ग्राउंड फ्लोर के लिए ईंटों का काम चल रहा है।
- घ) प्राथमिक उपचार केंद्र तथा जिम-पहले फ्लोर का आरसीसी, कॉलम पूरा हो गया है।
- ङ) चाहरदीवारी: लगभग 75% आरसीसी फुटिंग पूरी हो गई है और ईंटों की चिनाई चल रही है। मार्च, 2019 तक लगभग 35% वास्तविक प्रगति हो गई है।



एनआईडीएम के प्रो. चंदन घोष और इंजीनियर जे.एन. झा, एनडीआरएफ में सेकंड-इन-कमांडेंट, एनबीसीसी के एडिशनल जीएम और इंजीनियर्स संस्थान के स्वतंत्र सदस्य प्रो. पी.के. रामाराव के साथ संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा एनआईडीएम दक्षिणी परिसर के निर्माण की वास्तविक प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी की गई है।



अध्याय

5

ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यक्रमलाप

अध्याय 5: ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप

5.1 भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

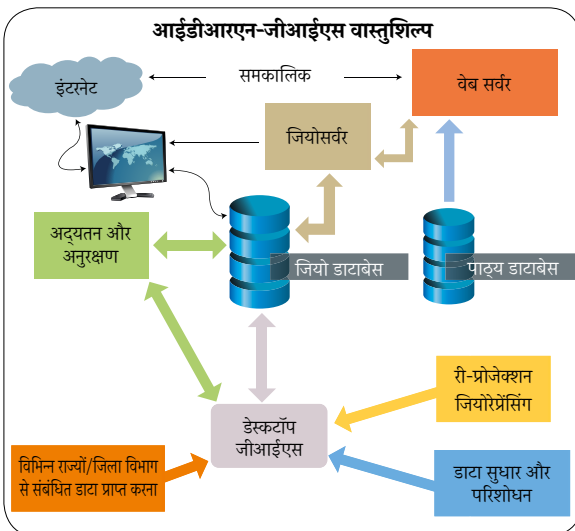
आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी। आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को वर्ष 2008 से आईडीआरएन की निगरानी और रख-रखाव का दायित्व सौंपा है।



चित्र 5.1 आईडीआरएन पोर्टल का होमपेज

5.1.1 आईडीआरएन प्रोन्नयन

आईडीआरएन पोर्टल की निगरानी और रख-रखाव एनआईडीएम द्वारा किया जाता है, पुनः तैयार किए गए पोर्टल के संबंध में अब तक निम्नलिखित कार्यकलाप पूरे किए गए हैं:



चित्र 5.2: आईडीआरएन पोर्टल की पुनःसंरचना

- आईडीआरएन पोर्टल पर किया गया सुरक्षा ऑडिट
- सुरक्षा ऑडिट के बाद एनआईडीएम क्लाउड पर अद्यतन आईडीआरएन पोर्टल
- नए आईडीआरएन पोर्टल वेबसाइट की पुनः संरचना तैयार करने का प्रस्ताव (चित्र 5.2)
- राज्यों और जिलों से डाटा संग्रहण और इसे नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए राज्य आरसी और जिला प्राधिकारियों को तिमाही में पत्र लिखे जा रहे हैं।
- आईडीआरएन प्रशासक विभिन्न राज्यों और जिलों से आईडीआरएन के संबंध में प्राप्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

5.2 प्रलेखीकरण और प्रकाशन

सूचना को संसाधन माना जाता है जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक परिसंपत्ति के रूप में सूचना का मूल्य तभी बढ़ता है जबकि इसका प्रभावी प्रबंधन किया जाए। एनआईडीएम का एक अधिदेश आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी सूचना को प्रभावी प्रबंधन करने के लिए निरंतर प्रयास करना है ताकि संस्थान के प्रशिक्षण, शोध और परामर्श कार्यकलापों में सहायता की जा सके। एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा दी जा रही सेवाएं इस प्रकार हैं:-

- पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा अन्य पठन सामग्री की प्राप्ति
- संदर्भ और संदर्भित कार्य
- परिचालन कार्य
- पुस्तकालय स्वचालन

एनआईडीएम पुस्तकालय ओपीएसी: <http://nidm.bestbookbuddies.com> देखें।

5.3 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

प्रत्येक वर्ष एनआईडीएम अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सरकार/हितधारकों की मदद के लिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षुओं का पूरा डाटाबेस रखा गया है ताकि इन प्रशिक्षुओं का आपदा तैयारी के लिए पता लगाया जा सके। यह सूचना एनआईडीएम की वेबसाइट URL: <http://nidm.gov.in/trainee.asp> पर 2009 से उपलब्ध है।

5.4 सूचना प्रसार

5.4.1 सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री

संस्थान को आपदा प्रबंधन और संबंधित पहलुओं पर सूचना प्रसार का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा नियमित रूप से एक मासिक समाचार पत्रिका और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मॉड्यूल आदि प्रकाशित किए जाते हैं। विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन पर सूचना और जागरूकता के लिए एनआईडीएम विभिन्न जागरूकता कार्यकलापों और कार्यक्रमों के साथ नियमित रूप से आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है। ये दस्तावेज एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें <http://nidm.gov.in/iec.asp> पर देखा जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा तैयार की गई आईईसी सामग्री का प्रयोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न हितधारकों द्वारा एनआईडीएम को उचित भुगतान के साथ किया जा सकता है और व्यापक प्रसार के लिए इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा तैयार की गई जागरूकता सामग्री का विवरण इस प्रकार है:-

i. स्कूल में अग्नि सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें



चित्र 5.3: स्कूल में अग्नि सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें

स्कूल में अग्नि आपदा के लिए क्या करें और क्या न करें के संबंध में विस्तृत सूचना और चित्र दर्शाते हुए अंग्रेजी भाषा में पैम्फलेट का प्रसार एनआईडीएम द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में किया गया है और कई बार विभिन्न समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है।

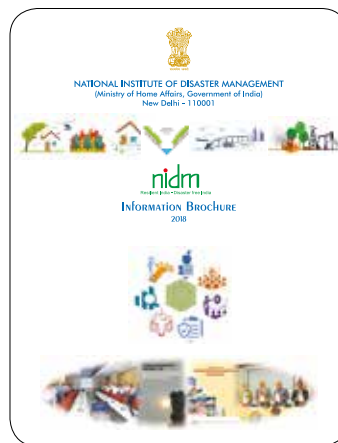
ii. सामान्य आपदा के लिए क्या करें और क्या न करें



चित्र 5.4: सामान्य आपदा के लिए क्या करें और क्या न करें

एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता अभियानों में भूकंप, बाढ़ आदि जैसी सामान्य आपदाओं से पहले, इसके दौरान और बाद में क्या करें और क्या न करें के साथ 16 पृष्ठों की एक पुस्तिका समय-समय पर वितरित की गई है और व्यापक प्रचार के लिए स्कूलों में भी बांटी गई है। इसका वितरण एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भी किया जाता है।

iii. एनआईडीएम सूचना : 2018



चित्र 5.5: एनआईडीएम सूचना पुस्तिका

एनआईडीएम पुस्तिका में संस्थान के बारे में, इसकी प्रबंधन संरचना, संस्थान का दृष्टिकोण और मिशन, इसके कार्य, प्रशिक्षण के प्रकार तथा संस्थान के विभिन्न अन्य कार्यकलापों से संबंधित सूचना दी गई है।

iv. वार्षिक रिपोर्ट 2017-18



चित्र 5.6: वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

एनआईडीएम की वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में संस्थान का दृष्टिकोण, मिशन, अधिदेश, संरचना, कार्य और मुख्य उपलब्धियां दी गई हैं। रिपोर्ट में आठ अध्याय नामतः सिंहावलोकन, संगठनात्मक व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजनाएं, ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता कार्यकलाप, मुख्य कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार, वित्त और लेखा है; और प्रशिक्षण/प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के प्रकार आदि के संबंध सूचीकरण कार्यकलाप और प्राप्त प्रगति दी गई है। ये उपलब्धियां नक्शों, चार्ट और चित्र के रूप में भौगोलिक, प्रतीकात्मक और कालिक प्रवृत्तियां दर्शाई गई हैं। पांच अनुबंध हैं जिनमें एनआईडीएम में और परिसर से बाहर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विस्तृत सूची, शासी परिषद् के सदस्यों की सूची आदि दी गई है।

v. लू (हीट वेव) व प्रलेखन

पिछले कुछ वर्षों में भारत में लू का चलना स्वास्थ्य, पर्यावरण या जल संबंधी एजेंसियों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए भी समान रूप से या उनसे अधिक गंभीर चुनौती



चित्र 5.7: लू (हीट वेव) प्रलेखन

बन गया है। पिछले 4 वर्षों में लू से 4,620 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। हाल ही में लू का चलना जल-मौसम संबंधी पर्यावरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई आपदा सूचित किया गया है कि और जोखिम अवधारणा, तैयारी तथा लू (हीट वेव) सिंड्रोम तथा स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभावों के संबंध में काफी कम ध्यान देखा गया है। काम से जुड़े परिवेश जहां गरीब और कमजोर वर्ग, निर्माण श्रमिक, फेरीवाले, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, आम जनता जो शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक केंद्रों, सड़कों, गांवों और ग्रामीण इलाकों में लू का शिकार बनते हैं। जीवन शैली में बदलाव-विशेषकर कपड़ों, भोजन, पेयजल के संबंध में, जोखिम को न समझना और स्थानीय सरकारों, लोगों और ठेकेदारों सहित संस्थानों तथा सिविल सोसाइटी द्वारा तैयारी की कमी तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ-साथ परंपरागत तरीकों और प्रथाओं को न मानने, अलनीनो और अर्बन हीट सिंड्रोम जैसे प्रभावों ने इन क्षेत्रों में मनुष्यों और अन्य जीव-जंतुओं पर लू के प्रभाव को बढ़ाया और जटिल बनाया है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जागरूकता – नगर, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पानी, गर्मी से संबंधित जोखिम प्रबंधन सहित ये सभी पहलू मुख्य चिंता का विषय हैं। लू (हीट वेव) जोखिम कार्य योजना पहले प्रायोगिक आधार पर तैयार की गई और बाद इसे दोहराया गया। ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने एक राज्य कार्य योजना तथा निगरानी तंत्र के माध्यम से समन्वित जिला और उप-जिला स्तर पर तैयारी के प्रयास किए हैं। शोध समूहों द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ एक माडल अध्ययन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हीट एक्शन प्लान अध्ययन भी किया गया है। ओडिशा और तेलंगाना राज्यों के लिए वर्ष 2016 के लिए लू (हीट वेव) के प्रलेखन पर वर्तमान अध्ययन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन अधिदेश के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों के संकाय सदस्यों के माध्यम से किया गया था। इन राज्यों से विस्तृत सूचना और डाटा एकत्र किया गया तथा इन अध्ययन राज्यों में संबंधित अधिकारियों तथा हितधारकों के साथ कार्यशाला/बैठकों के माध्यम से परामर्श अध्ययन किया गया। भारत और अन्य देशों में समुचित ढांचे की सिफारिश करने के साथ-साथ प्रमुख विभागों, एजेंसियों तथा हितधारकों के लिए मानक योजना की वर्तमान व्यवस्था और उससे संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई है।

vi. समाचार पत्रिका



चित्र 5.8: एनआईडीएम समाचार पत्रिका

एनआईडीएम का समाचार पत्रिका “टाइडिंग्स” मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसमें एनआईडीएम द्वारा नियमित रूप से आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार और कार्यशालाओं की सिफारिशें प्रकाशित की जाती हैं। आने वाले महीनों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पहले से प्रचार देने के अलावा इस समाचार पत्रिका में संकाय विकास, सफलता की कहानियां, दौरो और प्रतिनिधिमंडलों आदि के समाचार प्रकाशित किए जाते हैं।

अध्याय

6

मुख्य कार्यक्रम कार्यशालाएं/ सम्मेलन/ सेमिनार और बैठकें

अध्याय 6: मुख्य कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार और बैठकें

1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान एनआईडीएम के प्रशिक्षण कैलेंडर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, अन्य कार्यक्रमलाप इस प्रकार हैं।

6.1 कार्यशालाएं/सम्मेलन/सेमिनार

6.1.1 प्रोफेसर जाओ जिया होंग, नैशनल युनलिन यूनिवर्सिटी ऑफ एसएंडटी, ताइवान द्वारा, एनआईडीएम, नई दिल्ली में “औद्योगिक/रसायनिक जोखिम प्रबंधन नीतियों” पर शैक्षिक सेमिनार, 19 अप्रैल, 2018



चित्र:1 “औद्योगिक/रसायनिक जोखिम प्रबंधन नीतियों” पर सेमिनार, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 19 अप्रैल, 2018 को एनआईडीएम सम्मेलन हाल सं.2, द्वितीय तल, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, नई दिल्ली में शिक्षा उन्मुखी अतिथि वार्ता ‘औद्योगिक/रसायनिक जोखिम प्रबंधन नीतियां’ पर आयोजित की। प्रतिष्ठित प्रोफेसर प्रो. जाओ जिया होंग, नैशनल युनलिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी, हेल्थ एंड एंवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डालियु, ताइवान और प्रो. जे.पी. गुप्ता (आईआईटी, कानपुर में पूर्व प्रोफेसर तथा राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, बरेली के पूर्व कुलपति तथा गुजरात एनर्जी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति) को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस सत्र में

एनआईडीएम के संकाय सदस्यों के साथ एनडीएमए, फिक्की और एनडीआरएफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का समन्वय डॉ. अनिल कुमार गुप्त द्वारा किया गया।

6.1.2 आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) पूर्व चेतावनी प्रणाली और बाढ़ की जानकारी पर जेएनयू-एनआईडीएम राष्ट्रीय कार्यशाला-क्षेत्रीय सहयोग तथा समन्वय, 27 अप्रैल, 2018



चित्र:2 पूर्व चेतावनी प्रणाली और बाढ़ की जानकारी पर एससीडीआर-जेएनयू-एनआईडीएम राष्ट्रीय कार्यशाला: क्षेत्रीय सहयोग और समन्वय

आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से “क्षेत्रीय सहयोग और सांस्थानिक समन्वय पर फोकस के साथ पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा समुदाय को बाढ़ की जानकारी देने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला” का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला 27 अप्रैल, 2018 को एससीडीआर-जेएनयू में आयोजित की गई। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, ने मुख्य संबोधन किया और नीति आयोजना प्रभाग के प्रमुख डॉ. अनिल कुमार गुप्त “बाढ़ तैयारी, बीमा और सहयोग” सत्र

में एक प्रमुख वक्ता थे। एनआईडीएम संकाय सदस्य डॉ. अजिन्दर वालिया और डॉ. सुषमा गुलेरिया ने एनआईडीएम की ओर से प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाग लिया। संबंधित मंत्रालयों, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, सहित नीतिपरक एजेंसियों, जीईएजी, आईसीआईएमओडी, एआईडीएमआई, यूनीसेफ, यूएनडीपी और आपदा प्रबंधन पर अनेक स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा विषय पर विचार-विमर्श किया।

6.1.3 “फोर्जिंग पार्टनरशिप: आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के लिए क्षमता निर्माण” पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 21-22 मई, 2018



चित्र:3 एनआईडीएम दक्षिणी परिसर में “भागीदारी: डीआरआर के लिए क्षमता निर्माण” पर राष्ट्रीय कार्यशाला

एनआईडीएम ने एपीएचआरडीआई, आंध्र प्रदेश सरकार और यूनीसेफ के सहयोग से 21-22 मई, 2018 “भागीदारी: डीआरआर के लिए क्षमता निर्माण” पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच भागीदारी द्वारा राज्य संस्थानों (विशेषकर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों) की क्षमता बढ़ाकर भारत को एक आपदा जागरूक देश बनाना था। इस कार्यशाला का आयोजन प्रो. संतोष कुमार, डॉ. आमिर अली खान और श्री शेखर चतुर्वेदी ने किया।

6.1.4 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एनआईडीएम द्वारा शुरू की गई ‘व्याख्यान श्रृंखला’, 7 जुलाई, 2018



चित्र:4 आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में “व्याख्यान श्रृंखला”

आपदा प्रबंधन का विषय सभी क्षेत्रों को कवर करता है और इसके लिए बहुक्षेत्रीय और बहु-हितधारक सहभागिता अपेक्षित है और अतिथि वक्ताओं के विचार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारे दृष्टिकोण और मिशन दोनों को व्यापक और सबकी पहुंच के भीतर बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी बातचीत से प्रतिष्ठित और विख्यात लोगों की ओर से वास्तविक दुनिया के अनुभवों का पता चलता है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने “व्याख्यान श्रृंखला” का प्रारंभ किया ताकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र से प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के शिक्षाप्रद विचारों से अवगत हुआ जा सके। इस श्रृंखला का आयोजन हर महीने एक बार किया जाएगा और पहला व्याख्यान 7 जुलाई,

2018 को एनडीएमसी कंवेन्शन सेंटर, नई दिल्ली में किया गया। व्याख्यान श्रृंखला के पहले वक्ता श्री आर. के. भंडारी, अध्यक्ष, आपदा राहत फोरम, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली थे जिन्होंने “भारत की दो बड़ी भूस्खलन घटनाओं और आपदा प्रबंधन पर सबक” शीर्षक पर अपना अनुभव साझा किया। इस व्याख्यान में लगभग 40 लोगों ने भाग लिया जो आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित फील्ड प्रेक्टिशनर, स्वतंत्र परामर्शदाता, शोधकर्ता, निजी क्षेत्र, सरकारी विभाग आदि शामिल थे।

6.1.5 “प्रधानमंत्री का एजेंडा 10: केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के आपदा प्रबंधन प्लान पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला”, 17-18 जुलाई, 2018



चित्र:5 “प्रधानमंत्री का एजेंडा 10” केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का आपदा प्रबंधन प्लान पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला

आयोजित ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यशाला को ध्यान में रखना और आपदा पुनरुद्धार के मुद्दे से संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में 7वें एशियन मिनिस्ट्रियल सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए, आपदा जोखिम से निपटने और सुस्थिर विकास के मुद्दे पर अपने अनुभव से विविध चुनौतियों का एकीकृत रीति में सामना करने के लिए 10 बिंदुओं का एक एजेंडा दिया। दूसरे राष्ट्रीय मंच (जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की) द्वारा सिफारिश किए गए बिंदुओं ने एक रूपरेखा <http://www.npdr2-mha.net.in/Second Meeting of National Platform-for-Disaster Risk – Reduction.pdf> तैयार की। वर्तमान चुनौतियों, एकीकृत पुनरुद्धार की आवश्यकता, नीतियों तथा अवसरों और इन विषयों पर एनआईडीएम द्वारा

6.1.6 “हिमालय और आपदा जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां” पर एनआईडीएम व्याख्यान श्रृंखला-2, 4 अगस्त, 2018



चित्र:6 श्री चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा “हिमालय और आपदा जोखिम प्रबंधन की चुनौतियां” पर एनआईडीएम व्याख्यान श्रृंखला-2

अगस्त, 2018 को इंडिया हेबीटेड सेंटर में किया गया। श्री चंडी प्रसाद भट्ट ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को एक अत्यधिक समकालीन मुद्दे: “हिमालय के खतरे और आपदा प्रबंधन की चुनौतियां” पर संबोधित किया। इस वार्ता में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 65 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिमालयी राज्यों के रेजीडेंट कमिश्नर के साथ-साथ अन्य इच्छुक प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने विकास, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों/व्यावसायिकों / शिक्षाविदों / सिविल सोसायटी / वैज्ञानिकों के लिए एक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की है। इस व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य आपदा जोखिम के मुद्दों, चुनौतियों और न्यूनीकरण नीतियों के बारे में प्रतिनिधिमंडलों को सूचित एवं जागरूक करना तथा जोखिम कम करने एवं सुस्थिर विकास के लिए कुछ व्यवहारिक समाधानों के बारे में बताता है। पहाड़ किसी देश का महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो पहाड़ों और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की निर्धनता या समृद्धि के निर्धारक हैं। दूसरी व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन 4

6.1.7 “बाढ़ जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में जलाशय संचालन कार्यकलाप” पर व्याख्यान श्रृंखला-3, 8 सितंबर, 2018

हाल ही की केरल की बाढ़ (14-22 अगस्त, 2018) को देखते हुए विशेषज्ञ समूहों और मीडिया द्वारा विशेषकर क्षति और हानि में बांध की भूमिका परिभाषित करने में अनेक मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। भारत सरकार ने इसे “गंभीर प्रकृति की आपदा” घोषित किया



चित्र:7 “बाढ़ जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में जलाशय संचालन”
पर आईएचसी में आयोजित व्याख्यान शृंखला-3

जिसे केरल में 1924 में आई गंभीर बाढ़ के बाद आने वाली सबसे विनाशक बाढ़ माना गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए विभिन्न स्थानों पर 3,274 से ज्यादा राहत शिविर खोले गए। अनुमान है कि इन शिविरों में 1,247,496 लोगों को आश्रय मिला। 15 अगस्त को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय यातायात दृष्टि से भारत का चौथा व्यस्ततम और राज्य का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था और रनवे पर बाढ़ के कारण 29 अगस्त तक सारी फ्लाइट निलंबित करनी पड़ी।

हालांकि समस्याएं अनेक हैं, केवल देश की नोडल एजेंसियों और नीति निर्माताओं द्वारा आपदा पश्चात् तथ्यों और संख्या निर्धारित करना व्यर्थ होगा। मीडिया और

सामाजिक क्षेत्र में अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। 1995 के बाद से भारत में आपदा प्रबंधन के इतिहास में बचाव और राहत प्रक्रिया के नए आयाम खुले। केरल के लोगों द्वारा प्राप्त तर्कों और परस्पर सांस्कृतिक अनुकूलन अद्वितीय रहा। बचाव एजेंसियों, स्वैच्छिक संगठनों, विशेषकर मछुआरा समुदाय द्वारा अनेक उपलब्धियां प्राप्त की गईं। इस स्थिति में एनआईडीएम ने बाढ़ जोखिम प्रबंधन के संदर्भ में जलाशय संचालन विषय पर श्री हिमांशु ठक्कर, संयोजक, एसएएनडीआरपी द्वारा 8 सितंबर, 2018 को व्याख्यान की योजना बनाई। श्री हिमांशु ठक्कर आईआईटी, मुंबई के इंजीनियर हैं। वर्तमान में वे साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (एसएएनडीआरपी) के संयोजक हैं। वे विगत में वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्य से जुड़े रहे हैं। वे 25 से ज्यादा वर्षों से जल क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रो. संतोष कुमार, प्रो. चंदन घोष और डॉ. सूर्य प्रकाश के साथ एनआईडीएम टीम ने 31 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक केरल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तत्पश्चात्, एनआईडीएम की ओर से प्रो. चंदन घोष ने फील्ड दौरे पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

संदर्भ:

1. बांध का औचित्य प्रस्तुत करने का लाभ/उद्देश्य यह है कि इससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। परंतु प्रत्येक बांध, यदि सही परिचालन न किया जाए, तो बाढ़ के विनाश का संभावित स्रोत बन जाता है।
2. प्रत्येक बांध बाढ़ नियंत्रण में मदद कर सकता है जब तक कि बाढ़ का पानी सोखने/संग्रहण के लिए बांध में स्थान हो।
3. बांध का पानी रोकने, रीचार्ज करने और निचली धारा में पानी के प्रवाह को विलंबित करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है और बाढ़ प्रबंधन में इस क्षमता में आने वाले परिवर्तन पर भी ध्यान देना चाहिए।
4. चूंकि बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नतम स्तर अपेक्षित है जबकि हाइड्रोपावर सिंचाई और पानी की सप्लाई के लिए अधिकतम स्तर की जरूरत है इसलिए बाढ़ नियंत्रण को प्रभावित करने की संभावना अधिक होती है क्योंकि अन्य उद्देश्यों में राजस्व सृजन संभावनाएं हैं।
5. बांध बाढ़ नियंत्रण का अधिकतर स्तर प्रदान करें न कि विनाश, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नियंत्रण और संतुलन है।

चर्चा किए गए मुख्य विषय:

- हाल ही की केरल बाढ़ में बांध की भूमिका
- क्या बांध से बाढ़ का तरीका बदलता है?
- क्या नदी के ऊपरी सिरे पर विशाल संग्रहण बांध बनाने से बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है?
- बाढ़ जोखिम प्रबंधन में जलाशयों के बेहतर संचालन के लिए क्या नियंत्रण और संतुलन विद्यमान हैं?
- 2017 में भारत के महालेखा नियंत्रक की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि केरल के एक भी बांध में आपदा प्रबंधन के लिए आपातकालीन कार्य योजना नहीं है। न ही इनमें से किसी बांध के लिए मानसून से पहले और बाढ़ में सुरक्षा निरीक्षण किया गया है।
- परंपरागत जल प्रवाह क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना और अतिरिक्त पानी को सहजता से महासागर में जाने देना।
- मानसून द्वारा प्रभावित अधिकांश क्षेत्रों को पश्चिम घाट इकोलॉजी विशेषज्ञ पैनल, गाडगिल समिति द्वारा पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रेणीकृत किया गया था।
- जागरूकता के लिए क्या समाधान उपयुक्त हैं?

निष्कर्ष:

- सैद्धांतिक रूप से संग्रहण से बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है और प्रत्येक बांध यदि उसमें पानी के बहाव को सोखने/संग्रहण का स्थान हो तो बाढ़ नियंत्रण में मदद कर सकता है। परंतु यदि सही ढंग से परिचालन न किया जाए तो प्रत्येक बांध विनाशकारी बाढ़ का संभावित स्रोत हो सकता है।
- चूंकि बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्नतम स्तर अपेक्षित है जबकि हाइड्रोपावर, सिंचाई और जल सप्लाई के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि अन्य उद्देश्यों में राजस्व सृजन शामिल है।
- बांध इष्टतम स्तर तक बाढ़ नियंत्रण में मदद करें और आपदा न लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नियंत्रण और संतुलन निर्धारित करना।
- बांध द्वारा छोड़े गए पानी से निचले क्षेत्र में बाढ़ नदी में बांध के पहले आई बाढ़ से भिन्न है।
- बांध द्वारा छोड़ा गया पानी अचानक से बाढ़ ले आता है।
- बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण जो क्षति होती है वह नदी में धीरे-धीरे पानी बढ़ने के कारण होने वाली क्षति से काफी ज्यादा होती है।

6.1.8 “नीतियां और मूल्य” पर कार्यशाला, 3 अक्टूबर, 2018



चित्र:8 “नीतियां और मूल्य” पर कार्यशाला

इस कार्यशाला की एनआईडीएम के सभी संकाय और स्टाफ सदस्यों ने सराहना की और प्रस्ताव किया कि भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।

एनआईडीएम अधिकारियों के लिए 3 अक्टूबर, 2018 को “नीतियां और मूल्य” पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। रिसोर्स पर्सन श्री कृष्ण मोहन, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने श्रोताओं को जानकारी दी और जीवन में नीतियों तथा नैतिक मूल्यों की संकल्पना के बारे में बताया। इसके साथ ही, इन्होंने वास्तविक दृष्टान्तों की मदद से नीतियों और उच्च नैतिक मूल्यों का महत्व स्पष्ट किया। यह कार्यशाला चर्चा और अनुभव साझा करने के साथ समाप्त हुई। इस कार्यशाला में एनआईडीएम के संकाय और स्टाफ सदस्यों के साथ श्री बी.एच. अनिल कुमार, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने भाग लिया।

6.1.9 सुस्थिर विकास लक्ष्य, शासन और आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, कोलंबो, श्रीलंका, 6-7 अक्टूबर, 2018



चित्र:9 कोलंबो, श्रीलंका में 6-7 अक्टूबर, 2018 को सुस्थिर विकास लक्ष्य, शासन और आपदाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

सुस्थिर विकास लक्ष्य (एसडीजी) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) का उद्देश्य समुदाय और संसाधनों की भलाई और जागरूकता के माध्यम से स्थायी विकास करना है। इन क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है और एसडीजी तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण और राहत के लिए अलग-अलग कार्य करने की अपेक्षा वांछित दिशा में समन्वित प्रयास करना जरूरी है। इस संदर्भ में आपदा शोध विशेष केंद्र (एससीडीआर), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी ऑफ जयवर्द्धनेपुरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर-वेस्टर्न प्रेवेंस, श्रीलंका, नेटवर्क ऑफ एशिया पेसिफिक स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनएपीएसआईपीएजी) तथा एल्युमनाई एसोसिएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एएपीए) के साथ कोलंबो, श्रीलंका में 6-7 अक्टूबर, 2018 को “सुस्थिर विकास लक्ष्य, शासन और आपदाओं” पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। एससीडीआर और यूनिवर्सिटी ऑफ जयवर्द्धनेपुरा, श्रीलंका ने कार्यशाला में भाग लेने के लिए एनआईडीएम संकाय को आमंत्रित किया। एनआईडीएम प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, श्री बी.एच. अनिल कुमार, आईएएस ने की जिसमें निम्नलिखित एनआईडीएम संकाय भी शामिल थे:



चित्र:10 उद्घाटन सत्र के दौरान दीप प्रज्ज्वलन

1. डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय, सहायक प्रोफेसर
3. डॉ. अजिन्दर वालिया, सहायक प्रोफेसर
4. डॉ. सुषमा गुलेरिया, रिसर्च एसोसिएट

योगदान:

6 अक्टूबर, 2018 को आयोजित “सुस्थिर विकास पर सर्वोत्तम व्यवहारों के लिए सीखने योग्य सबक” पर विचारक सत्र में श्री बी. एच. अनिल कुमार एक रिसोर्स पर्सन थे। उन्होंने एसडीजी को डीआरआर से संबद्ध करने की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय क्षमता निर्माण पर विशेष बल देते हुए डीआरआर में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर भी बात की। वे 7 अक्टूबर, 2018 को होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विचारक सत्रों के मुख्य वक्ता भी थे।



चित्र:11 श्री बी.एच. अनिल कुमार, आईएस, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम उद्घाटन संबोधन प्रस्तुत करते हुए

डॉ. अनिल कुमार गुप्त, डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय और डॉ. सुषमा गुलेरिया ने “आपदा, कृषि और कृषि समुदाय पर सार्वजनिक नीति” विषय पर विचारक सत्र में वक्ता के रूप में भाग लिया। डॉ. अनिल कुमार गुप्त ने पर्यावरण नीतियों, एसडीजी और प्रधान मंत्री के डीआरआर संबंधी 10 बिंदु एजेंसी के बीच संबंध पर प्रकाश डाला। डॉ. सुषमा गुलेरिया ने प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में भारत में वर्तमान कृषि संकट के बारे में बात की। उन्होंने कृषि संकट से निपटने के लिए एक तदर्थ और विभाजित दृष्टिकोण की बजाय एकीकृत दृष्टिकोण की सिफारिश की। डॉ. चंद्राणी ने प्रवसन पर कृषि संकट के प्रभाव पर चर्चा की जिसके परिणामस्वरूप अर्द्ध शहरी केंद्रों में अनियोजित आवास बढ़ा है। डॉ. अजिंदर वालिया ने “जेंडर, आपदा और एसडीजी” पर विचारक सभा में व्याख्यान दिया। उन्होंने आपदाओं के जेंडर

संबंधी दीर्घकालीन प्रभावों पर अध्ययन करने तथा आपदा जोखिम प्रबंधन में ट्रांसजेंडर आबादी के समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया। अंततः डॉ. अनिल गुप्ता ने 8 अक्टूबर, 2018 को युनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो द्वारा आयोजित शैक्षिक सेमिनार में देश में डीआरआर क्षमता निर्माण और इसे मुख्य धारा में लाने के लिए एनआईडीएम द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला।



चित्र:12 एक सत्र के दौरान एनआईडीएम के प्रतिनिधि



चित्र:13 युनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में एनआईडीएम-एससीडीआर टीम

एनआईडीएम प्रतिनिधिमंडल ने अपने संबंधित सत्रों में प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करके अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिनिधियों के साथ अपने अनुभव और सुविज्ञता साझा की तथा एसडीजी और डीआरआर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में शैक्षिक विचार विकास प्रक्रिया में अपना योगदान दिया और उसका संवर्द्धन किया। संकाय सदस्य एससीडीआर द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक पुस्तक के लिए नवंबर अंत तक निर्दिष्ट विषय पर एक पत्र प्रस्तुत करके अपने शैक्षिक योगदान को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिनिधियों की भागीदारी ने एनआईडीएम और एससीडीआर के बीच सांस्थानिक संबंध दृढ़ किया जो देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इससे दोनों ही संस्थानों को डीआरआर के लिए प्रधान मंत्री के 10 बिंदु कार्य सूची प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसमें “आपदा विषयों पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करने” (एजेंडा 6) की बात की गई है। कार्यशाला के अंत में भारत और श्रीलंका में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एससीडीआर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

परिणाम



चित्र:14 युनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में दौरे के दौरान एनआईडीएम-एससीडीआर टीम

1. एससीडीआर द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी जिसमें एनआईडीएम संकाय सदस्यों का शैक्षिक योगदान होगा।
2. एससीडीआर और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, श्रीलंका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें विश्वविद्यालयों द्वारा दोनों देशों के लिए डीआरआर के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा।
3. एनआईडीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विकास में डीआरआर का क्षमता निर्माण और इसे मुख्य धारा में लाने के लिए संस्थान द्वारा दिए गए पहल प्रयास साझा किए।
4. यह भारत में डीआरआर पर प्रधानमंत्री के 10 बिंदु एजेंडा के एजेंडा संख्या 6 और एजेंडा संख्या 10 की प्राप्ति की ओर एक कदम था।

6.1.10 ऐतिहासिक नगरों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला: भवन की जानकारी के लिए एक ढांचा, अहमदाबाद, 25-26 सितंबर, 2018

एनआईडीएम और अहमदाबाद नगर निगम ने ऐतिहासिक नगरों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला: जागरूकता के लिए फ्रेमवर्क अहमदाबाद में 25-26 सितंबर, 2018 पर आयोजित की गई जो भारत में पहला यूनेस्को विश्व विरासत शहर है। कार्यशाला का उद्देश्य ऐतिहासिक नगरों में बढ़ते हुए जोखिम, शासन उपकरणों तथा आयोजन प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए विरासत संरक्षण, शहरी आयोजना तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को एक साथ लाना था। इस कार्यशाला में 65 विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया।



चित्र:15 ऐतिहासिक नगरों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला: जागरूकता के लिए फ्रेमवर्क अहमदाबाद

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री कमल किशोर, सदस्य एनडीएमए ने किया। श्रीमती बिजलबेन पटेल, अहमदाबाद की मेयर सम्मानित अतिथि थीं। उप मेयर श्री दिनेशभाई मकवाना, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री अमूलभाई भट्ट और नगरपालिका आयुक्त श्री विजय नेहरा, आईएसएस विशेष आमंत्रित थे। एनआईडीएम की ओर से प्रो. संतोष कुमार ने कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व किया और डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय इस कार्यशाला की संयोजक थीं। वक्ताओं ने अहमदाबाद विशेष हेरीटेज नगर के संबंध में विशेष पहल का स्वागत किया और सुझाव दिया कि इस पहल को अन्य नगरों में भी शुरू करना जरूरी है।

कार्यशाला के तीन तकनीकी सत्र थे यथा ऐतिहासिक नगर: आपदा जोखिम प्रबंधन का महत्व और समस्याएं, ऐतिहासिक शहरी भूदृश्यों के विकास की चुनौतियां और अवसर तथा भारत में ऐतिहासिक नगरों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क।

दूसरे दिन, प्रातः पुराने शहर की हेरीटेज सैर और अग्निशमन उपकरणों का प्रदर्शन किया गया जिसके बाद ऐतिहासिक नगरों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन आयोजन के लिए प्रेसेंटेशन दी गई तथा चर्चा की गई। ऐतिहासिक नगरों की जटिल प्रकृति के कारण आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आयोजना बनाना काफी महत्वपूर्ण है। एक खुली चर्चा की गई जहां कार्यशाला के दौरान प्राप्त व्यापक सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन्हें मान्यता दी गई। सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा भागीदारों ने इस प्रयास की एनआईडीएम द्वारा अन्य ऐतिहासिक नगरों तक ले जाने की बात दोहराई।

6.1.11 “आपदा प्रबंधन के प्रति वॉटरशेड दृष्टिकोण” पर एनआईडीएम व्याख्यान श्रृंखला-4, 13 अक्टूबर, 2018



चित्र:16 नालंदा हॉल, डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में “वॉटरशेड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट” पर व्याख्यान श्रृंखला-4

शनिवार, 13 अक्टूबर, 2018: एनआईडीएम ने प्रतिष्ठित और विख्यात वक्ताओं द्वारा उनके विचार और अनुभव तथा उनका योगदान आपदा प्रबंधन समुदाय और व्यवसायिकों के साथ साझा करने के लिए विशेष व्याख्यान देने के लिए अपनी व्याख्यान श्रृंखला जारी रखी। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पहला व्याख्यान डॉ. आर के भंडारी, सम्मानित भूस्खलन विशेषज्ञ ने दिया जिन्हें भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और जागरूकता के लिए उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वॉर्नर मेडल मिला; दूसरा व्याख्यान श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी, प्रसिद्ध वरिष्ठ पर्यावरणविद् और पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार विजेता ने दिया जिन्होंने हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की नीतियों पर

वक्तव्य दिया। तीसरा व्याख्यान श्री हिमांशु ठक्कर द्वारा दिया गया जिन्होंने हाल ही की केरल बाढ़ के संदर्भ में रिजर्वायर ऑपरेशन और बाढ़ प्रबंधन पर वक्तव्य दिया। 13 अक्टूबर, 2018, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (आईडीडीआर 2018) को संस्थान ने डॉ. राजेंद्र सिंह, जिन्हें आमतौर पर भारत के जल पुरुष कहा जाता है और जिन्हें वर्षा जल के संचयन और वॉटरशेड प्रबंधन में उनकी

समुदाय आधारित प्रथाओं के लिए रेमन मेगासे पुरस्कार तथा स्टॉकहोम वॉटर प्राइज विनर (ऐसा पुरस्कार जिसे “नोबल प्राइज फॉर वॉटर” कहा जाता है) के साथ-साथ यूके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जैनालॉजी से इंटरनेशनल अहिंसा अवार्ड मिला है, को आमंत्रित किया। उन्होंने राजस्थान के अत्यधिक और कम सूखे क्षेत्रों में जोहाद, वर्षा जल संग्रहण टैंक, चैक डैम और अन्य समय पर परीक्षित तथा सामान्य से हटकर तकनीकों मुख्यतया देसी परंपरागत जानकारी, कौशल और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए ग्रामीणों की जल प्रबंधन में मदद की। उन्होंने 11,800 जोहाद तथा अन्य जल संरक्षण संरचनाएं बनाने में मदद की और 1200 से अधिक गांवों में पानी वापस लाए तथा राजस्थान में 5 नदियों अर्वरी, रूपरेल, सरसा, भगनी और जहाजवाली को पुनर्जीवित किया।

सम्मानित अतिथि वक्ता का स्वागत और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (आईडीडीआर 2018) की संक्षिप्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भू-मौसम संबंधी आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग, एनआईडीएम के अध्यक्ष डॉ. सूर्य प्रकाश ने बताया कि सेंडाई, जापान में 14-18 मार्च, 2015 के दौरान आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे विश्व सम्मेलन के अनुसरण में वैश्विक स्तर पर जोखिम न्यूनीकरण (एसएफडीआरआर) के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का अनुपालन करने के लिए सेंडाई घोषणा की गई। एसएफडीआरआर में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जागरूकता की प्रगति और उपलब्धियों की निगरानी के लिए सात लक्ष्यों की परिकल्पना की गई। सात सक्ष्य आईडीडीआर के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किए गए:

- 2016 - लक्ष्य क: औसतन प्रति 100,000 वैश्विक मृत्यु दर कम करने के लक्ष्य के साथ वैश्विक आपदा मृत्यु दर को 2030 तक महत्वपूर्ण ढंग से कम करना।
- 2017 - लक्ष्य ख: 2030 तक वैश्विक रूप से प्रभावित लोगों की संख्या कम करते हुए प्रति 100,000 वैश्विक संख्या से कम का लक्ष्य।
- 2018 - लक्ष्य ग: 2030 तक वैश्विक जीडीपी की तुलना में आपदा वार्षिक हानि को कम करना।
- 2019 - लक्ष्य घ: महत्वपूर्ण अवस्थापना और स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाओं सहित मूल सेवाओं के अव्यवस्थित होने जैसी आपदा क्षति को कम करना।
- 2020 - लक्ष्य ङ: डीआरआरएंडआर के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियों वाले देशों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि करना।
- 2021 - लक्ष्य च: वर्तमान फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तथा निरंतर सहायता देकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।
- 2022 - लक्ष्य छ: बहु जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम सूचना तथा लोगों के मूल्यांकन की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि।

विश्वभर में औसतन आपदा के कारण लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर और भारत में लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर की क्षति होती है। आपदाओं से आर्थिक रूप से प्रभावित होने वाले देशों में हमारा देश यूएसए, चीन और जापान के बाद चौथा है। अतः हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जागरूकता पर मेहनत करना जरूरी है।

इसके बाद डॉ. राजेन्द्र सिंह द्वारा “वॉटरशेड अप्रोच टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट” पर व्याख्यान दिया गया। डॉ. सिंह ने हिंदी भाषा में वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने राजस्थान, जहां वे चिकित्सा प्रेक्টিशनर के रूप में कार्य कर रहे थे, में स्थानीय समुदायों के साथ अपने शुरुआती अनुभव के बारे में बताया।

उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय समुदायों के पास क्षेत्रीय जानकारी और कौशल की अकूत संपदा है जिससे वे स्थानीय पर्यावरण और संसाधनों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए समुचित स्थायी सस्ते समाधान भी ढूंढ़ सकते हैं।

6.1.12 भूखलन जोखिम प्रबंधन और राहत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, 26 अक्टूबर, 2018

एनआईडीएम ने सिविल इंजीनियरिंग विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के सहयोग से 26 अक्टूबर, 2018 को भूखलन जोखिम प्रबंधन और राहत पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन प्रो. मुजफ्फर अहमद, डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जेएमआई द्वारा किया गया और समारोह की अध्यक्षता प्रो. फरहान अहमद किदवई, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग द्वारा की गई। डॉ. आमिर अली खान ने आपदा जोखिम राहत और प्रबंधन में एनआईडीएम की भूमिका और एनआईडीएम द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला जिसमें इस दिशा में भूखलन जोखिम राहत और प्रबंधन पर विशेष बल दिया। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के संकाय सदस्यों, स्टाफ और छात्रों के साथ उद्योग शोध संगठनों आदि के पेशेवर इंजीनियर, परामर्शदाताओं और प्रेक्টিशनर ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

दो मुख्य व्याख्यान इनके द्वारा दिए गए

1. एनटीएनयू, नार्वे के प्रो. विकास ठाकुर द्वारा भूखलन जोखिम प्रबंधन-नार्वे की प्रथाएं पर; और
2. प्रो. चंदन घोष, एनआईडीएम द्वारा बायो-इंजीनियरिंग के माध्यम से भूखलन राहत।

इस कार्यशाला में साठ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का संयोजन प्रोफेसर चंदन घोष और डॉ. आमिर अली खान द्वारा किया गया।



चित्र:17 भूखलन जोखिम प्रबंधन और राहत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

6.1.13 तटीय क्षेत्र आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला: जीवन, आवास और आजीविका बचाना (भारत और तटीय पड़ोसी देश) नई दिल्ली, 15-17 नवंबर, 2018



चित्र:18 दिल्ली-पुदुचेरी घोषणा जारी करने के दौरान
माननीय राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु और एससीडीआर तथा
एनआईडीएम सदस्य

इस कार्यशाला का आयोजन आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र (एससीडीआर) जेएनयू द्वारा एनआईडीएम और पुदुचेरी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। इस कार्यशाला का परिणाम “तटीय क्षेत्र आपदा प्रबंधन: लोगों का जीवन, आवास और आजीविका बचाना” पर दिल्ली पुदुचेरी घोषणा-पत्र था जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञ समूहों, समुदाय कर्मियों, शिक्षकों, मीडिया अधिकारियों द्वारा अत्यधिक गहन शोध और आपसी संवाद शामिल था। इस घोषणा-पत्र के अंतर्गत आठ कार्य बिंदुओं को संकलित किया गया है। तटीय राज्य, प्रस्तावित कार्य बिंदुओं के अनुसरण में तटीय क्षेत्रों में आपदा राहत और बचाव की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं और मनुष्य, अन्य जंतुओं, संपत्ति और आवास को आगे और विनाश से बचा सकते

हैं। चूंकि प्रस्तावित कार्य बिंदुओं में न्यूनतम साम्यता का सुझाव है जो राज्यों की कार्यान्वयन की क्षमता के भीतर है अतः इन्हें कार्यान्वयन के लिए सभी तटीय राज्यों की अग्रेषित किया जा सकता है।

6.1.14 रसायनिक प्रक्रिया औद्योगिक परिसरों में आपदा प्रबंधन, 17 नवंबर, 2018

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक के आपदा जोखिम न्यूनीकरण उत्कृष्टता केंद्र (सीओई डीआरआर) के सहयोग से 17 नवंबर, 2018 को एनआईडीएम के स्थित रसायनिक प्रक्रिया औद्योगिक परिसरों में आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. वी.एस. प्रकाश, पूर्व निदेशक केएसएनडीएमसी ने किया तथा प्रो. करनम उमा महेश्वर राव, निदेशक, एनआईडीएमके समारोह के अध्यक्ष थे, तथा प्रो. राज मोहन बी. संयोजक, सीओआई डीआरआर उपस्थित थे तथा डॉ. आमिर अली खान एनआईडीएम की ओर से कार्यशाला संयोजक थे। उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों में श्री के. रवीन्द्रनाथ, एनआईडीएमके के रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के नामित अधिकारी, श्री संतोष कुमार, सहायक आयुक्त, मंगलौर, श्री साजिद अहमद मुल्ला, सहायक आयुक्त भटकल तथा अन्य औद्योगिक कार्यकारी शामिल थे। इस अवसर पर एनआईडीएमके, सूरतकल तथा एनआईडीएम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

इस कार्यशाला में सरकारी कर्मचारी, छात्र तथा मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (एमआरपीएल), मंगलौर केमिकल्स फर्टिलाइजर-एडवेंट्स ग्रुप ऑफ कंपनी, बीएसएसएफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., उडुपी पॉवर कॉर्पोरेशन लि., न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट आदि के औद्योगिक कर्मिक उपस्थित थे। इस कार्यशाला में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में निम्नलिखित तकनीकी सत्र शामिल थे

1. डॉ. आमिर अली खान, एनआईडीएम द्वारा ‘देश में आपदा प्रबंधन में एनआईडीएम की भूमिका’;
2. प्रो. चंदन घोष, एनआईडीएम द्वारा ‘भूस्खलन और तटीय अवक्षरण में बायोइंजीनियरिंग की भूमिका’;

3. श्री डी.सी. जगदीश, संयुक्त निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, कर्नाटक सरकार द्वारा 'आपातकाल तैयारी संकल्पना दृष्टिकोण';
4. श्री विजय कुमार राजगोपाल मेंटोरपाल कंसल्टेंसी सर्विसेज, कुआलालाम्पुर, मलेशिया द्वारा 'तेल और रिफाइनरी रिफ्युलिंग में आपदा प्रबंधन';
5. डॉ. वी. एस. प्रकाश, पूर्व निदेशक कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र द्वारा 'कर्नाटक राज्य में हाल ही की आपदाएं';

कार्यशाला की समाप्ति प्रतिभागियों को डॉ. वी. एस. प्रकाश और श्री विजयकुमार राजगोपाल द्वारा प्रमाण-पत्र वितरण के साथ हुई।



चित्र:19 रसायनिक प्रक्रिया औद्योगिक परिसर में आपदा प्रबंधन - 2018

6.1.15 “आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका” पर मीडिया कार्यशाला, 20 नवंबर, 2018



चित्र:20 “आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका” पर मीडिया कार्यशाला

एनआईडीएम और एनडीएमए ने 20 नवंबर, 2018 को नेशनल मीडिया सेंटर, रायसीना रोड, नई दिल्ली में 'आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका' पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री किरन रिजिजू द्वारा श्री आर. के. जैन, सदस्य सचिव, एनडीएमए, सुश्री रजनी सेखरी सिब्बल, अपर सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, श्री बी.एच. अनिल कुमार, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम और श्री संजय कुमार, महानिदेशक, एनडीआरएफ ने किया। अन्य प्रतिष्ठित प्रतिभागियों में ले. जनरल एन.सी. मारवाह तथा श्री कमल किशोर, एनडीएमए के सदस्य, डॉ. बी. तिरुपुगाज़, संयुक्त सचिव एवं सलाहकार (नीति और आयोजना),

एनडीएमए, श्री संजीव जिंदल, संयुक्त सचिव (डीएम), गृह मंत्रालय, श्री ए. भारत भूषण बाबू, एडीजी (मीडिया और संचार), गृह मंत्रालय, श्री राजीव शुक्ला, ओएसडी (डीएम), आकाशवाणी और एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, आईबीएन, पीआईबी आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।

6.1.16 मीडिया और आपदाएं सम्मेलन, कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 6-7 दिसंबर, 2018



चित्र:21 कार्यशाला के दौरान
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल

संगठनों द्वारा तैयार की जाती हैं। इससे निर्णय लेने वालों के सामने वास्तविक तस्वीर नहीं आती क्योंकि एक रिपोर्टर से नीति निर्माण के स्तर तक आने तक सूचना में काफी फेरबदल हो जाता है। प्रत्येक रिपोर्टर की रिपोर्ट में अप्रत्याशित आपदा के साथ ऐसे आंकड़े भी दिए जाते हैं जो ब्यूरो प्रमुख भी दर्शाना नहीं चाहेंगे। इससे सभी देशों में आपदाओं की राहत और बचाव में अर्थपूर्ण और सुस्थिर निर्णय प्रक्रिया में बाधा पड़ती है।



चित्र:22 द कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली में मीडिया और आपदा सम्मेलन

आपदा शोध के लिए विशेष केंद्र, डीएमआईसीएस (आपदा प्रबंधन पहल और जागरूकता समाज) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने “मीडिया और आपदाएं” पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य यह तथ्य सामने लाना था कि हालांकि किसी आपदा के होने और उसके बाद के विनाश की रिपोर्टिंग के लिए पहली सूचना मीडिया से मिलती है तथापि जब नीति बनाने की बात आती है तो सरकार जिन रिपोर्टों से सूचना प्राप्त करती है वे या तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा और प्रौद्योगिकी संस्थानों या सहायता एजेंसियों के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय

इस सम्मेलन में बहुत से रिपोर्टरों ने भाग लिया जिन्होंने अपने दीर्घकालीन मूल्यांकन और शोध के आधार पर बहुत सी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया या जैसे दैनिक जागरण के श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत जिन्होंने केदारनाथ आपदा आने से 8 वर्ष पूर्व इसका पूर्वानुमान लगाया था। इसी प्रकार हिंदुस्तान टाइम्स (गुरुग्राम) की सुश्री स्नेहिल सिन्हा ने मुंगेर बानी वन अध्ययन पर कार्य किया और गुरुग्राम में भूमि जल आपदा का पूर्वानुमान लगाया, श्री के.पी. सेतुनाथ और श्री विश्वरूपम ने केरल बाढ़ और तटीय आपदाओं के सामाजिक प्रभाव पर सूचना एकत्र करने तथा समेकित करने पर कार्य किया। एनडीटीवी के श्री हिमांशु शेखर ने कश्मीर बाढ़ की स्थिति पर रिपोर्टिंग कार्य किया था। एशियन

एज के श्री राजीव चौधरी, हिन्दू के श्री दिनकर और एनडीटीवी के श्री आलोक पांडे ने आपदाओं के दौरान अपने कार्य के अनुभव सांझा किए। सम्मेलन का उद्देश्य था कि ऐसे समर्पित रिपोर्टरों के निष्कर्षों को मान्यता दी जाए तथा इसे विश्वविद्यालयों में किए जा रहे शोध में भागीदार बनाते हुए शैक्षिक शोध तथा मीडिया में शामिल किया जाए।

इस सम्मेलन में पत्रकारिता और समाचार प्रशासन के अनेक संस्थानों ने भाग लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन के महानिदेशक, डॉ. के.जी. सुरेश, प्रेस सूचना कार्यालय (पीआईबी) के श्री भारत भूषण, श्री राजीव शुक्ला, एडीडी, एआईआर, श्री संजीव दोसांझ, एडीपी (पॉलिसी), एआईआर। कानूनी विशेषज्ञ संदीप महापात्रा ने आपदा की रिपोर्टिंग में कानूनी समझ की आवश्यकता और कानून की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। डॉ. पी. निवेदिता हरन, केरल की पूर्व अपर मुख्य सचिव जिन्होंने पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया, ने एक प्रशासक और रिपोर्टर के मध्य सूचना साझा किया। सम्मेलन में सेना के जवानों ने भी उत्साहपूर्ण भाग लिया तथा रिपोर्ट्स को आपदा की स्थिति के बारे में मार्गदर्शन दिया जैसे जरनल नरेश



चित्र 23: मीडिया और आपदाएं सम्मेलन

बढ़ानी, कर्नल अमन आनंद (पीआरओ, एमओडी) तथा जनरल वी.पी. सिंह। इस सम्मेलन में अधिकांश चैनलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे जैसे द रिपब्लिक (श्री स्नेहेश फिलिप), एनडीटीवी, जनम टीवी आदि। कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों जैसे हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, डेक्कन क्रॉनिकल, अमर उजाला और इंडियन एक्सप्रेस ने आपदा की रिपोर्टिंग की अपने अनुभव और चुनौतियों के बारे में बताया। सम्मेलन यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया गया तथा इसकी कार्यवाही ऑल इंडिया रेडियो द्वारा कवर की जाएगी और सप्ताह में किसी दिन रेडियो रिपोर्ट भी प्रसारित की जाएगी।

6.1.17 आपदा प्रबंधन पर चौथी वर्ल्ड कांग्रेस, (26 फरवरी-1 मार्च), 2019

समकालीन विश्व की चुनौतियां, अवरोध तथा मतभेद होते हुए भी वैश्विक समुदाय एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की है जो “सभी के हित के लिए एक सुस्थिर समावेशी और जागरूक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण” का संवर्द्धन करेगा। इस “भविष्य जैसा हम चाहते हैं” के विजन को पांच अलग परंतु अंतः संबंधित वैश्विक फ्रेमवर्क और समझौतों के माध्यम से आगे ले लाया गया जिन्हें 2015-16 के दौरान स्वीकार किया गया था। इन अलग-अलग फ्रेमवर्क को एक सूत्र में बांधने वाला धागा जोखिम कम करना और आपदाओं की जागरूकता का विकास करना है। वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रतिबद्धता के बावजूद कुछ देशों में नए राष्ट्रवादी राजनीतिक ढांचे के आने से स्पष्ट सहायता नहीं मिल पा रही है। रूपांतरकारी बदलावों को लाने के लिए मध्य दशक के प्रयास प्रभावी नहीं रहे हैं जिसका कारण अधिकांश देशों में इन बदलावों के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं हैं। विखंडित डाटा, नवाचार शोध का अभाव और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण प्रक्रियाओं की जानकारी में कमी प्रभावी आयोजना, डिज़ाइन और नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की निगरानी में बाधक रही है। इन सभी अवरोधों और चुनौतियों को अनदेखा करते हुए बहुत से क्षेत्रों से अभी भी नई आशा, आकांक्षा, जानकारी, पहल और सुदृढ़ प्रथाओं की किरण है। ये महत्वपूर्ण हैं तथा अपनी आशाओं के अनुरूप भविष्य के निर्माण के लिए इनका प्रलेखन, सांझा करना और बड़े पैमाने पर अनुकरण करना ज़रूरी है।

उपर्युक्त पर फोकस करते हुए, आपदा प्रबंधन पर चौथी वर्ल्ड कांग्रेस (डब्ल्यूसीडीएम-2019) का आयोजन मुंबई में 29 जनवरी से 1 फरवरी, 2019 को किया गया जिसमें आपदाओं के लिए जागरूकता पर वैश्विक फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। महाराष्ट्र सरकार, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कंवर्जेंस सोसायटी (डीएमआईसीएस), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस (टीआईएसएस) मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित डब्ल्यूसीडीएम-2019 यूएन सिस्टम के बाहर आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी सभा थी। डब्ल्यूसीडीएम विश्व भर के शोधकर्ताओं नीति-निर्माताओं तथा प्रेक्टीशनर को एक साथ लाने और आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की एक पहल है। डब्ल्यूसीडीएम का मिशन आपदाओं के जोखिम की समझ और अग्रिम कार्रवाई ताकि जोखिम कम करके पुनरुद्धार किया जा सके, विज्ञान, नीति और व्यवहारों को साझा करने को प्रोत्साहन देना था। इस समारोह में एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व प्रो. चंदन घोष, डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर तथा डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर ने किया जिन्होंने इस कांग्रेस में विभिन्न विषयगत सत्रों में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की तथा अध्यक्षता की।

6.2 बैठकें/अन्य कार्यकलाप

6.2.1 महाराष्ट्र सरकार का इको-डीआरआर: वित्त मंत्री को परामर्श, मुम्बई, 4-5 अप्रैल, 2018



चित्र:1 महाराष्ट्र सरकार का इको-डीआरआर केंद्र: वित्त मंत्री, मुम्बई को डीपीआर परामर्श

वित्त, योजना तथा वन मंत्री श्री सुधीर मुंगंतीवार की पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रापुर में विस्ताराधीन वन एकेडमी के परिसर में “स्कूल फॉर यूनिफाइड डीआरआर हारमोनाइजिंग इंडीप्रेटेड रेसिलिएंस” नाम से इको-डीआरआर केंद्र की स्थापना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया। इस संबंध में एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार और डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम को 4 और 5 अप्रैल, 2018 के दौरान वन विभाग के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों और वन अकादमी के निदेशक श्री अशोक खाडसे, अपर मुख्य सचिव (राजस्व एवं राहत) सुश्री मेधा गाडगिल और मंत्री

श्री सुधीर मुंगंतीवार से विचार-विमर्श करने के लिए परामर्शदाता बैठकों में आमंत्रित किया गया।

6.2.2 परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) बैठक, 11 अप्रैल, 2018

एनआईडीएम में 11 अप्रैल, 2018 को कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम की अध्यक्षता में एनआईडीएम-जेएनयू-डीआरपी की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें एनआईडीएम और एससीडीआर दोनों के पीएमसी सदस्यों ने भाग लिया। आपदा प्रबंधन में एम.ए. और पीएच.डी. कार्यक्रम शुरू करने पर चर्चा की गई। एनआईडीएम-जेएनयू परियोजना की अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। वर्तमान वर्ष के लिए निर्धारित परियोजना के एक भाग के रूप में विभिन्न कार्यकलापों, सम्मेलनों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

6.2.3 डीआरआर का संवर्द्धन: एआईसीटीई अध्यक्ष के साथ बैठक, नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2018



चित्र:2 डीआरआर का संवर्द्धन: नई दिल्ली में एआईसीटीई के अध्यक्ष के साथ बैठक

एनआईडीएम के नव नियुक्त कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार ने 17 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) के अध्यक्ष प्रो. अनिल डी. सहस्त्रबुद्धे के साथ बैठक की। चर्चा में एआईसीटीई से संबद्ध कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषयों के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में सुरक्षा, स्थायित्व और आपदा शिक्षा एकीकृत करने के लिए जरूरतों, गुंजाइश और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा मैनुअल तैयार करने और वर्तमान अंतरालों को दूर करने के लिए डिप्लोमा/

प्रमाण-पत्र कार्यक्रम शुरू करने के अलावा पुनश्चर्या/ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी। इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय के लिए मॉडल आपदा प्रबंधन प्लान तैयार करने और आपदा प्रबंधन के विषयों पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए सहमति की गई।

6.2.4 परियोजना प्रबंधन समिति (पीएमसी) बैठक, 25 अप्रैल, 2018

एनआईडीएम-जेएनयू डीआरपी की पीएमसी बैठक 25 अप्रैल, 2018 को कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम की अध्यक्षता में एससीडीआर, जेएनयू में आयोजित की गई जिसमें एनआईडीएम और एससीडीआर दोनों के पीएमसी सदस्यों ने भाग लिया। 2019 से शुरू किए जाने वाले आपदा प्रबंधन में एम.ए. पाठ्यक्रम की विस्तृत संरचना, विषय-वस्तु और मॉड्यूल एससीडीआर द्वारा साझा किए गए और उन पर चर्चा की गई जिसे जेएनयू की शैक्षिक परिषद् के विधिवत् अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही एससीडीआर ने सूचित किया कि वे पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए 5 विदेशी छात्रों को सीधे (अनुपस्थिति में) चुनेंगे जो पड़ोसी देशों के मध्यम स्तर के कार्य करने वाले व्यवसायिक होंगे।

6.2.5 एडीपीसी कार्यकारी निदेशक का एनआईडीएम में दौरा: एशिया पसिफिक और उसके आगे के लिए समझौते एनआईडीएम, नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

इस क्षेत्र में एशिया डिजास्टर प्रिपेरेडनेस सेंटर (एडीपीसी) और एनआईडीएम को दो अग्रणी संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त है जिनमें से एडीपीसी एक स्वतंत्र व्यवसायिक संगठन है और एनआईडीएम को भारत सरकार का अग्रणी संस्थान के होने के नाते आपदा जोखिम प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, शोध, प्रशिक्षण और नीति सहायता का अधिदेश है। शोध, प्रायोगिक परियोजना, मामला अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण प्रयासों में सामान्य अधिदेश, ताकत और सहयोग के अवसरों को देखते हुए एडीपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री हैंस गटमैन और एडीपीसी के भारतीय प्रतिनिधि सुश्री मोना आनंद ने संभावित आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श के लिए कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम श्री बी.एच. अनिल कुमार और एनआईडीएम के संकाय से मुलाकात की। विचार-विमर्श में शैक्षिक संरचना और बल, परिचालन के क्षेत्रों, संयुक्त शोध परियोजनाओं के अवसर, प्रायोगिक और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल थे। श्री हैंस गटमैन ने जीईएजी, यूनीसेफ और एडीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से बिहार राज्य में आपदा जागरूकता के लिए जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर परंपरागत जानकारी का एक प्रकाशन “धरोहर” प्रस्तुत किया जिसका विमोचन हाल ही में राज्य मुख्य मंत्री द्वारा किया गया।

6.2.6 आईएसईटी-यूएसए अध्यक्ष की कार्यकारी निदेशक एनआईडीएम के साथ बैठक: शोध सहयोग पुनर्जीवित करना, नई दिल्ली, 2 मई, 2018



चित्र:3 आईएसईटी-यूएसए अध्यक्ष की कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम से मुलाकात: शोध सहयोग पुनर्जीवित करना

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को आपदा जोखिम प्रबंधन के साथ जोड़कर इसे विभिन्न स्तरों पर विकास नीतियों, प्लानों और कार्यकलापों में मुख्य धारा में लाना एनआईडीएम का शोध क्षेत्र रहा है जिसका कार्यान्वयन संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड एंवायरमेंटल ट्रांजीशन (आईएसईटी, कोलोराडो, यूएसए), गोरखपुर पर्यावरणीय कार्य दल, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) आदि द्वारा एनआईडीएम के मुख्य विषयों के रूप में क्षमता निर्माण और नीति समर्थन के लिए पाठ तैयार करके क्लाइमेट एंड डवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क (सीडीकेएन), रॉकफैलर फाउंडेशन आदि की सहायता से किया गया। एनआईडीएम ने इस भागीदारी में जोखिम की जागरूकता पर कार्यशालाएं

करके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध साझा किए और कुछ राज्यों में बाढ़ जोखिम, बहुल खतरों वाले तटीय क्षेत्रों और कई पर्वतीय क्षेत्रों तथा जल मौसम संबंधी आपदाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों में अध्ययन के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और नीति दस्तावेज तैयार किए। शोध और विकास कार्यक्रमों तथा प्रायोगिक अध्ययनों के लिए एनआईडीएम के साथ औपचारिक

सहयोग को पुनर्जीवित करने के लिए डॉ. कैनेत मैक्लून, आईएसईटी इंटरनेशनल के प्रमुख, कोलोराडो, यूएसए के साथ जीईएजी - दिल्ली प्रतिनिधि डॉ. निवेदितामणि और आईएसईटी दिल्ली प्रतिनिधि - शशिकांत चोपड़े और दलीप सिंह ने 2 मई, 2018 को एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.ए. अनिल कुमार के नेतृत्व में एनआईडीएम टीम के साथ मुलाकात की और सहयोग व शोध के उभरते क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों संस्थानों ने औपचारिक समझौते के माध्यम से दीर्घकालीन सहायता और भागीदारी करने हेतु सहमति दी है। आईएसईटी यूएसए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. मार्कम मोएंच तथा जीईएजी के अध्यक्ष प्रो. शियाज़ ए वजीह ने भी विगत में एनआईडीएम के शैक्षिक कार्यक्रमों में कई बार भाग लिया है।

6.2.7 प्रधानमंत्री का एजेंडा 10: आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) में विश्वविद्यालयों की भूमिका: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अध्यक्ष के साथ बैठक, नई दिल्ली, 3 मई, 2018



चित्र 4 डीआरएम: यूजीसी अध्यक्ष के साथ नई दिल्ली में बैठक

प्रधानमंत्री की आपदा जोखिम प्रबंधन पर एजेंडा 10 इसके कार्य बिंदु 6 में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए आई आईटी, आईआईएम, आईआईएससी/आईआईएसईआर और एनआईटी सहित विश्वविद्यालयों और संस्थानों की भूमिका की परिकल्पना की गई है जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन पर फोकस के साथ इसे अंतर्विषयक स्ट्रीम-पर्यावरणीय अध्ययन, सामाजिक कार्य और विकास अध्ययन तथा स्वास्थ्य, इंजीनियरी, शिक्षा, विधि और प्रबंधन जैसे व्यवसायिक विषयों के साथ एकीकृत करने और शोध तथा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मास्टर ट्रेनर्स के लिए ओरिएंटेशन/पुनश्चर्या कार्यक्रम पर विचार किया गया है। इस संबंध में एनआईडीएम के नव नियुक्त कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार ने एनआईडीएम प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार गुप्त और भौगोलिक आपदा प्रभाग के अध्यक्ष प्रो. चंदन घोष के साथ यूजीसी में 3 मई, 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. डी.पी. सिंह से भेंट की। विश्वविद्यालयों की सहभागिता और यूजीसी के सहयोग से एजेंडा 10 के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर सैद्धांतिक सहमति की गई। इन क्षेत्रों में अंतर्विषयक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आपदा प्रबंधन मांड्यूल तैयार करने और आपदा प्रबंधन के शिक्षण के लिए संदर्भ पुस्तकें तैयार करने का प्रस्ताव किया गया। एनआईडीएम और यूजीसी द्वारा संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन में शिक्षित करने हेतु विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों तथा हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित करने का भी प्रस्ताव किया गया।

6.2.8 माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर का शिलान्यास, 22 मई, 2018



चित्र 5: माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु द्वारा एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर के लिए आधारशिला रखा जाना

माननीय उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने मंगलवार को कोंडापवलुरु गांव, गन्नावरम मंडल में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी परिसर की आधारशिला रखी और कहा कि केंद्र सरकार आपदाओं से निपटने के लिए अवस्थापना निर्माण में दक्षिणी राज्यों की मदद करेगी। एनआईडीएम गृह मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में मंत्रालय ने राज्य में दक्षिणी परिसर की स्थापना की।

6.2.9 एनआईडीएम दल की केरल दौरे की रिपोर्ट, (29 अगस्त-1 सितंबर), 2018



चित्र 6: एनआईडीएम दल ने केरल का दौरा किया

एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार की पहल पर एनआईडीएम के प्रो. संतोष कुमार, प्रो. चंदन घोष और डॉ. सूर्य प्रकाश के दल ने 29 अगस्त से 1 सितंबर, 2018 के दौरान केरल का दौरा किया।

इस दल के प्रमुख प्रो. संतोष कुमार थे। एनआईडीएम ने स्थानीय सांस्थानिक भागीदारों (आईएलडीएम, त्रिवेंद्रम) के साथ यह दौरा किया। आईएलडीएम के सहायक प्रोफेसर श्री अमल राज ने दल के साथ दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य वर्तमान बाढ़ की स्थिति, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बहु एजेंसी समन्वय तथा तत्काल रिकवरी का अध्ययन और प्रलेखन करना था।

दल ने तिरुवनंतपुरम, पाठनमथिट्टा, अलुप्पज़ा, कोट्टयम और एर्नाकुलम का दौरा किया। केरल तीन मुख्य भौगोलिक संरचनाओं - पर्वतीय क्षेत्र, मुख्य भूमि और तटीय क्षेत्र में विभाजित है तथा वर्ष 2018 में आई बाढ़ ने इन तीनों क्षेत्रों के जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया। जिलों का चयन अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन के कार्यालय श्री पी.एच. कुरियन और डॉ. शेखर, सदस्य सचिव एसडीएमए के परामर्श से किया गया था। चर्चा के दौरान, केरल सरकार ने एनडीआरएफ, वायु सेना, जल सेना, तट रक्षक और भारतीय सेना द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्य की काफी सराहना की। उन्होंने इस संकट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की।

इस दल ने राज्य सरकार और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, तिरुवनंतपुरम, प्रभावित तहसीलों के तहसीलदारों के साथ मुलाकात की। इस दल ने सरकारी अधिकारियों के अलावा यूएनडीपी, यूनीसेफ, स्फियर इंडिया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, एनआईएमएचएएनएस, कुटुंबश्री-महिला स्व-सहायता समूह, रेड क्रॉस, बिल्डर्स एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधित्व वाले एक अंतः एजेंसी समूह के साथ बैठक में भाग लिया।

फील्ड दौरे के दौरान इस दल ने प्रभावित समुदायों, व्यक्तियों, राहत सामग्री का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों, युवा वालंटियर तथा स्थानीय सिविल समाज समूहों के साथ बातचीत की। दल ने छोटे व्यापारियों, रेस्टोरेंट मालिकों, दुकानदारों और बैंक अधिकारियों के साथ भी बातचीत की।

दल ने मछुआरा समुदाय का विशेष उल्लेख किया जिन्होंने बाढ़ के दौरान पहुंच से दूर अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों से दस हजार से ज्यादा लोगों को बचाया। दल ने उनके साथ वार्ता की।

दल ने उन वालंटियर के साथ मुलाकात की जो मिट्टी/मलबा की सफाई, स्वच्छता, कुएं साफ करना और मोटरें ठीक करने का कार्य कर रहे थे। वे इलेक्ट्रिक मरम्मत और पुनरुद्धार का कार्य भी कर रहे थे।

दल ने केरल वार्ता पर एक अनुसंधान अध्ययन करने का प्रस्ताव किया।

दल ने बांध प्रबंधन पर व्याख्यान श्रृंखला चलाने का भी प्रस्ताव किया। तदनुसार, अगली व्याख्यान श्रृंखला केरल की बाढ़ को ध्यान में रखते हुए बांध सुरक्षा और इसके प्रबंधन पर आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया।

6.2.10 स्वच्छता पखवाड़ा (15 सितंबर-2 अक्टूबर), 2018



चित्र 7: एनआईडीएम में स्वच्छता पखवाड़ा

एनआईडीएम में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस संबंध में 29 सितंबर, 2018 को एनआईडीएम परिसर में एक स्वच्छता अभियान चलाया गया। एनआईडीएम कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार, आईएस ने एनआईडीएम परिसरों में सफाई अभियान का नेतृत्व किया और सभी कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा एनआईडीएम में 1 अक्टूबर, 2018 को शौचालय के प्रयोग, हाथ धोने, स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता जैसी बेहतर आदतों के संबंध में एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस विषय पर डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर ने व्याख्यान दिया और अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम में एनआईडीएम के संकाय और कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए हाथ धोने, शौचालय का प्रयोग करने के बाद फ्लश करने तथा अन्य स्वच्छता क्रियाकलापों के बारे में बताया गया। डॉ. सुषमा ने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का अलग-अलग निपटान करने की भी जानकारी दी। “स्वच्छता ही सेवा” का सही अर्थ में कार्यान्वयन करने के लिए कार्य बिंदु आमंत्रित करते हुए एक खुला विचार-विमर्श सत्र भी आयोजित किया गया। कुछ स्टाफ सदस्यों ने व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, कचरा निपटान, प्लास्टिक से बचने आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर स्वच्छता शपथ भी दिलाई गई।

6.2.11 गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम के छात्रों का शैक्षिक दौरा, 1 अक्टूबर, 2018



चित्र 8: गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम के छात्रों का शैक्षिक दौरा

एनआईडीएम ने 1 अक्टूबर, 2018 को गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तिरुवनंतपुरम से बीएचएमएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए आधे दिन का विचार-विमर्श सत्र आयोजित किया। एनआईडीएम में इक्वायन छात्र और चार संकाय सदस्य आए। इस दौरे का उद्देश्य छात्रों को संस्थान के बारे में बताना और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन व्यवहारों तथा सांस्थानिक तंत्र को समझना था। विचार-विमर्श के दौरान एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार, डॉ. आमिर अली खान, अध्यक्ष सीबीआरएन तथा साइबर जोखिम प्रबंधन प्रमाण, श्री अनिल शेखावत डीसी एवं अध्यक्ष (प्रशिक्षण और आईटी) तथा डॉ. ए.डी. कौशिक, शोध एसोसिएट ने छात्रों के साथ बातचीत की। डॉ. आमिर अली खान और श्री अनिल शेखावत ने क्रमशः “भारत में आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणा तथा आपदा प्रबंधन का सांस्थानिक ढांचा” और “आपदा कालीन प्रतिक्रिया प्रणाली” पर संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दी। इस कार्यशाला का संयोजन डॉ. ए.ए. खान और डॉ. ए.डी. कौशिक ने किया।

6.2.12 वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) के साथ बैठक, 3 अक्टूबर, 2018

3 अक्टूबर, 2018 को वाईएमसीए ऑडिटोरियम में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और एनआईडीएम के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई जिसमें डब्ल्यूआरआई टीम ने उनके द्वारा विकसित पुनर्निर्माण तैयारी के लिए भागीदारी (पीआरईपी) उपकरण पर संक्षिप्त



चित्र 9: वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई) के साथ बैठक

प्रेजेंटेशन दी। सुश्री एमिली निल्सन, प्रेप की ओर से तकनीकी नेतृत्व और सुश्री नम्रता गिनोया, जो प्रेप पर भारत में कार्य करती है; ने प्रेजेंटेशन दिया। इस कार्यक्रम का संयोजन डॉ. सूर्य प्रकाश, अध्यक्ष, भू-मौसम जोखिम प्रबंधन प्रभाग, एनआईडीएम ने किया।

6.2.13 एनआईडीएम पुस्तकालयाध्यक्ष की जीआईटीएएम यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम में “राष्ट्रीय ज्ञान, पुस्तकालय तथा सूचना नेटवर्किंग (एनएसीएलआईएन) सम्मेलन” में भागीदारी, 4-6 अक्टूबर, 2018



चित्र 10: जीआईटीएएम यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम में “राष्ट्रीय ज्ञान, पुस्तकालय तथा सूचना नेटवर्किंग (एनएसीएलआईएन) सम्मेलन”

विश्व भर में पुस्तकालय डिजिटल पुस्तकालय के स्वरूप में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, वर्तमान परिवेश को बदलने, पुस्तकालय प्रयोक्ताओं की बदलती हुई जरूरतें पूरी करने, अत्यधिक सूचना संग्रहण करने तथा गुणवत्ता सामग्री के चयन, संस्थानों की शैक्षिक सत्यनिष्ठा का संवर्द्धन करने और पुस्तकालय प्रयोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विविध मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में 4-6 अक्टूबर, 2018 को साई प्रिया बीच रिजोर्ट, विशाखापट्टनम में डीईएल एनईटी द्वारा जीआईटीएएम, विशाखापट्टनम के सहयोग से “पुस्तकालयों के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र और सेवाओं के लिए नीतियों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रबंधन” विषय पर राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा सूचना नेटवर्किंग सम्मेलन-एनएसीएलआईएन 2018 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 4 अक्टूबर, 2018 को मुख्य अतिथि प्रो. के.एस. चलम, पूर्व कुलपति, द्रविडियन यूनिवर्सिटी, कुप्पम, आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। इसमें डॉ. ए. आर. डी. प्रसाद, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डाक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर (डीआरटीसी) बंगलुरु सम्मानित अतिथि थे। उद्घाटन सत्र डॉ. एम.वी.वी.एस. मूर्ति संस्थापक अध्यक्ष, जीआईटीएएम को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू किया गया जो शिक्षाविद्, और राजनीतिज्ञ थे जिनका निधन 2 अक्टूबर, 2018 को यूएसए में एक दुर्घटना में हुआ। सम्मेलन का स्थान जीआईटीएएम, विशाखापट्टनम से बदलकर होटल साई प्रिया रिजोर्ट करना पड़ा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने परिसर में 7 दिन के शोक की घोषणा की थी। डॉ. जी. नागारत्ना मणि, आयोजक सचिव, एनएसीएलआईएन 2018 और पुस्तकालयाध्यक्ष, जीआईटीएएम, विशाखापट्टनम ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने एनएसीएलआईएन 2018 के आयोजन में जीआईटीएएम, विशाखापट्टनम को सहयोग देने के लिए डेलनेट का धन्यवाद किया। इस सम्मेलन में एनआईडीएम के पुस्तकालयाध्यक्ष श्री एस. के. तिवारी ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन में चर्चा की गई कि पुस्तकालय प्रयोक्ताओं और अधिकारियों, जो गुणवत्ता संग्रहण, प्रबंधन तथा प्रसार और सेवाओं की अपेक्षा रखते हैं, उन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए नई प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को कैसे अपनाया जा सकता है।

6.2.14 एनआईडीएम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (एनआईएच, रुड़की) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, 8 अक्टूबर, 2018

डीआरआर आधारित जल संसाधनों के क्षेत्र में, सूखा प्रबंधन, एकीकृत रिजर्वार्यर परिचालन तथा एनआईडीएम द्वारा सरकारी अधिकारियों, इंजीनियरों, नगर नियोजकों, स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन अधिकारियों, पीएसयू, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, सिविल सोसायटी आदि के लिए प्रायोजित जलवायु परिवर्तन पर शैक्षिक और नीति सहयोग सुदृढ़ तथा प्रोत्साहित करने के लिए।



चित्र 11: एनआईडीएम और एनआईएच रुड़की द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

एनआईडीएम ने एनआईएच (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी) रुड़की के साथ समझौता किया। सहयोग के क्षेत्रों में पीएच.डी. कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शोध, नीति आयोजना, प्रलेखीकरण, प्रकाशन आदि शामिल हैं। 8 अक्टूबर, 2018 को एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार और एनआईएच रुड़की के निदेशक डॉ. एस. के. जैन द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस प्रक्रिया का समन्वय डॉ. ए. डी. कौशिक तथा डॉ. अनिल कुमार गुप्त विभागाध्यक्ष ईसीडीआरएम, एनआईडीएम द्वारा किया गया।

6.2.15 भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए केरल राज्य के क्षमता मूल्यांकन पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 9-11 अक्टूबर, 2018

आपदा पश्चात् भूस्खलन संबंधी पहलों और क्षमताओं का तत्काल मूल्यांकन करने के लिए 9-11 अक्टूबर, 2018 के दौरान एनआईडीएम के भू-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्य प्रकाश ने केरल राज्य का दौरा किया। इस संबंध में संबंधित विभागों जैसे भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण (जीएसआई), जिओलॉजी विभाग, केरल विश्वविद्यालय, भूमि एवं आपदा प्रबंधन संस्थान (आईएलडीएम), यूएनडीपी संयोजक सुश्री ऋतु तथा पर्यावरण विशेषज्ञ सुश्री ईजा के साथ श्री मनीष मोहन दास और श्री राजाराम महेन्द्र, यूनीसेफ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (इकोनोमिक्स एंड प्लानिंग), डॉ. विश्वास मेहता, आईएएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट), श्री पी.एच. कुरियन, आईएएस और सदस्य सचिव, केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए), डॉ. सेखर एल. कुरियाकोस और पर्वतीय जिलों में स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकें की गईं।

6.2.16 एनआईडीएम और एफआरआई (एफआरआई विश्वविद्यालय देहरादून), के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2018



चित्र 12: एनआईडीएम और एफआरआई (एफआरआई विश्वविद्यालय) द्वारा एनआईडीएम कार्यालय, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वन्य और प्राकृतिक संसाधन आधारित डीआरआर जिसमें वनों में आग, कीट, ढलान स्खलन राहत, संरक्षित क्षेत्रों और जंतु उद्यानों की आपदा प्रबंधन, आदि समुदायों के संबंध में जलवायु जागरूकता तथा इको सिस्टम पर फोकस करते हुए शैक्षिक और नीति सहयोग सुदृढ़ करने तथा प्रोत्साहन करने पर बल दिया गया। एनआईडीएम ने वन शोध संस्थान (एफआरआई विश्वविद्यालय देहरादून) के साथ समझौता किया है। सहयोग के क्षेत्रों में पीएच.डी. कार्यक्रम, प्रशिक्षण, शोध, नीति आयोजना, प्रकाशन आदि शामिल हैं। 15 अक्टूबर, 2018 को एनआईडीएम कार्यालय में एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच.

अनिल कुमार और एफआरआई, देहरादून की निदेशक डॉ. सविता ने एक बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस प्रक्रिया का संयोजन एनआईडीएम के संकाय डॉ. ए. डी. कौशिक और डॉ. अनिल कुमार गुप्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य संकाय सदस्य डॉ. संतोष कुमार, डॉ. सी. घोष, डॉ. सूर्य प्रकाश, श्री आशीष शर्मा (सेकंड-इन-कमांड-प्रशा.), श्री अनिल शेखावत (डिप्टी कमांडेंट-प्रशिक्षण) भी उपस्थित थे।

6.2.17 एनआईडीएम द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन, (29 अक्टूबर-3 नवंबर), 2018



चित्र 13: सतर्कता जागरूकता सप्ताह

29 अक्टूबर से 3 नवंबर, 2018 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर श्री अनिल शेखावत, डिप्टी कमांडेंट एवं प्रमुख (प्रशिक्षण और आईटी) ने 29.10.2018 को एनआईडीएम के संकाय और स्टाफ सदस्यों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने और ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई।

6.2.18 एनआईडीएम द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन, 31 अक्टूबर, 2018



चित्र 14: राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्मतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री बी.एच. अनिल कुमार ने 31 अक्टूबर, 2018 को एनआईडीएम के संकाय और स्टाफ सदस्यों को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।

6.2.19 एनआईडीएम और आंध्रा विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, 1 नवंबर, 2018



चित्र 15: एनआईडीएम और आंध्रा विश्वविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शैक्षिक और नीति परामर्श सहयोग को सुदृढ़ और संवर्द्धित करने के लिए एनआईडीएम और आंध्रा विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया का समन्वय प्रोफेसर सी. घोष और डॉ. ए. ए. खान द्वारा किया गया।

6.2.20 एनआईडीएम द्वारा क्लाइमेट जंबोरी में सहभागिता, त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2018



चित्र 16: एनआईडीएम द्वारा क्लाइमेट जंबोरी में सहभागिता

टीईआरआई युनिवर्सिटी दिल्ली ने त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में 1-3 नवंबर, 2018 के दौरान 'क्लायमेट जंबोरी' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागियों जिनमें मुख्य रूप से 15 से 25 वर्ष के युवा शामिल थे, ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य जागरूकता उत्पन्न करना था। एनआईडीएम ने टीईआरआई युनिवर्सिटी का सहयोग किया और "जागरूक भारत: आपदा मुक्त भारत" कार्यक्रम का आयोजन किया तथा प्रश्नोत्तरी विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए। श्री कमल किशोर, सदस्य एनडीएमए इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे।

6.2.21 एनआईडीएम और सूरतकल स्थित एनआईटी कर्नाटक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, 17 नवंबर, 2018



चित्र 17: एनआईडीएम और सूरतकल स्थित एनआईटी कर्नाटक द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में शैक्षिक और नीति समर्थन मजबूत करने के लिए एनआईडीएम और सूरतकल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक (एनआईटीके) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर 17 नवंबर, 2018 को एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री बी. एच. अनिल कुमार और एनआईटीके के निदेशक प्रो. के उमा महेश्वर राव द्वारा हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया का समन्वय डॉ. आमिर अली खान द्वारा किया गया।

6.2.22 वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम (डब्ल्यूएलएफ) की इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड (आईसीएल), इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन लैंडस्लाइड (आईपीएल) सिंपोज़ियम और प्रिपेरेटरी मीटिंग्स ऑफ वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम (डब्ल्यूएलएफ)-5, क्योटो, जापान, (1-4 दिसंबर), 2018



चित्र 18: क्योटो, जापान में आईसीएल मीटिंग, आईपीएल संगोष्ठी और डब्ल्यूएलएफ 5 की प्रिपेरेटरी मीटिंग्स

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ लैंडस्लाइड्स (आईसीएल) सामाजिक और पर्यावरण हित में भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए यूनेस्को, डब्ल्यूएमओ, एफएओ, यूएनआईएसडीआर, यूएनएयू, आईसीएसयू आदि की सहायता प्राप्त एक गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है। आईसीएल का पंजीकरण क्योटो प्रीफेक्चर सरकार, जापान में अगस्त, 2002 में गैर-लाभकारी संगठनों के लिए जापानी कानून के अधीन एक कानूनी निकाय के रूप में किया गया था। विपरीत जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय क्षेत्रों में अवैज्ञानिक विकास और अनियोजित शहरीकरण के

प्रतिकूल प्रभावों के कारण भूस्खलन एक बढ़ती हुई समस्या बन गया है। शेफील्ड युनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि अब तक इस शताब्दी में 50,000 से अधिक लोगों ने अपनी जानें भूस्खलन में गंवाई हैं।

भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रयासों को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जापान में भागीदारियों के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 5वें वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम (डब्ल्यूएलएफ 5) का आयोजन किया जाएगा। डब्ल्यूएलएफ 5 में भूस्खलन आपदा जोखिम को समझने और इसे कम करने के वैश्विक संवर्द्धन हेतु क्योटो 2020 प्रतिबद्धता का आरंभ किया जाएगा ताकि वैश्विक स्तर पर भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण नेटवर्क फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) 2010 से 2014 तक इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड्स (आईसीएल) का सांस्थानिक सदस्य रहा है और इसने अगस्त, 2018 में अपनी सदस्यता का नवीकरण किया है। आईसीएल के वर्तमान सांस्थानिक सदस्य के रूप में एनआईडीएम ने क्योटो, जापान में 1-4 दिसंबर, 2018 के दौरान आयोजित 2018 आईसीएल-आईपीएल क्योटो कांफ्रेंस में भाग लिया। इस बैठक में भाग लेने के लिए भू-मौसम संबंधी आपदा प्रबंधन प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्य प्रकाश को औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया था।

आईसीएल-आईपीएल संगोष्ठी में सक्रिय भागीदारी और अन्य देशों के अन्य विशेषज्ञों के अनुभवों से सीखने के संदर्भ में यह दौरा सफल रहा। इस बैठक ने भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर वार्ताएं और चर्चाओं के साथ-साथ देश के संभावित योगदान/प्रतिनिधित्व के अच्छे अवसर खोले।

6.2.23 सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों का शैक्षिक दौरा, 10 जनवरी, 2019

एनआईडीएम ने 10 जनवरी, 2019 को सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों के लिए एक बातचीत सत्र का आयोजन किया। इन एमएससी नर्सिंग छात्रों ने अपने अध्यापक के साथ एनआईडीएम का दौरा किया और आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा एनआईडीएम की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम का समन्वय डॉ. आमिर अली खान ने किया और राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालित सांस्थानिक तंत्र सहित व्यापक आपदा प्रबंधन व्यवहारों पर प्रेजेंटेशन दी। प्रो. चंदन घोष ने भी आने वाली टीम के साथ बातचीत की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए।

6.2.24 मॉड्यूल पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए यूजीसी कार्य समूह की बैठकें



चित्र 19: बैठक के दौरान एनआईडीएम संकाय सदस्य और आमंत्रित विशेषज्ञ

अंतः विषयक और व्यवसायिक स्ट्रीम/स्कूलों में आपदा प्रबंधन पर मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करने के संबंध में एनआईडीएम-यूजीसी द्वारा अब तक दो कार्य समूह बैठकें की गई हैं। कुछ व्यवसायिक स्ट्रीम के लिए मॉडल पाठ्यचर्या पर विचार-विमर्श किया गया तथा विभिन्न विषय क्षेत्रों से आमंत्रित किए गए विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।

अध्याय

7

वित्त और लेखा

लेखा परीक्षित रिपोर्ट और बैलेंस शीट



Vipin Aggarwal Kudsia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

150-A, DDA Flats, Shahpur Jat,
New Delhi - 110049
Tel. / Fax : 011-26492207/08
e-mail : welcome@vakaassociates.com

सेवा में,
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
नई दिल्ली

- हमने **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान** को 31 मार्च, 2019 तक के संलग्न तुलना-पत्र सहित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते (नकद आधार पर बनाए गए) और प्राप्त और भुगतान खाता भी शामिल है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश इसके साथ जोड़ा गया है।

- वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसमें प्रस्तुत विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है। प्रस्तुत वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले हैं तथा इनमें कोई मिथ्या कथन नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हो।

- लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारी जिम्मेदारी प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के आधार पर लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और अनुपालन और लेखापरीक्षा का निष्पादन करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण में कोई मिथ्य कथन नहीं है।

एक ऑडिट में वित्तीय विवरणों के बारे में लेखों और प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं, ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, वह चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो उन जोखिम आकलनों को बनाने में, लेखापरीक्षक ऑडिटी की तैयारी और वित्तीय वक्तव्यों के उचित प्रस्तुतीकरण के लिए आंतरिक नियंत्रण को मानता है ताकि परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिटिंग प्रक्रिया की जा सके, लेकिन इसमें इकाई की प्रभावशीलता पर कोई राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है। आंतरिक नियंत्रण, एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता, साथ ही वित्तीय कर्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने लेखापरीक्षक राय प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त विवरण प्राप्त किया है। इस संस्थान के प्रबंधन ने वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन नीतियों का अनुपालन नहीं किया है। प्रबंधन ने वित्तीय विवरण की प्राप्ति आधार अपनाया है परंतु मार्च, 2019 माह के लिए वेतन की गणना नहीं की है जिसके कारण प्राप्ति संकल्पना नीति और टीडीएस प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

स्रोत पर कर के रूप में काटी गई 2,53,673.65 रुपए की राशि लंबे समय से बही में दर्ज है और वसूली योग्य नहीं है।

4. अभिमत

हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रीति में सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन 'सिद्धांतों के अनुरूप होने की उपयुक्त योग्यता को छोड़कर सही और निष्पक्ष हैं'

- (i) बैलेंस शीट के मामले में संस्थान की स्थिति 31 मार्च, 2019 के अनुसार है:
- (ii) आय और व्यय विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय आय से अधिक है: और
- (iii) प्राप्तियां और भुगतान लेखों के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान की प्राप्तियां और भुगतान लेखा के लिए।

हम सूचित करते हैं कि:

1. हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जहां तक लेखा बही की जाँच से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा लेखा बही कानून द्वारा यथापेक्षित ढंग से रखी गई है;
3. इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट और आय व्यय का लेखा बही के अनुसार है।

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म रजि. सं. 009771एन)
यूडीआईएन: 19046053AAAAAA3261

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03-Sept-2019

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
पार्टनर
एम.नं.046053

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2019 तक का आय-व्यय लेखा

विशिष्टियां	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
		राशि रुपए	राशि रुपए
संकाय/पूंजी कोष और देयताएं			
आरक्षिती और अधिशेष	2	48,49,75,583.93	23,07,95,770.52
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	3	5,58,15,629.00	2,71,07,987.00
कुल		54,07,91,212.93	25,79,03,757.52
आस्तियां			
स्थिर आस्तियां	4	41,65,96,539.30	11,09,10,395.00
निवेश	5	11,36,11,701.00	14,32,54,472.00
वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम	6	1,05,82,972.63	37,38,890.52
कुल		54,07,91,212.93	25,79,03,757.52

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणी

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

यूडीआईएन:19046053AAAAAA3261

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

विशिष्टियां	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
		रुपए	रुपए
आय/(गृह मंत्रालय) से अनुदान			
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	7	9,99,99,979.00	7,86,78,721.00
कुल क		9,99,99,979.00	7,86,78,721.00
व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)			
स्थापना व्यय	8	3,89,59,712.00	3,51,89,548.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	3,03,15,955.59	3,04,48,006.86
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10	3,12,38,769.00	2,67,14,270.00
अवमूल्यन	4	5,38,261.00	4,39,760.00
कुल ख		10,10,52,697.59	9,27,91,584.86
पूर्व अवधि और असाधारण मदों से पहले गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने के कारण शेष राशि		(10,52,718.59)	(1,41,12,863.86)
घाटा: पूर्व अवधि व्यय		26,67,468.00	22,31,038.00
गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने पर शेष		(37,20,186.59)	(1,63,43,901.86)
अन्य की ओर से प्राप्त किया गया ब्याज			
एफडीआर (पीएफ) पर ब्याज	11	-	21,15,570.00
एफडीआर (अन्य) पर ब्याज		28,41,238.00	34,75,025.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणी

1

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

यूडीआईएन:19046053AAAAAA3261

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(राशि रुपए में)

विशिष्टियां रुपए	31.03.2019		31.03.2018	
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
प्राप्तियां				
अथशेष				
बैंक बकाया (चालू खाता)	17,46,590.87		(7,95,278.27)	
बैंक बकाया (पीएफ सावधि जमा)	9,18,02,499.00		4,23,39,267.00	
बैंक बकाया (अन्य सावधि जमा)	5,14,51,973.00		6,31,59,733.00	
यूको बैंक बचत खाता	25,318.00	14,50,26,380.87	-	10,47,03,721.73
प्राप्त अनुदान				
एनडीएम कार्यक्रम स्कीम के लिए एमएचए से (राजस्व)	9,99,99,979.00		7,86,78,721.00	
एनडीएम कार्यक्रम स्कीम के लिए एमएचए से (पूँजी)	25,79,00,000.00		13,43,55,140.00	
एनडीएम से एसएसपी कार्यक्रम के लिए प्राप्ति	-	35,78,99,979.00	-	21,30,33,861.00
स्टाफ अग्रिम	-		-	
छोटे लेनदार	-		-	
बैंक ब्याज अन्य	1,948.00		21,15,570.00	
पीएफ के साथ पूंजीकृत एफडी पर ब्याज	33,56,050.00		23,57,833.00	
एफडी पर ब्याज (अन्य)	7,93,589.00		11,17,192.00	
एफडी ऑटो स्वीप	-		-	
पूँजीशीर्ष एफडी ऑटो स्वीप	-		-	
भविष्य निधि में अंशदान	-		-	
एलटीसी अग्रिम	-		97,500.00	
आकस्मिक व्यय के लिए स्टॉफ अग्रिम	5,580.00		29,862.00	
फर्नीचर की बिक्री	10,82,983.00		-	
लेनदार	23,632.00		-	
प्रतिभूति जमा	15,000.00	52,78,782.00	50,000.00	57,67,957.00
प्रशिक्षण भत्ता वसूली की दिशा में प्राप्त किया	1,20,791.00		-	
सार्क/आईएचडी से प्राप्त बिजली/पानी के बिल	-		-	
त्योहार अग्रिम के लिए स्टॉफ से प्राप्त	-	1,20,791.00	-	-
कुल		50,83,25,932.87		32,35,05,539.73
भुगतान				
पूँजी व्यय/अन्य देयताएं				
कंप्यूटर और अनुषंगी	-		3,117.00	
फर्नीचर और फिक्सर	14,990.00		-	
कार्यालय उपकरण	5,94,226.00		-	
निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	6,59,54,175.30		-	
निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	18,38,42,538.00		-	
भूमि और भवन - रोहिणी परिसर	-		4,34,45,618.00	
अन्य आय के लिए सरकार को भुगतान	-		1,15,61,871.00	
पुस्तकें	2,48,840.00		-	
एनआईडीएम दक्षिणी परिसर (मोबिलाइजेशन एडवांस)	2,86,15,036.00		-	
एफडी ऑटो स्वीप	-		-	
पूँजीशीर्ष एफडी ऑटो स्वीप	-		-	
लेनदार	6,66,688.00		-	
प्रतिभूति जमा	45,000.00		-	
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर)	14,38,183.00	28,14,19,676.30	-	5,50,10,606.00
राजस्व व्यय				
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अग्रिम	-		-	
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	3,20,85,038.00		2,63,49,104.00	
सरकार को भुगतान	55,90,595.00		-	
पीएलए	-	3,76,75,633.00	-	2,63,49,104.00

स्थापना व्यय				
वेतन और भत्ते	3,50,25,755.00		3,59,83,901.00	
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	3,22,508.00		50,572.00	
मेडिकल	1,40,869.00		3,21,984.00	
ट्रयूशन फीस	4,18,500.00		1,15,500.00	
ग्रेज्यूटी	-		-	
एलटीसी व्यय	7,38,828.00		1,05,220.00	
भविष्य निधि से निकासी/अग्रिम	-		-	
देय व्यय	-		-	
स्टॉफ अग्रिम	-	3,66,46,460.00	-	3,65,77,177.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत और रखरखाव	39,91,165.00		20,90,903.00	
डाक	1,42,477.00		89,648.00	
मुद्रण और स्टेशनरी	4,83,826.00		2,75,488.00	
बिजली और पानी प्रभार	-		17,22,044.00	
किराया, दर और कर	2,96,41,913.00		1,55,46,252.00	
विविध व्यय	8,88,315.00		23,25,267.00	
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	54,390.00		70,995.00	
टेलीफोन व्यय	1,83,328.00		2,08,132.00	
विज्ञापन व्यय	23,757.00		-	
घरेलू यात्रा	14,55,736.00		10,42,164.00	
विदेश यात्रा	1,41,260.00		6,43,420.00	
व्यवसायिक व्यय	8,60,890.00		4,22,797.00	
प्रकाशन	5,04,138.00		3,72,672.00	
बैंक प्रभार	7,811.59		3,818.86	
अनुसंधान और विकास	4,22,038.00		1,10,000.00	
दक्षिण परिसर व्यय	69,404.00		22,05,568.00	
पुस्तकालय	-	3,88,70,448.59	4,165.00	2,71,33,333.86
सरकार को भुगतान				
एनपीएस ट्रस्ट को भुगतान (सीपीएफ)	43,39,946.00		3,31,86,938.00	
आकस्मिक व्यय के लिए स्टॉफ अग्रिम	16,176.00		37,000.00	
एलटीए अग्रिम	-	43,56,122.00	1,85,000.00	3,34,08,938.00
अंतिम शेष				
चैकर जारी किया गया परंतु सावधि जमा के लिए नहीं	-		-	
बैंक बकाया (एफडी ऑटो स्वीप)	3,43,53,750.00			
बैंक बकाया (पूँजीशेष एफडी ऑटो स्वीप)	7,48,84,007.00			
बैंक बकाया (सीपीएफ सावधि जमा)	-		9,18,02,499.00	
बैंक बकाया (अन्य सावधि जमा)	-		5,14,51,973.00	
बैंक बकाया (चालू खाता)	15,32,802.24		17,46,590.87	
यूको बैंक बचत खाता	(14,12,966.26)	10,93,57,592.98	25,318.00	14,50,26,380.87
कुल		50,83,25,932.87		32,35,05,539.73

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएन:19046053AAAAA3261

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03-Sept-2019

अनुसूची 2: आरक्षितियां और अधिशेष

विशिष्टियां	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
	रुपए	रुपए
आरक्षितियां और अधिशेष		
अधिशेष	23,07,95,770.52	11,27,84,532.38
जोड़े: वर्ष के दौरान आंतरिक आय पर व्यय का आधिक्य		
पूंजी शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	(37,20,186.59)	(1,63,43,901.86)
- भूमि	-	-
- रोहिणी परिसर	15,79,00,000.00	10,00,00,000.00
- साउथ कैपस	10,00,00,000.00	3,43,55,140.00
अर्जित ब्याज		
- रोहिणी परिसर के लिए अनुदान से	-	-
- दक्षिणी परिसर के लिए अनुदान से	-	-
कुल	48,49,75,583.93	23,07,95,770.52

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

विशिष्टियां	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
	रुपए	रुपए
स्टॉफ अंशदान भविष्य निधि		
अधिशेष	85,98,301.00	4,17,85,239.00
जोड़े: - नियोक्ता अंशदान	-	-
- कर्मचारी अंशदान	-	-
भविष्य निधि पर ब्याज	-	-
घटा: एनपीएस में जमा	85,98,301.00	4,17,85,239.00
	-	(3,31,86,938.00)
सरकार को देय अन्य आय*	85,98,301.00	85,98,301.00
जमा प्रारंभिक राशि	71,05,258.00	55,90,595.00
देय व्यय	2,11,298.00	2,61,298.00
प्राप्त सिक्यूरिटी	3,91,84,336.00	1,22,31,848.00
एनपीएस में नियोक्ता अंशदान	71,809.00	1,01,809.00
एनपीएस में नियोक्ता का देय अंशदान	2,63,762.00	2,07,033.00
बैंक शेष (चैक ओवरड्रॉइड)	3,80,865.00	1,17,103.00
	-	-
कुल	5,58,15,629.00	2,71,07,987.00

*इस राशि में सावधि जमा में निवेश किए गए पूंजी अनुदानों पर अर्जित ब्याज शामिल हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

अनुसूची 4: वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

क्र.सं.	विशिष्टियां	दर	01.04.2018 तक डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2019 तक डब्ल्यूडीवी
			रुपए	180 दिन से अधिक	रुपए				
1.	पुस्तकें	40%	58,425.00	2,25,296.00	23,544.00	-	3,07,265.00	1,18,197.00	1,89,068.00
2.	कार्यालय उपकरण	15%	4,69,613.00	3,22,584.00	2,71,642.00	-	10,63,839.00	1,39,203.00	9,24,636.00
3.	फर्नीचर और उपस्कर	10%	18,98,156.00	14,990.00	-	10,82,983.00	8,30,163.00	1,91,315.00	6,38,848.00
	संयंत्र और मशीनरी								
4.	संयंत्र और मशीनरी	15%	4,07,221.00	-	-	-	4,07,221.00	61,083.00	3,46,138.00
	कंप्यूटर								
5.	कंप्यूटर और मशीनरी	40%	71,092.00	-	-	-	71,092.00	28,437.00	42,655.00
6.	सॉफ्टवेयर	40%	64.00	-	-	-	64.00	26.00	38.00
7.	भूमि (रोहिणी परिसर)	0%	5,54,17,002.00	-	-	-	5,54,17,002.00	-	5,54,17,002.00
8.	निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	0%	-	37,152.30	11,02,75,542.00	-	11,03,12,694.30	-	11,03,12,694.30
9.	निर्माणाधीन भवन (रोहिणी परिसर)	0%	5,25,88,822.00	4,90,20,675.00	14,71,15,963.00	-	24,87,25,460.00	-	24,87,25,460.00
	कुल		11,09,10,395.00	4,96,20,697.30	25,76,86,691.00	10,82,983.00	41,71,34,800.30	5,38,261.00	41,65,96,539.30

अनुसूची 5: निवेश

विशिष्टियां	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
	रुपए	रुपए
यूको बैंक में सावधि जमा (स्टॉफ अंशदायी भविष्य निधि)	-	-
यूको बैंक में सावधि जमा (अन्य)	3,63,99,451.00	5,14,51,973.00
सावधि जमा (बचत खाता)	7,57,74,067.00	9,18,02,499.00
प्राप्त ब्याज	-	-
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर - बैंक)	14,38,183.00	-
कुल	11,36,11,701.00	14,32,54,472.00

अनुसूची 6: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
	रुपए	रुपए
क. चालू आस्तियां		
बैंक बकाया:		
यूको बैंक खाता संख्या 1820020000924924	15,32,802.24	17,46,590.87
आटो स्वीप खाते में शेष	(14,12,966.26)	25,318.00
बैंक बकाया	1,19,835.98	17,71,908.87
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
प्रतिभूति जमा	15,000.00	15,000.00
स्रोत पर वसूली योग्य काटा गया टैक्स	2,53,673.65	2,53,673.65
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	300.00	1,154.00
परिवहन अग्रिम	29,781.00	29,781.00
त्योहार अग्रिम	498.00	498.00
एलटीसी अग्रिम	-	87,500.00
पीएलए (विविध प्राप्ति खाते)	15,79,375.00	15,79,375.00
दक्षिणी परिसर (मोबिलाइजेशन एडवांस)	85,84,509.00	-
कुल	1,05,82,972.63	37,38,890.52

अनुसूची 7: गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान (डीएम-डिवीजन)

विशिष्टियां	2018-19	2017-18
	रुपए	रुपए
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी क्षेत्रीय कार्यालय की योजना के अधीन गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	99999979.00	78678721.00
कुल	9,99,99,979.00	7,86,78,721.00

अनुसूची 8: स्थापना व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)

विशिष्टियां	2018-19	2017-18
	रुपए	रुपए
वेतन और भत्ते	3,44,05,487.00	3,19,64,193.00
पेंशन अंशदान	22,26,702.00	-
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए	10,61,336.00	1,55,792.00
छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	7,74,318.00	-
भविष्य निधि में अंशदान	-	22,13,579.00
स्टॉफ भविष्य निधि में शेष पर प्राप्त ब्याज	-	-
ग्रेच्युटी	-	-
मेडिकल	1,40,869.00	3,21,984.00
ट्यूशन फीस	3,51,000.00	5,34,000.00
कुल	3,89,59,712.00	3,51,89,548.00

अनुसूची 9: अन्य प्रशासनिक व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)

विशिष्टियां	2018-19	2017-18
	रुपए	रुपए
ऑडिट फीस	23,600.00	0
मरम्मत और रखरखाव	40,52,765.00	19,37,549.00
डाक	1,31,407.00	1,05,913.00
मुद्रण और स्टेशनरी	4,83,826.00	2,75,488.00
बिजली और पानी के प्रभार	-	16,78,014.00
विविध व्यय	9,76,489.00	17,96,332.00
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	56,972.00	67,467.00
टेलीफोन व्यय	1,65,913.00	1,98,145.00
विज्ञापन और प्रचार	23,757.00	-
घरेलू यात्रा	15,18,523.00	6,63,076.00
विदेश यात्रा	1,41,260.00	6,04,689.00
व्यवसायिक प्रभार	8,60,890.00	4,08,710.00
किराया, दर और कर	2,08,77,162.00	2,00,20,565.00
बैंक प्रभार	7,811.59	3,818.86
प्रकाशन	5,04,138.00	3,72,672.00
अनुसंधान और विकास	4,22,038.00	1,10,000.00
दक्षिणी परिसर व्यय	69,404.00	22,05,568.00
कुल	3,03,15,955.59	3,04,48,006.86

अनुसूची 10: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय (गृह मंत्रालय – अनुदान)

विशिष्टियां	2018-19	2017-18
	रुपए	रुपए
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय	2,06,81,769.00	1,53,84,270.00
जेएनयू को अनुदान	1,05,57,000.00	1,13,30,000.00
कुल	3,12,38,769.00	2,67,14,270.00

अनुसूची 11: प्राप्त ब्याज

विशिष्टियां	2018-19	2017-18
	रुपए	रुपए
सावधि जमा पर ब्याज (भविष्य निधि)	28,39,290.00	21,15,570.00
अन्य ब्याज	1,948.00	34,75,025.00
कुल	28,41,238.00	55,90,595.00

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
 फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
 (पार्टनर)
 एम. नं. 046053
 यूडीआईएन:19046053AAAAAA3261

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
 (कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
 (लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 03-Sept-2019

**पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)**

31 मार्च, 2019 तक पीएलए बैलेंस शीट

(राशि रूपए में)

विशिष्टियां	अनुसूची	31.03.2019	31.03.2018
		रूपए	रूपए
संचित निधि और देयताएं			
पूंजी और आरक्षिती तथा अधिशेष	1	7,31,560	7,31,560
निर्धारित राशि	2	70,13,269	19,33,155
चालू देयताएं और प्रावधान	3	20,13,092	23,67,249
कुल		97,57,921	50,31,964
आस्तियां			
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	4	97,57,921	50,31,964
कुल		97,57,921	50,31,964

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 009771एन

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-
अनुपमा गोयल
(पार्टनर)
एम. नं. 046053
यूडीआईएन:19046053AAAAAA3261

हस्ता/-
मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल
(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-
सुरेन्द्र सिंह बिष्ट
(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03-Sept-2019

पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रूपए में)

विशिष्टियां	31.03.2019	31.03.2018
	रूपए	रूपए
आय		
ब्याज आय	15,118.00	56,766.00
विविधि प्राप्ति	63,639.00	3,34,095.00
सावधि जमा पर ब्याज	3,25,001.00	3,67,650.00
कुल (क)	4,03,758.00	7,58,511.00
व्यय		
बैंक प्रभार	41.30	636.70
कुल (ख)	41.30	636.70
अधिशेष/कम होने के कारण बकाया (क-ख)	4,03,716.70	7,57,874.30
घटाएं: पीएओ, एमएचए को अंतरित बचत	4,03,716.70	7,57,874.30
अधिशेष/कम होने के कारण बैलेंस शीट में ले जाया गया बकाया	-	-

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

यूडीआईएन:19046053AAAAA3261

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि रूप में)

विशिष्टियां	31.03.2019		31.03.2018	
प्राप्तियां				
अथशेष				
यूको बैंक (बचत खाता)	27,963.08		8,57,293.78	
सावधि जमा	50,04,001.00	50,31,964.08	50,56,573.00	59,13,866.78
वर्ष के दौरान प्राप्ति				
1. डब्ल्यूवीआई ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्ति	91,500.00		87,000.00	
2. सरकार के लिए एफडी पर प्राप्त ब्याज	-		17,222.00	
3. विदेश मंत्रालय से सार्क वेतन के लिए प्राप्ति	-		9,00,000.00	
4. बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	774,950.00		-	
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राप्ति	46,83,472.00		-	
6. जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ/यूएनडीपी) से प्राप्त राशि	6,15,000.00	6,164,922.00	-	10,04,222.00
अन्य प्राप्ति				
1. विविध प्राप्ति	63,639.00		3,34,095.00	
2. प्राप्त ब्याज	17,273.00	80,912.00	4,07,194.00	7,41,289.00
कुल		11,277,798.08		76,59,377.78
भुगतान				
परियोजना व्यय				
1. बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि	575,266.00		-	
2. जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ/यूएनडीपी) से प्राप्त राशि	5,09,542.00		-	
3. एसएडीकेएन परियोजना व्यय	-		-	
4. सार्क वेतन व्यय	-	1,084,808.00	9,00,000.00	9,00,000.00
अन्य व्यय/भुगतान				
1. एनडीएमए को लौटाया गया अनुदान			10,00,000.00	
2. ऑनलाइन पाठ्यक्रम फीस की वापसी			6,000.00	
3. सरकार को भुगतान एनडीएमए को एएमसीडी आरआर कार्यक्रम के लिए	7,57,874.00		-	
4. लौटाई गई राशि	-		-	
5. बैंक प्रभार	41.30		636.70	
6. गृह मंत्रालय को दी गई परियोजना बचत	-	7,57,915.30	7,20,777.00	17,27,413.70
अंतिम शेष				
यूको बैंक (बचत खाता)	10,00,673.78		27,963.08	
सावधि जमा	84,34,401.00	94,35,074.78	50,04,001.00	50,31,964.08
कुल		11,277,798.08		76,59,377.78

विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

यूडीआईएन:19046053AAAAAA3261

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुन्दर सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (पीएलए)

अनुसूची 1: संकाय/पूँजी निधि

(राशि रूपए में)

विशिष्टियां	31.03.2019	31.03.2018
	रूपए	रूपए
अथशेष	7,31,560.00	7,31,560.00
	7,31,560.00	7,31,560.00

अनुसूची 2: निर्धारित निधि

विशिष्टियां	31.03.2019	31.03.2018
	रूपए	रूपए
1. न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से ‘आपदा प्रबंधन प्लान’ तैयार करने के लिए प्राप्त राशि अथशेष जमा: वर्ष के दौरान प्राप्त	7,70,249.00 -	7,70,249.00 -
	7,70,249.00	7,70,249.00
2. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त जमा: व्यय के लिए दिया गया अप्रिम	- - -	1,000,000.00 - -
घटा: वर्ष के दौरान प्रयोग किया गया घटा: वापस की गई राशि	- -	1,000,000.00 -
	-	1,000,000.00
3. ऑनलाइन – डब्ल्यूवीआई पाठ्यक्रम से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	81,000.00 91,500.00	- 81,000.00
घटा: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय घटा: सरकारी कोष में देय बचत	1,72,500.00 - -	- - -
	1,72,500.00	81,000.00
4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटा: सरकारी कोष में देय बचत	- 46,83,472.00 -	- - -
घटा: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय	46,83,472.00 -	- -
	46,83,472.00	-
5. आईआरएस मॉड्यूल तैयार करने के लिए यूएसएआईडी से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त घटा: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय	400,000.00 - -	400,000.00 - -
	400,000.00	400,000.00

6.	यूजीसी से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	681,906.00 - 681,906.00	681,906.00 - 681,906.00
7.	जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ/यूएनडीपी) से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	- 6,15,000.00 6,15,000.00	- - -
	घटा: वर्ष के दौरान प्रयोग की गई/व्यय घटा: एनडीएमए को लौटाया गया अव्ययित बकाया	5,09,542.00 -	- -
		1,05,458.00	-
8.	बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	- 774,950.00 774,950.00	- - -
	घटा: सरकारी खाते में जमा बचत घटा: वर्ष के दौरान खर्च की गई/व्यय	- 575,266.00	- -
		1,99,684.00	-
9.	विदेश मंत्रालय से प्राप्त राशि अथशेष वर्ष के दौरान प्राप्त	- -	- 9,00,000.00
	घटा: वर्ष के दौरान खर्च/प्रयोग की गई	-	9,00,000.00
		-	-
	कुल	70,13,269.00	19,33,155.00

अनुसूची 3: चालू देयताएं और प्रावधान

विशिष्टियां	31.03.2019	31.03.2018
	रुपए	रुपए
सरकारी खाते में देय परियोजना बचत	4,03,717.00	7,57,874.30
प्रारंभिक राशि प्रतिभूति जमा	30,000.00	30,000.00
एनआईडीएम (मुख्य खाता)	15,79,375.00	15,79,375.00
कुल	20,13,092.00	23,67,249.30

अनुसूची 4: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

विशिष्टियां	31.03.2019	31.03.2018
	रुपए	रुपए
चालू आस्तियां	-	-
नकद राशि	-	-
बैंक बकाया:		
यूको बैंक खाता संख्या 6139	10,00,673.78	27,963.08
सावधि जमा (एफडीडी)	87,57,247.00	50,04,001.00
कुल	97,57,920.78	50,31,964.08

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (गृह मंत्रालय) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखा टिप्पण

अनुसूची 1

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

- क) वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर पुरान लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुसरण में है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा फीस के लिए प्रावधान दर्ज नहीं किया गया है और मार्च, 2018 माह के लिए वेतन अप्रैल, 2018 में दर्ज किया गया है तथा मार्च, 2019 को व्यय में दर्ज नहीं किया गया है।
- ख) स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर भौतिक सत्यापन के लिए रखा जा रहा है और परियोजना के अंतर्गत अर्जित सभी स्थिर परिसंपत्तियों को उस वित्तीय वर्ष जिसमें वह आस्ति प्राप्त की गई थी, में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की लेखा बही में रखा जाता है। स्थिर आस्तियों को प्राप्ति की लागत और स्थापना की लागत, यदि हो, के साथ एक वर्ष में प्रभारित अवमूल्यन से घटाकर लिखा जाता है। स्थिर आस्तियों पर अवमूल्यन का प्रावधान आयकर अधिनियम की तहत निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान, संस्थान ने आईआईपीए परिसर में रखी पुरानी और बेकार फर्नीचर मदों का निपटान किया है।
- ग) अनुदान सहायता जहां राशि प्राप्त की जाती है, लेखा बही में दर्ज किए जा रहे हैं।
- घ) सभी व्यय जहां और जब किए जाएं, लेखा बही में दर्ज किए जा रहे हैं।
- ड) एनआईडीएम के स्टाफ के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2017 के पत्र संख्या 46-16/2012-एनडीएम-II के अनुसार एनडीआईएम ने 3 कर्मचारियों, जिन्होंने एनपीएस में राशि जमा करने का विकल्प नहीं दिया है, को छोड़कर 27 में से 24 कर्मचारियों की एनपीएस खाते में जमा की है। तथापि, जिन कर्मचारियों ने सेवा छोड़ दी है, अदालत और निधन के मामले में उनकी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान) एनआईडीएम के बैंक खाते में है।
- च) विदेशी मुद्रा में किए गए संव्यवहार को संव्यवहार करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

- छ) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है।
- ज) विशेष रूप से उल्लेख न की गई लेखांकन नीतियां अन्यथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों के अनुरूप हैं।
- ज) संस्थान के गृह मंत्रालय के साथ किराया करार को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और संस्थान ने किराए के लिए दो महीने का अग्रिम दे दिया है।
- झ) संस्थान में पीएफएमएस उपलब्ध नहीं है अतः सहायक संपदा निदेशक को बकाया भुगतान नहीं किया जा सका।

2. आकस्मिक देयताएं

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में मान्यता नहीं दी गई - शून्य।

- 3. प्रबंधन की राय में व्यापार के सामान्य क्रम में वर्तमान आस्तियां, ऋण और अग्रिम वसूली का मूल्य राशि से कम नहीं होगा जो बैलेंस शीट में दर्शायी गई है। सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान लेखा में किया गया है।
- 4. गृह मंत्रालय के दिनांक 23 मार्च, 2010 के पत्र संख्या 45-5/2008-एनडीएम-IV/II के माध्यम से एक लग पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) रखा गया है और जमा से प्राप्त ब्याज सहित परियोजनाओं से सृजित निवल बचत भारत की संचित निधि में जमा कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पीएलए के वित्तीय विवरण अलग से तैयार किए गए हैं।



Vipin Aggarwal Kudsia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

150-A, DDA Flats, Shahpur Jat,
New Delhi - 110049
Tel. / Fax : 011-26492207/08
e-mail : welcome@vakaassociates.com

जीएफआर 12 - क

[(देखें नियम 238 (1))]

कोंडापवुलुरु, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में दक्षिणी परिसर के निर्माण के लिए
गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में
वर्ष 2018-19 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- योजना का नाम: - अनुदान संख्या 46 गृह मंत्रालय (गैर-आयोजना)
4250: अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष)
- आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान:- गैर-आवर्ती
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में अनुदान स्थिति
 - नकद/बैंक:- 3,43,55,140/- रुपए
 - गैर समायोजित अग्रिम
 - कुल:- 3,43,55,140/- रुपए
- प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष के विवरण: (वास्तविक)

वर्षों में प्राप्त अनुदान का खर्च न किया गया बकाया [ऑकड़े क्रम सं. 3 के अनुसार (iii)]	उस पर प्राप्त ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (1+2-3+4)	किया गया व्यय	अंतिम बकाया (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृति सं. (i)	तारीख (ii)	राशि (iii)			
34355140	*	*	38-29/2018-एनडीएम-II	17 अक्टूबर, 2018	100000000	134355140	120335386.30**	14019754

घटक-वार अनुदानों का उपयोग:

अनुदान-सहायता- सामान्य	अनुदान सहायता वेतन	अनुदान-सहायता पूंजीगत आस्तियों का सृजन	कुल
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वर्ष के अंत में अनुदान स्थिति का विवरण

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| (i) नकद/बैंक | : | 140,19,754/- |
| (ii) समायोजित न किए | : | |
| (iii) कुल | : | 140,19,754/- |

नोट: *एनआईडीएम लेखों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद प्रति वर्ष अलग से सरकारी कोष में ब्याज जमा करता है।

**इसमें बैंक गारंटी के प्रति दी गई 14,38,183 रुपए और 85,84,509 रुपए का असमायोजित मोबिलाइजेशन अग्रिम शामिल है।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है। यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए यह स्वीकृत की गई थी, मैंने निम्नलिखित जाँच बिंदुओं का प्रयोग किया है:

- (i) सार्वजनिक राशि/आस्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद है, जो वित्तीय इनपुट की तुलना में परिणामों और वास्तविक उपलब्धियों की निगरानी करते हैं और आस्ति सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (ii) हमारे विश्वास और जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों और योजना मार्ग-निर्देशकों का उल्लंघन करते हुए कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
- (iii) योजना के निष्पादन के लिए मुख्य अधिकारियों के बीच दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और प्रकृति में सामान्य नहीं है।
- (iv) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना दिशा-निर्देशों और अनुदान-सहायता की शर्तों और निबंधनों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में हुआ है।
- (v) यह सुनिश्चित किया गया है कि दक्षिणी परिसर, दिल्ली के निर्माण के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार रहा है और निष्पादन/लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं।

कृते विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

यूडीआईएन:19046053AAAAA3261

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019



Vipin Aggarwal Kudsia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

150-A, DDA Flats, Shahpur Jat,
New Delhi - 110049
Tel. / Fax : 011-26492207/08
e-mail : welcome@vakaassociates.com

जीएफआर 12 - क
[(देखें नियम 238 (1))]

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

रोहिणी परिसर, दिल्ली के निर्माण के लिए गैर-आवर्ती अनुदानों के संबंध में
वर्ष 2018-19 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

1. योजना का नाम: - अनुदान संख्या 46 गृह मंत्रालय (गैर-आयोजना)

4250: अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय (मुख्य शीर्ष)

2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान:- गैर-आवर्ती

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में अनुदान स्थिति

(i) नकद/बैंक:- 5,74,11,178/- रुपए

(ii) गैर समायोजित अग्रिम

(iii) कुल:- 5,74,11,178/- रुपए

4. प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष के विवरण: (वास्तविक)

वर्षों में प्राप्त अनुदान का खर्च न किया गया बकाया [आंकड़े क्रम सं. 3 के अनुसार (iii)]	उस पर प्राप्त ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (1+2-3+4)	किया गया व्यय	अंतिम बकाया (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
			स्वीकृत सं. (i)	तारीख (ii)	राशि (iii)			
5,74,11,178	42,46,110**	*	38-30/2018-एनडीएम-II	15 नवंबर, 2018	150000000			
			38-30/2018-एनडीएम-II	14 मार्च, 2019	79000000	21,53,11,178	19,61,36,638	1,91,74,540

घटक-वार अनुदानों का उपयोग:

अनुदान-सहायता- सामान्य	अनुदान सहायता वेतन	अनुदान-सहायता पूंजीगत आस्तियों का सृजन	कुल
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वर्ष के अंत में अनुदान स्थिति का विवरण 2018-19

(i) नकद/बैंक:- 1,91,74,540/- रुपए

(ii) समायोजित न किए

(iii) कुल:- 1,91,74,540/- रुपए

नोट: - *एनआईडीएम लेखों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद प्रति वर्ष अलग से सरकारी कोष में ब्याज जमा करता है।

**रोहिणी और दक्षिणी परिसर दोनों के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज इसमें शामिल हैं। यह राशि एक अकाउंट में सावधि जमा में निवेश की गई है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है। यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए यह स्वीकृत की गई थी, मैंने निम्नलिखित जाँच बिंदुओं का प्रयोग किया है:

- (i) सार्वजनिक राशि/आस्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद है, जो वित्तीय इनपुट की तुलना में परिणामों और वास्तविक उपलब्धियों की निगरानी करते हैं और आस्ति सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (ii) हमारे विश्वास और जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों और योजना मार्ग-निर्देशकों का उल्लंघन करते हुए कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
- (iii) योजना के निष्पादन के लिए मुख्य अधिकारियों के बीच दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और प्रकृति में सामान्य नहीं है।
- (iv) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय योजना दिशा-निर्देशों और अनुदान सहायता की शर्तों और निबंधनों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में हुआ है।
- (v) यह सुनिश्चित किया गया है कि दक्षिणी परिसर, आंध्र प्रदेश के निर्माण के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार रहा है और निष्पादन/लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं।

कृते विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म रजि. सं. 009771एन

यूडीआईएन:19046053AAAAAA3261

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019



Vipin Aggarwal Kudsia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

150-A, DDA Flats, Shahpur Jat,
New Delhi - 110049
Tel. / Fax : 011-26492207/08
e-mail : welcome@vakaassociates.com

जीएफआर 12 - क
[(देखें नियम 238 (1))]

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

एनआईडीएम को गैर-आवर्ती/अनुदान-सहायता-सामान्य के संबंध में
वर्ष 2018-19 के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- योजना का नाम: - अनुदान संख्या 46 गृह मंत्रालय (गैर-आयोजना)
मांग संख्या 46: 2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत (मुख्य शीर्ष)
- आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान:- आवर्ती और गैर-आवर्ती
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में अनुदान स्थिति
 - नकद/बैंक:- 2,54,14,020.41/-
 - गैर-समायोजित अग्रिम
 - कुल :- 2,54,14,020.41/-
- प्राप्त अनुदान, किए गए व्यय और अंतिम शेष के विवरण: (वास्तविक)

वर्षों में प्राप्त अनुदान का खर्च न किया गया बकाया [आंकड़े क्रम सं. 3 के अनुसार (iii)]	उस पर प्राप्त ब्याज	सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			कुल उपलब्ध निधियां (1+2-3+4)	किया गया व्यय	अंतिम बकाया (5-6)
1	2	3	4			5	6	7
2,54,14,020.41	*28,41,238		स्वीकृति सं. (i)	दिनांक (ii)	राशि (iii)			
			45-28/2016-एनडीएम-II	11 जुलाई, 2018	3,45,85,979			
			45-28/2016-एनडीएम-II	29 अक्टूबर, 2018	3,00,00,000			
			45-28/2016-एनडीएम-II	18 जनवरी, 2019	2,00,00,000			
			45-28/2016-एनडीएम-II	22 फरवरी, 2019	1,54,14,000	12,54,13,999.42	10,40,39,960.60	2,13,74,038.82

घटक-वार अनुदानों का उपयोग:

अनुदान-सहायता- सामान्य	अनुदान सहायता वेतन	अनुदान-सहायता पूँजीगत आस्तियों का सृजन	कुल

वर्ष के अंत में अनुदान स्थिति का विवरण

- नकद/बैंक: - 2,13,74,038.82/- रुपए
- समायोजित न किए
- कुल: - 2,13,74,038.82/- रुपए

नोट: - *एनआईडीएम लेखों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के बाद प्रति वर्ष अलग से सरकारी कोष में ब्याज जमा करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने समाधान कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किया गया था, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है। यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए यह स्वीकृत की गई थी, मैंने निम्नलिखित जाँच बिंदुओं का प्रयोग किया है:

- (i) सार्वजनिक राशि/आस्तियों की सुरक्षा के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद है, जो वित्तीय इनपुट की तुलना में परिणामों और वास्तविक उपलब्धियों की निगरानी करते हैं और आस्ति सृजन में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है तथा कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (ii) हमारे विश्वास और जानकारी के अनुसार, संबंधित अधिनियम/नियमों/स्थायी निर्देशों और योजना मार्ग-निर्देशकों का उल्लंघन करते हुए कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।
- (iii) योजना के निष्पादन के लिए मुख्य अधिकारियों के बीच दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं और प्रकृति में सामान्य नहीं है।
- (iv) लाभ लक्षित लाभार्थियों को दिए गए और केवल उन्हीं क्षेत्रों/जिलों को कवर किया गया जिनके लिए योजना चलाने का लक्ष्य था।
- (v) जिन शर्तों पर अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया और यह देखने के लिए कि राशि का वास्तविक उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी, निम्नलिखित जाँच बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। 31 मार्च, 2019 के अंत तक अव्ययित बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पेय भुगतान-सहायता के प्रति समायोजित की जाएगी।

कृते विपिन अग्रवाल कुदसिया एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म रजि. सं. 009771एन

यूडीआईएन:19046053AAAAA3261

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ता/-

अनुपमा गोयल

(पार्टनर)

एम. नं. 046053

हस्ता/-

मेजर जनरल मनोज कुमार बिन्दल

(कार्यकारी निदेशक)

हस्ता/-

सुरेन्द्र सिंह बिष्ट

(लेखा अधिकारी)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03-Sept-2019

अध्याय

8

अनुबंध

अध्याय 8: अनुबंध

अनुबंधों की सूची

8.1	अनुबंध-I	:	संस्थान के सदस्यों की सूची
8.2	अनुबंध-II	:	संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची
8.3	अनुबंध-III	:	एनआईडीएम द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची
8.4	अनुबंध-IV	:	वर्ष 2018 के दौरान नियुक्त इंटरन का विवरण

8.1 अनुबंध-I: संस्थान के सदस्यों की सूची

(आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) नियम, 2006, धारा-3)

क्र.सं.	सदस्य
1.	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारीमंत्री जो पदेन अध्यक्ष होगा;
2.	राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो पदेन उपाध्यक्ष होगा;
3.	राष्ट्रीय प्राधिकरण का एक सदस्य;
4.	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष अर्थात् आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
5.	व्यय का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
6.	कृषि का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
7.	विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
8.	स्वास्थ्य का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
10.	परमाणु ऊर्जा का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
11.	अंतरिक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
12.	महासागर विकास का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
13.	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग में आपदा प्रबंधन का कार्य देखने वाला भारत सरकार का सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव जैसा भी मामला हो, पदेन;
14.	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग में आपदा प्रबंधन का कार्य देखने वाला भारत सरकार का अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, जैसा भी मामला हो, पदेन;

क्र.सं.	सदस्य
15.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सचिव/अपर सचिव, जो भी मामला हो, पदेन;
16.	महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल, पदेन;
17.	एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख, डाक्ट्राइन आर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग (डीओटी), आईडीएस, एचक्यू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्रालय, पदेन;
18.	आपदा प्रबंधन के प्रभारी राज्य सरकार के दो सचिव;
19.	
20.	विश्वविद्यालयों के एक कुलपति;
21.	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी;
22.	निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद;
23.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग, पदेन;
24.	किसी भारतीय प्रबंधन संस्थान और किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से दो निदेशक, प्रत्येक में से एक
25.	
26.	अध्यक्ष, केंद्र जल आयोग, पदेन;
27.	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, पदेन;
28.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पदेन;
29.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या राज्य ग्रामीण विकास संस्थान का एक महानिदेशक;
30.	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, पदेन;
31.	आपदा प्रबंधन, लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी चिकित्सा आदि के क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति
32.	
33.	दो विशेषज्ञ, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र प्रत्येक से एक
34.	
35.	अखिल भारतीय स्तर के उद्योग संघों या मंडलों जो केंद्र सरकार के मत में उद्योग, व्यापार या वाणिज्य का प्रतिनिधित्व
36.	करने में सक्षम हो, के दो अध्यक्ष या प्रमुख, चाहे जो भी नाम हो;
37.	गैर-सरकारी संगठनों जो केंद्र सरकार के मत में आपदा प्रबंधन कार्यों में सक्रिय या प्रभावी हो या ऐसे क्रियाकलापों के
38.	लिए सक्षम है, को दो अध्यक्ष या प्रमुख, चाहे जो भी नाम हो;
39.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में से एक प्रमुख;
40.	चिकित्सा या स्वास्थ्य संस्थानों में से एक प्रमुख;
41.	एक प्रोफेसर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान;
42.	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, पदेन।

8.2 अनुबंध-II: संस्थान के शासी निकाय के सदस्यों की सूची

(आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) नियम, 2006, धारा-6)

क्र.सं.	नाम और पता
1.	राष्ट्रीय प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो पदेन अध्यक्ष होगा;
2.	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, जो पदेन उपाध्यक्ष होगा;
3.	आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग में आपदा प्रबंधन का कार्य देखने वाला केंद्र सरकार का सचिव या विशेष सचिव या अवर सचिव या संयुक्त सचिव, जो भी मामला हो, पदेन;
4.	व्यय का प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव, पदेन;
5.	राष्ट्रीय प्राधिकरण का सचिव या अपर सचिव, जैसा भी मामला हो, पदेन;
6.	आपदा प्रबंधन के प्रशासनिक नियंत्रण वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग का वित्त कार्य की देखरेख करने वाला अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, जैसा भी मामला हो, पदेन;
7.	राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के सदस्यों में से एक सदस्य;
8.	विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान का एक सदस्य;
9.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के दो सदस्य
10.	
11.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान का एक सदस्य;
12.	अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय जल आयोग और भारतीय अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थान के सदस्यों में से दो सदस्य; और
13.	
14.	संस्थान के कार्यकारी निदेशक, पदेन।

8.3 अनुबंध-III: एनआईडीएम द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

(आमने-सामने और ऑनलाइन)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	भागीदारों की संख्या
1.	डीआरआर के लिए ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23-27 अप्रैल	सूर्य प्रकाश	29
2.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण को नगर आयोजना योजना प्रक्रिया में मुख्य धारा में लाना	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (विशाखापट्टनम)	1-4 मई	चंद्राणी बंद्योपाध्याय शेखर चतुर्वेदी	21
3.	स्कूल सुरक्षा प्लान और गैर-संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट	एनआईडीएम, नई दिल्ली	1-4 मई	आमिर अली खान	28
4.	आपदा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखरेख (एनडीआरएफ के लिए)	एनआईडीएम, नई दिल्ली	14-18 मई	अजिन्दर वालिया	20
5.	आपदा आपात प्लान और एनआईडीएम मैपिंग सर्वे	एनआईडीएम, नई दिल्ली	4-8 जून	चन्दन घोष आमिर अली खान	28
6.	बाढ़ जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	11-15 जून	ए डी कौशिक	35
7.	पूर्व चेतावनी एवं सूचना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-22 जून	सूर्य प्रकाश	15
8.	पूर्वनिर्मित एवं हल्के वजन वाली निर्माण प्रौद्योगिकी	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25-29 जून	चन्दन घोष	21
9.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): मूल और मध्यस्थ	एनआईडीएम, नई दिल्ली	25-29 जून	संतोष कुमार	37
10.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): मूल और मध्यस्थ	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (बापातला)	9-13 जुलाई	संतोष कुमार शेखर चतुर्वेदी	29
11.	ग्राम आपदा प्रबंधन प्लान	एनआईडीएम, नई दिल्ली	9-13 जुलाई	सुषमा गुलेरिया	39
12.	भूकंपरोधी निर्माण प्रथाएं और नए भवन निर्माण कोड	एनआईडीएम, नई दिल्ली	16-20 जुलाई	आमिर अली खान	28
13.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): मूल और मध्यस्थ	वाईएसएसएचएडीए, पुणे	16-20 जुलाई	शेखर चतुर्वेदी	24
14.	आपातकाल/आपदा स्थिति में सूचना प्रेषण	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (बापातला)	16-20 जुलाई	सूर्य प्रकाश ए डी कौशिक	24
15.	पीएम एजेंडा 10: क्षेत्रीय और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का प्रबंधन प्लान	एनआईडीएम, नई दिल्ली	17-18 जुलाई	अनिल कुमार गुप्त	79
16.	शहरी जोखिम न्यूनीकरण पर टीओटी: नगर पुनरुद्धार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23-27 जुलाई	चंद्राणी बंद्योपाध्याय	17
17.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए)	एसडीएमए, बिहार	30-31 जुलाई	संतोष कुमार	40
18.	डीआरआर और सीसीए को ग्रामीण विकास नीतियों व कार्यक्रमों में एकीकृत करने पर टीओटी कार्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	6-10 अगस्त	सुषमा गुलेरिया	34

19.	अतिविषम मौसम घटनाएं	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (बापटला)	6-10 अगस्त	सूर्य प्रकाश	27
20.	जेंडर और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	27-31 अगस्त	अजिन्दर वालिया	26
21.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): मूल और मध्यस्थ	एचआईपीए, हिमाचल प्रदेश	17-20 सितंबर	शेखर चतुर्वेदी	22
22.	आपदा जोखिम संचार एचएएम के माध्यम से	एनआईडीएम, नई दिल्ली	24-28 सितंबर	सूर्य प्रकाश	46
23.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): बीएसडीएमए के सहयोग से मूल और मध्यस्थ	बीआईपीएआरडी, बिहार	8-12 अक्टूबर	शेखर चतुर्वेदी	33
24.	भूकंप जोखिम राहत और प्रबंधन	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम)	8-12 अक्टूबर	आमिर अली खान चन्दन घोष	58
25.	भीड़ प्रबंधन-भगदड़ जोखिम न्यूनीकरण	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (बापटला)	23-26 अक्टूबर	शेखर चतुर्वेदी	15
26.	मीडिया और संचार	एनआईडीएम, नई दिल्ली	23-26 अक्टूबर	चंद्राणी बंद्योपाध्याय	11
27.	सूखा राहत और प्रबंधन	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (बापटला)	22-26 अक्टूबर	सूर्य प्रकाश	23
28.	डीआरआर के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन का एकीकरण	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (आईएलडीएम केरल)	29 अक्टूबर 2 नवंबर	सुषमा गुलेरिया	41
29.	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 अक्टूबर 2 नवंबर	अजिन्दर वालिया	43
30.	केनरा बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आरएसटीसी केनरा बैंक, गुरुग्राम	29 अक्टूबर 2 नवंबर	संतोष कुमार शेखर चतुर्वेदी	25
31.	आपदा प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर टीओटी कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (बापटला)	12-16 नवंबर	शेखर चतुर्वेदी चंद्राणी बंद्योपाध्याय	42
32.	बाढ़ और सूखा जागरूकता को मुख्य धारा में लाना: आयोजना और व्यवहार	एटीआई, मैसूर	12-16 नवंबर	ए डी कौशिक	33
33.	संरचनाओं का मूल्यांकन और रेट्रोफिटिंग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12-16 नवंबर	चन्दन घोष आमिर अली खान	34
34.	सांस्कृतिक विरासत और जोखिम राहत और प्रबंधन	वाईएसएचएडीए, पुणे	26-30 नवंबर	चंद्राणी बंद्योपाध्याय	23
35.	रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस) भूकंप संभावना वाले क्षेत्रों में वर्तमान स्थापना	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26-30 नवंबर	आमिर अली खान	30
36.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): आपदा कमांडर, और योजना खंड प्रमुख	एनआईडीएम, नई दिल्ली	3-7 दिसंबर	संतोष कुमार	18

37.	शिक्षा और जानकारी के माध्यम से सुरक्षा की संस्कृति	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12-14 दिसंबर	सुषमा गुलेरिया	26
38.	पर्यावरण और आपदाएं: विधि, उपकरण और व्यवहार (एमओईएफसीसी और डीएसटी के साथ) ईआईए के साथ डीआईए एकीकरण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-20 दिसंबर	अनिल कुमार गुप्त	45
39.	केनरा बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आरएसटीसी केनरा बैंक, गुरुग्राम	14-18 जनवरी	संतोष कुमार शेखर चतुर्वेदी	22
40.	आपदाओं और आपातकाल में पर्यावरण स्वास्थ्य	वीएमएमसी	15-17 जनवरी	अनिल कुमार गुप्त	59
41.	आपदा पश्चात् आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए)	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (कर्नाटक)	21-23 जनवरी	संतोष कुमार शेखर चतुर्वेदी	67
42.	बाढ़ और सूखा जोखिम प्रबंधन	एनआईएच, रुड़की	21-25 जनवरी	ए डी कौशिक अनिल कुमार गुप्त	42
43.	आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस): ऑपरेशन सैक्शन चीफ और लॉजिस्टिक सैक्शन चीफ	एनआईडीएम, नई दिल्ली	28 जनवरी 1 फरवरी	संतोष कुमार शेखर चतुर्वेदी	23
44.	हॉस्पिटल आपदा प्रबंधन प्लान	एनआईडीएम, नई दिल्ली	4-8 फरवरी	आमिर अली खान	58
45.	ग्रामीण विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सीसीए तथा डीआरआर का एकीकरण	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (एनआईआरडी एंडपीआर, हैदराबाद)	4-8 फरवरी	सुषमा गुलेरिया	45
46.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण का स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एकीकरण सेंडाई फ्रेमवर्क और सीओपी 21 के संदर्भ में	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-22 फरवरी	सूर्य प्रकाश	43
47.	वन अग्नि राहत और प्रबंधन	एफआरआई, देहरादून	4-8 मार्च	ए डी कौशिक अनिल कुमार गुप्त	25
48.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन प्लान और सुविधा मैपिंग	एनआईडीएम, नई दिल्ली	5-7 मार्च	चन्दन घोष	38
49.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर (विशाखापट्टनम)	11-15 मार्च	अजिन्दर वालिया सूर्य प्रकाश	25
50.	सप्लाई चैन प्रबंधन और दीर्घकालीन रिकवरी पर परीक्षण कार्यशाला	एनआईडीएम, नई दिल्ली	12-15 मार्च	संतोष कुमार शेखर चतुर्वेदी	32
51.	एनआईडीएम के साथ “भूखलन राहत और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयारी” पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एनआईडीएम, नई दिल्ली	18-19 मार्च	सूर्य प्रकाश	35
52.	जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बाढ़ जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम, नई दिल्ली	26-28 मार्च	ए डी कौशिक	40
					1723

वर्ष 2018-19 के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	भागीदारों की संख्या
1.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क	30 जुलाई 9 सितंबर, 2018	22
2.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क-1	10 अक्टूबर 9 नवंबर, 2019	20
3.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क-3	18 मार्च 28 अप्रैल, 2018	29
4.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	30 मार्च, 26 अप्रैल, 2018	34
5.	जोखिम प्रबंधन	30 मार्च, 26 अप्रैल, 2018	41
कुल			146

वर्ष 2018-19 के लिए कार्यशाला/ओरिएंटेशन/विविध पाठ्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	दिनांक	समन्वयक	भागीदारों की संख्या
1.	ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	4 अप्रैल	डॉ. सूर्य प्रकाश	10
2.	ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया का प्रयोग करने के लिए ओरिएंटेशन प्रशिक्षण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	29 मई	डॉ. सूर्य प्रकाश	10
3.	एएफएमसी रेजीडेंट डाक्टर्स का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, नई दिल्ली	6 सितंबर	डॉ. सूर्य प्रकाश	11
4.	भूस्खलन राहत पर टीओटी	एचआईपीए, शिमला	5-6 अक्टूबर	डॉ. सूर्य प्रकाश	28
5.	आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कमरा सं.-62, संसद भवन, नई दिल्ली	15 नवंबर	डॉ. सूर्य प्रकाश	60
कुल					119

8.4 अनुबंध-IV: वर्ष 2018 के दौरान नियुक्त इंटरन का विवरण

क्र. सं.	इंटरन का नाम	इंटरनशिप का विषय	परामर्शदाता का नाम
1.	श्री अतुल ए	अरब सागर पर चक्रवाती तूफानों का खतरा और दक्षिण केरल-तिरुवनंतुरम में तटीय समुदाय पर इसका प्रभाव	डॉ. सुषमा गुलेरिया सहायक प्रोफेसर
2.	श्री सैबल सरकार	दिल्ली में शहरीकरण द्वारा थोपे गए जलवायु खतरे का अध्ययन	डॉ. चंद्राणी बंद्योपाध्याय सहायक प्रोफेसर
3.	श्री अरुण वर्मा	राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली का जोखिम और खतरा मूल्यांकन	श्री शेखर चतुर्वेदी सहायक प्रोफेसर
4.	सुश्री ओजस्वी गोयल	आर्थिक पुनरुद्धार	डॉ. संतोष कुमार प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष
5.	सुश्री अतीशा सूद	लोक स्वास्थ्य और आपदा जोखिम प्रबंधन एकीकरण अवसर और कार्यक्षेत्र: भारतीय संदर्भ	डॉ. अनिल कुमार गुप्त एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष
6.	श्री नितीश बरौले	लीव नो वन बिहाइंड:- विकलांगता-समावेशी आपदा जोखिम प्रबंधन	डॉ. अनिल शेखावत, उप कमांडेंट (प्रशा. एवं प्रशि.)
7.	सुश्री जन्या कपाही	पर्यटन एवं विकास पर प्राकृतिक खतरों का प्रभाव - उत्तराखंड आपदा 2013 का मामला अध्ययन	डॉ. ए.डी. कौशिक, अनुसंधान एसोसिएट
8.	सुश्री कनक ढाका	बाढ़ का मलबा; शहरों में बाढ़ का मुख्य कारण कचरे का बढ़ना	डॉ. अनिल शेखावत, उप कमांडेंट (प्रशा. एवं प्रशि.)
9.	सुश्री खुशबू डुंगुंग	भूस्खलन अध्ययन और आपदा प्रबंधन के लिए भू-सूचना का प्रयोग	डॉ. सूर्य प्रकाश एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष
10.	सुश्री ज्योति मिश्रा	महिलाओं की परस्पर - सांस्कृतिक संवेदनशीलता	डॉ. संतोष कुमार प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष
11.	सुश्री युइरिन खमरांग	बाढ़ आपदा-2013 के संदर्भ में हरिद्वार जिले में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके जल निकायों और निर्मित क्षेत्रों में परिवर्तन का मूल्यांकन	डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
12.	श्री सुधांशु कुमार शर्मा	झारखंड में मानव और हाथी संघर्ष - मूल कारण ढूंढना	डॉ. अनिल कुमार गुप्त, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
13.	सुश्री गौहर फारूख वानि	आपदा प्रबंधन प्लान: कश्मीर विश्वविद्यालय	डॉ. आमिर अली खान, सहायक प्रोफेसर



Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

ए-विंग, चौथा तल, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट : www.nidm.gov.in